

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—ज्येष्ठ 3, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

क्र. एफ 6-2-2013-सात-3.—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :—

अनुसूची

| क्र. | जिले का नाम | तहसील का नाम |
|------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | गुना | राघौगढ़, आरौन, गुना, बम्हौरी, मकसूदनगढ़ |
| 2 | धार | धरमपुरी, मनावर, कुक्षी |

1759

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 3 | बड़वानी | बड़वानी, राजपुर, पानसेमल, पाटी |
| 4 | खरगौन | सेगांव |
| 5 | सीहोर | सीहोर, श्यामपुर |
| 6 | रायसेन | बरेली, उदयपुरा, बाड़ी |
| 7 | विदिशा | सिरोंज |
| 8 | भोपाल | बैरसिया |
| 9 | होशंगाबाद | सोहागपुर |
| 10 | सागर | रहली, गढ़ाकोटा |
| 11 | छतरपुर | छतरपुर, गौरीहार, बक्सवाहा |
| 12 | टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर, ओरछा |
| 13 | नरसिंहपुर | गोटेगांव |
| 14 | बालाघाट | लांजी |
| 15 | सिवनी | सिवनी, केवलारी, लखनादौन, धनौरा |
| 16 | सीधी | कुसमी |
| 17 | सतना | नागौद |
| 18 | डिण्डौरी | डिण्डौरी, शाहपुरा |
| 19 | उमरिया | बांधवगढ़, चंदिया, नौरोजाबाद |
| 20 | अनूपपुर | जैतहरी |
| 21 | शहडोल | सोहागपुर, बुढार |
| | | <u>44 तहसीलें</u> |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

क्र. एफ 6-2-2013-सात-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 6-2-2013-सात-3, दिनांक 1 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

‘मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 1st May 2013

No. F-6-2-2013-VII-3.—On the basis of standard fixed by the State Government, the State Government hereby, recognize the drought affected tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public :—

SCHEDULE

| No. (1) | District (2) | Affected tahsils (3) |
|------------|-----------------|--|
| 1 | Guna | Raghogarh, Arone, Guna, Bamori, Maksudangarh |
| 2 | Dhar | Dharamपुरी, Manawar, Kukshi |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-------------|-------------------------------------|
| 3 | Badwani | Badwani, Rajpur, Pansemal, Pati |
| 4 | Khargone | Segaon |
| 5 | Sehore | Sehore, Shyampur |
| 6 | Raisen | Bareli, Udaipura, Badi |
| 7 | Vidisha | Sironj |
| 8 | Bhopal | Berasia |
| 9 | Hoshangabad | Sohagpur |
| 10 | Sagar | Rehli, Garhakota |
| 11 | Chhatarpur | Chhatarpur, Gourihar, Bakswaha |
| 12 | Tikamgarh | Prithvipur, Orchha |
| 13 | Narsinghpur | Gotegaon |
| 14 | Balaghat | Lanji |
| 15 | Seoni | Seoni, Kewlari, Lakhnadon, Dhanaura |
| 16 | Sidhi | Kusmi |
| 17 | Satna | Nagod |
| 18 | Dindori | Dindori, Shahpura |
| 19 | Umaria | Bandhaogarh, Chandiya, Naurojabad |
| 20 | Anuppur | Jaithari |
| 21 | Shahdol | Sohagpur, Budhar |
| | | Total : 44 |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2013

क्र. एफ. 31-05-2013-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् :—

| स. क्र. | सिंचाई प्रणाली का नाम | कार्य का कमाण्ड क्षेत्र | | |
|---------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | ग्रामों की संख्या | विस्तार हेक्टेयर में | कृषक संगठनों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बांयी तट नहर प्रणाली-खुरपा माइनर, जिला नरसिंहपुर. | 06 | 1045 | 1 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2013

क्र. एफ-1(ए)-253-1988-ब-2(दो).—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु.मु., भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश, 11, 12, 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. एफ-1(ए)-165-1989-ब-2(दो).—श्री यू. पी. षडंगी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर को दिनांक 20 से 28 मई 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ

के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सपरिवार पुरी (उड़ीसा) की गृह नगर अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

| | | |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | श्री यू. पी. षडंगी | स्वयं |
| 2. | श्रीमती निलोत्पला षडंगी | पत्नी |
| 3. | सिद्धांत षडंगी | पुत्र |
| 4. | संस्कृति षडंगी | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री यू. पी. षडंगी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री यू. पी. षडंगी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री यू. पी. षडंगी, भापुसे द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री यू. पी. षडंगी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. पी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-55-1994-ब-2(दो).—श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 25 से 31 मार्च 2013 तक 7 दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11, 12, 25 एवं 26 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सायबर क्राईम, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

क्र. एफ-1(ए) 199-1991-ब-2-दो.—श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश, 2, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एन. डी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ-1(ए)-128-90-ब-2(दो).—श्री शैलेश सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु. मु., भोपाल को दिनांक 25 मार्च से दिनांक 12 अप्रैल 2013 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 13, 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत मुंबई की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. श्री शैलेश सिंह | स्वयं |
| 2. श्रीमती सुनीता सिंह | पत्नी |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री शैलेश सिंह, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री शैलेश सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु. मु., भोपाल का कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सायबर), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेश सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री शैलेश सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री शैलेश सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेश सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

फा. क्र. 3(ए)15-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री शिवचरण पाण्डे, रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्सटिट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 07), राज्य शासन, श्री विजय कुमार पाठक पिता स्व. श्री नत्थूलाल पाठक को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बदायूँ है. उसकी जन्मतिथि 1 मई 1982 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 11), राज्य शासन, श्रीमती आकांक्षा कत्याल पति श्री विशाल कत्याल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 11 जुलाई 1982 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन, श्री अरविन्द सिंह पिता श्री कोमल सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1981 है.

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 54), राज्य शासन, सुश्री रूचिता गुर्जर पिता श्री उमराव सिंह गुर्जर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नीमच है. उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी 1986 है.

फा. क्र. 3 (बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 70), राज्य शासन, सुश्री वन्दना मालवीय पिता श्री रमेश मालवीय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है. उसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1984 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 82), राज्य शासन, सुश्री रूपाली भलावी पिता श्री बैजू प्रसाद भलावी को मध्यप्रदेश निम्न स्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1987 है.

फा. क्र. 3 (बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र.-86), राज्य शासन, श्री विक्रम सिंह डावर पिता श्री भारत सिंह डावर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी है. उसकी जन्मतिथि 1 मई 1980 है.

फा. क्र. 3(बी)-1-2012-इक्कीस-ब(एक).— (मेरिट क्र. 90), राज्य शासन, सुश्री रश्मि मण्डलोई पिता श्री अमर सिंह मण्डलोई को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है. उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब-(एक).— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 25 जून 2008 को, जो मध्यप्रदेश "राजपत्र" भाग-1, दिनांक 11 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुई थी, को, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री अजय प्रकाश मिश्र, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) मण्डला, (2) सागर, (3) छिंदवाड़ा, (4) रीवा, (5) सीधी, (6) बालाघाट, (7) डिंडोरी, (8) उमरिया, (9) सिंगरौली.

F. No. 1-5-96-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One), dated 25th June 2008, which was published in the Madhya Pradesh "Gazette" Part-I, dated 11th July 2008, the State Government, consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Shri Ajay Prakash Mishra, Additional Sessions Judge, Jabalpur, as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police

Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

REVENUE DISTRICTS

(1) Mandla, (2) Sagar, (3) Chhindwara, (4) Rewa, (5) Sidhi, (6) Balaghat, (7) Dindori, (8) Umaria, (9) Singrauli.

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2013

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मुकेश जैन पुत्र श्री प्रेमकुमार जी जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री मुकेश जैन की जन्म तिथि 2-6-1979 (दो जून उन्नीस सौ उन्नीस) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 2-6-2041 (दो जून दो हजार इकतालीस) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री अंजना शर्मा पुत्री श्री रूपकिशोर शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—सुश्री अंजना शर्मा की जन्म तिथि 27-4-1968 (सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 27-4-2030 (सत्ताईस अप्रैल दो हजार तीस) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राकेश गेहलोत पुत्र श्री लालारामजी गेहलोत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले के लिये अति लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री राकेश गेहलोत की जन्म तिथि 11-8-1978 (ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ अट्ठत्तर) और उनकी आयु बासठ वर्ष की अवधि दिनांक 11-8-2040 (ग्यारह अगस्त दो हजार चालीस) को पूर्ण होगी।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

फा. क्र. 1(सी)-13-2012-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यूओ क्रमांक 231-13-1-10, दिनांक 7-5-2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ, जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल, के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरणों एवं उससे भिन्न प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री पंकज दुबे, अधिवक्ता, जबलपुर को 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पाने के अधिकारी होंगे। बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 89), इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-4-2013 के द्वितीय पंक्ति एवं पृष्ठांकन के बिन्दू क्र. 2 की पंक्ति में अंकित शब्द "पिता" के स्थान पर "पति" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

फा. क्र. 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायाधिकारियों को, जिनकी पदस्थापना का स्थान नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, को कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट सिविल जिलों के भीतर कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट ग्राम न्यायालय/न्यायालयों के लिए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय संचालित करने के लिए नियुक्त करता है तथा ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके (सारणी) कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा :—

सारणी

| अनु क्रमांक | न्यायाधिकारी का नाम | पदस्थापना का स्थल | सिविल जिले का नाम | मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम | ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री राजेन्द्र देवड़ा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | अलीराजपुर | अलीराजपुर | अलीराजपुर | अलीराजपुर |
| 2 | श्री सुर सिंह कन्नौज, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | जोबट | अलीराजपुर | जोबट | जोबट |
| 3 | श्री हिदायत उल्लाह खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | अनूपपुर | अनूपपुर | अनूपपुर | अनूपपुर |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | श्री जवाहर सिंह मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | कोतमा | अनूपपुर | कोतमा | कोतमा |
| 5 | श्री कमलेश मीना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. | अशोकनगर | अशोकनगर | अशोकनगर | अशोकनगर |
| 6 | श्री कैलाश नारायण अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | चंदेरी | अशोकनगर | चंदेरी | चंदेरी |
| 7 | श्री अमित सिंह सिसोदिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. | बालाघाट | बालाघाट | बालाघाट | बालाघाट |
| 8 | श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश से व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. | सेंधवा | बड़वानी | 1. सेंधवा 2. बड़वानी | 1. सेंधवा 2. बड़वानी |
| 9 | श्री संजय राज ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बैतूल |
| 10 | श्री रामगोपाल प्रजापति, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मुलताई | बैतूल | मुलताई | मुलताई |
| 11 | श्री आदित्य रावत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | भिण्ड | भिण्ड | भिण्ड | भिण्ड |
| 12 | श्री भगवान दास राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | लहार | भिण्ड | लहार | लहार |
| 13 | श्री ए. पी. एस. चौहान, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | भोपाल | भोपाल | भोपाल | भोपाल |
| 14 | श्रीमती वंदना जैन, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बैरसिया | भोपाल | बैरसिया | बैरसिया |
| 15 | श्री राधे श्याम मडिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर |
| 16 | श्री आनंद प्रिय राहुल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | छतरपुर | छतरपुर | छतरपुर | छतरपुर |
| 17 | श्री मुकेश कुमार डांगी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बिजावर | छतरपुर | बिजावर | बिजावर |
| 18 | श्री पदमेश शाह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा | छिन्दवाड़ा |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| 19 | श्रीमती संतोषी वासनिक, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | पांडुर्णा | छिन्दवाड़ा | पांडुर्णा | पांडुर्णा |
| 20 | श्री ओमप्रकाश रजक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | दमोह | दमोह | दमोह | दमोह |
| 21 | श्री चौधर सिंह सैयाम द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. | हटा | दमोह | हटा | हटा |
| 22 | श्री रामप्रताप मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | दतिया | दतिया | दतिया | दतिया |
| 23 | श्री मोहम्मद अनीश खान, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सेवड़ा | दतिया | सेवड़ा | सेवड़ा |
| 24 | श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | देवास | देवास | देवास | देवास |
| 25 | श्री नीरज मालवीय, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | कन्नौद | देवास | कन्नौद | कन्नौद |
| 26 | श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | धार | धार | धार | धार |
| 27 | श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मनावर | धार | मनावर | मनावर |
| 28 | श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | डिण्डौरी | डिण्डौरी | डिण्डौरी | डिण्डौरी |
| 29 | श्री दिनेश देवड़ा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा |
| 30 | श्री आलोक कुमार सक्सेना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | गुना | गुना | गुना | गुना |
| 31 | श्री संजय श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | चाचौड़ा | गुना | चाचौड़ा | चाचौड़ा |
| 32 | श्री नवीन कुमार शर्मा, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | ग्वालियर | ग्वालियर | ग्वालियर | ग्वालियर |
| 33 | श्री गंगाचरण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | डबरा | ग्वालियर | डबरा | डबरा |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | हरदा | हरदा | हरदा | हरदा |
| 35 | श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | होशंगाबाद | होशंगाबाद | होशंगाबाद | होशंगाबाद |
| 36 | श्री शिवबालक साहू, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सोहागपुर | होशंगाबाद | सोहागपुर | सोहागपुर |
| 37 | श्री राजेश कुमार रावतकर, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | इन्दौर | इन्दौर | इन्दौर | इन्दौर |
| 38 | श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | जबलपुर | जबलपुर | जबलपुर | जबलपुर |
| 39 | श्रीमती प्रीति सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | पाटन | जबलपुर | पाटन | पाटन |
| 40 | श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | झाबुआ | झाबुआ | झाबुआ | झाबुआ |
| 41 | श्री हरिओम अतलासिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | थांदला | झाबुआ | थांदला | थांदला |
| 42 | श्री सुनील कुमार मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | कटनी | कटनी | कटनी | कटनी |
| 43 | श्री हर प्रसाद वंशकार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मण्डला | मण्डला | मण्डला | मण्डला |
| 44 | श्री अखिलेश कुमार धाकड़, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मन्दसौर | मन्दसौर | मन्दसौर | मन्दसौर |
| 45 | श्री राकेश कुमार गोयल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | गरोठ | मन्दसौर | गरोठ | गरोठ |
| 46 | श्री अजयकांत पाण्डे, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मुरैना | मुरैना | मुरैना | मुरैना |
| 47 | श्री अरविंद कुमार गोयल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | अम्बाह | मुरैना | अम्बाह | अम्बाह |
| 48 | श्री राम सिंह कनौजिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 49 | श्री पंकज यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | गाडरवारा | नरसिंहपुर | गाडरवारा | गाडरवारा |
| 50 | श्री हेमंत जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | नीमच | नीमच | नीमच | नीमच |
| 51 | श्री राजेन्द्र कुमार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मनासा | नीमच | मनासा | मनासा |
| 52 | श्री मनीष कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | पवई | पन्ना | 1. पवई 2. पन्ना | 1. पवई 2. पन्ना* |
| 53 | श्री प्रकाश केरकेट्टा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. | रायसेन | रायसेन | रायसेन | रायसेन |
| 54 | श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनि.), व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बरेली | रायसेन | बरेली | बरेली |
| 55 | श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | ब्यावरा | राजगढ़ | 1. ब्यावरा 2. राजगढ़ | 1. ब्यावरा 2. राजगढ़* |
| 56 | श्रीमती प्रिया शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | रतलाम | रतलाम | रतलाम | रतलाम |
| 57 | श्री नीलेश यादव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | जावरा | रतलाम | जावरा | जावरा |
| 58 | श्री सुधीर सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | रीवा | रीवा | रीवा | रीवा |
| 59 | श्री मनोज कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सिरमौर | रीवा | सिरमौर | सिरमौर |
| 60 | श्री दीपक शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सागर | सागर | सागर | सागर |
| 61 | कु. सरिता वाधवानी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | खुरई | सागर | खुरई | खुरई |
| 62 | श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सतना | सतना | सतना | सतना |
| 63 | श्री सुजीत कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | नागौद | सतना | नागौद | नागौद |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------|----------|------------|------------|
| 64 | श्रीमती अर्चना सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सीहोर | सीहोर | सीहोर | सीहोर |
| 65 | श्री अरुण कुमार सिंह (जून.), द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बुदनी | सीहोर | बुदनी | बुदनी |
| 66 | श्री कृष्ण दास महार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सिवनी | सिवनी | सिवनी | सिवनी |
| 67 | श्रीमती कीर्ति कश्यप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | लखनादौन | सिवनी | लखनादौन | लखनादौन |
| 68 | श्री शरद भामकर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | शहडोल | शहडोल | शहडोल | शहडोल |
| 69 | श्री उदय सिंह मरावी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | जयसिंहनगर | शहडोल | जयसिंह नगर | जयसिंह नगर |
| 70 | श्री रवि झरोला, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | शाजापुर | शाजापुर | शाजापुर | शाजापुर |
| 71 | श्री विक्रम सिंह बुले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | आगर | शाजापुर | आगर | आगर |
| 72 | श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती (सीनियर), द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | श्योपुर | श्योपुर | श्योपुर | श्योपुर |
| 73 | श्री हिमांशु कौशल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश. | शिवपुरी | शिवपुरी | शिवपुरी | शिवपुरी |
| 74 | श्री अशोक कुमार शर्मा, (जून.-2), व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | करेरा | शिवपुरी | करेरा | करेरा |
| 75 | श्री राजेश कुमार यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2. | सीधी | सीधी | सीधी | सीधी |
| 76 | श्री उमा शंकर कुम्हार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मझौली | सीधी | मझौली | मझौली |
| 77 | श्री शिवलाल केवट, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | बैदुन | सिंगरौली | बैदुन | बैदुन |
| 78 | श्री सतीश कुमार गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| 79 | श्री प्रदीप कुशवाह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | निवाड़ी | टीकमगढ़ | निवाड़ी | निवाड़ी |
| 80 | श्री रुपम बेदी, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | उज्जैन | उज्जैन | उज्जैन | उज्जैन |
| 81 | श्री रामसिंह बघेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | महिदपुर | उज्जैन | महिदपुर | महिदपुर |
| 82 | श्री यतीन्द्र कुमार गुरु, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | उमरिया | उमरिया | उमरिया | उमरिया |
| 83 | श्री विकास भट्टेले, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | विदिशा | विदिशा | विदिशा | विदिशा |
| 84 | श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | सिरोंज | विदिशा | सिरोंज | सिरोंज |
| 85 | श्री अब्दुल कदीर मंसूरी व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1. | मण्डलेश्वर | मण्डलेश्वर | मण्डलेश्वर | मण्डलेश्वर |
| 86 | श्री अरविंद डारिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के अतिरिक्त न्यायाधीश. | भीकनगांव | मण्डलेश्वर | भीकनगांव | भीकनगांव |

नोट.— *न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)-13.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Nyayadhikari specified in column (2) whose posting is specified in column (3) of the table below to hold Gram Nyayalaya on Monday and Friday every weeks for the Gram Nyayalaya specified in column (5), within the Civil Districts specified in column (4) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in column (6) thereof :—

TABLE

| S.No. | Name of Nyayadhikari | Place of Posting | Name of Civil District | Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level | Name of Headquarter of Gram Nyayalaya |
|-------|--|------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Shri Rajendra Devda, III Civil Judge Class-1. | Alirajpur | Alirajpur | Alirajpur | Alirajpur |
| 2 | Shri Sur Singh Kanoj, Civil Judge Class-1. | Jobat | Alirajpur | Jobat | Jobat |
| 3 | Shri Hidayatullah Khan Civil Judge Class-1. | Anuppur | Anuppur | Anuppur | Anuppur |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 4 | Shri Jawahar Singh Markam, Civil Judge Class-1. | Kotma | Anuppur | Kotma | Kotma |
| 5 | Shri Kamlesh Meena, III Civil Judge Class-2. | Ashoknagar | Ashoknagar | Ashoknagar | Ashoknagar |
| 6 | Shri Kailash Narayan Ahirwar, Civil Judge Class-1. | Chandri | Ashoknagar | Chanderi | Chanderi |
| 7 | Shri Amit Singh Sisodiya, IVth Civil Judge Class-2. | Balaghat | Balaghat | Balaghat | Balaghat |
| 8 | Shri Rajendra Kumar Patidar, IInd AJ to Civil Judge Class-2. | Sendhwa | Barwani | 1. Sendhwa 2. Barwani | 1. Sendhwa 2. Barwani* |
| 9 | Shri Sanjay Raj Thakur, Civil Judge Class-1. | Betul | Betul | Betul | Betul |
| 10 | Shri Ram Gopal Prajapati, Ist Civil Judge Class-1. | Multai | Betul | Multai | Multai |
| 11 | Shri Aditya Rawat, IInd Civil Judge Class-1. | Bhind | Bhind | Bhind | Bhind |
| 12 | Shri Bhagwandas Rathore Ist Civil Judge Class-1. | Lahar | Bhind | Lahar | Lahar |
| 13 | Shri A.P.S. Chauhan, 16th Civil Judge Class-1. | Bhopal | Bhopal | Bhopal | Bhopal |
| 14 | Smt. Vandana Jain, Civil Judge Class-1. | Berasia | Bhopal | Berasia | Berasia |
| 15 | Shri Radhe Shyam Madiya, IInd Civil Judge Class-1. | Burhanpur | Burhanpur | Burhanpur | Burhanpur |
| 16 | Shri Anand Priya Rahul, IIIrd Civil Judge Class-1. | Chhatarpur | Chhatarpur | Chhatarpur | Chhatarpur |
| 17 | Shri Mukesh Kumar Dangi, Ist Civil Judge Class-1. | Bijawar | Chhatarpur | Bijawar | Bijawar |
| 18 | Shri Padmesh Shah, IIIrd Civil Judge Class-1. | Chhindwara | Chhindwara | Chhindwara | Chhindwara |
| 19 | Smt. Santoshi Vasnik, Civil Judge Class-1. | Pandurna | Chhindwara | Pandurna | Pandurna |
| 20 | Shri Om Prakash Rajak, IInd Civil Judge Class-1. | Damoh | Damoh | Damoh | Damoh |
| 21 | Shri Chaudhar Singh Shaiyam, IInd Civil Judge Class-2. | Hatta | Damoh | Hatta | Hatta |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22 | Shri Ram Pratap Mishra, IInd Civil Judge Class-1. | Datia | Datia | Datia | Datia |
| 23 | Shri Mohd. Anish Khan, Civil Judge Class-1. | Seodha | Datia | Seodha | Seodha |
| 24 | Shri Suresh Kumar Suryavanshi, IInd Civil Judge Class-1. | Dewas | Dewas | Dewas | Dewas |
| 25 | Shri Neeraj Malviya, Civil Judge Class-1. | Kannod | Dewas | Kannod | Kannod |
| 26 | Shri Rajendra Kumar Shriwas, IInd Civil Judge Class-1. | Dhar | Dhar | Dhar | Dhar |
| 27 | Smt. Sandhya Manoj Shrivastava, Civil Judge Class-1. | Manawar | Dhar | Manawar | Manawar |
| 28 | Shri Raghuvir Prasad Patel, IInd Civil Judge Class-1. | Dindori | Dindori | Dindori | Dindori |
| 29 | Shri Dinesh Deoda, IVth Civil Judge Class-1. | Khandwa | Khandwa | Khandwa | Khandwa |
| 30 | Shri Alok Kumar Saxena, IIIrd Civil Judge Class-1. | Guna | Guna | Guna | Guna |
| 31 | Shri Sanjay Shrivastava, Civil Judge Class-1. | Chachoda | Guna | Chachoda | Chachoda |
| 32 | Shri Naveen Kumar Sharma, VIIth Civil Judge Class-1. | Gwalior | Gwalior | Gwalior | Gwalior |
| 33 | Shri Gangacharan Sharma, Ist Civil Judge Class-1. | Dabra | Gwalior | Dabra | Dabra |
| 34 | Shri Pankaj Singh Maheshwari, IInd Civil Judge Class-1. | Harda | Harda | Harda | Harda |
| 35 | Shri Mahendra Kumar Tripathi, Civil Judge Class-1. | Hoshangabad | Hoshangabad | Hoshangabad | Hoshangabad |
| 36 | Shri Shiv Balak Sahu, Civil Judge Class-1. | Sohagpur | Hoshangabad | Sohagpur | Sohagpur |
| 37 | Shri Rajesh Kumar Rawatkar, IXth Civil Judge Class-1. | Indore | Indore | Indore | Indore |
| 38 | Shri Sachindra Shrivastava, VIIth Civil Judge Class-1. | Jabalpur | Jabalpur | Jabalpur | Jabalpur |
| 39 | Smt. Preeti Singh, Civil Judge Class-1. | Patan | Jabalpur | Patan | Patan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 40 | Shri Prempal Singh Thakur, Ist Civil Judge Class-2. | Jhabua | Jhabua | Jhabua | Jhabua |
| 41 | Shri Hariom Atlasia, Civil Judge Class-1. | Thandla | Jhabua | Thandla | Thandla |
| 42 | Shri Sunil Kumar Mishra, IIIrd Civil Judge Class-1. | Katni | Katni | Katni | Katni |
| 43 | Shri Har Prasad Vanshkar, IInd Civil Judge Class-1. | Mandla | Mandla | Mandla | Mandla |
| 44 | Shri Akhilesh Kumar Dhakad, IInd Civil Judge Class-1. | Mandsaur | Mandsaur | Mandsaur | Mandsaur |
| 45 | Shri Rakesh Kumar Goyal, Civil Judge Class-1. | Garoth | Mandsaur | Garoth | Garoth |
| 46. | Shri Ajaykant Pandey, Ist Addl. Civil Judge Class-1. | Morena | Morena | Morena | Morena |
| 47 | Shri Arvind Kumar Goyal, Civil Judge Class-1. | Ambah | Morena | Ambah | Ambah |
| 48 | Shri Ram Singh Kannojiya, Addl. Civil Judge Class-1. | Narsinghpur | Narsinghpur | Narsinghpur | Narsinghpur |
| 49 | Shri Pankaj Yadav, Civil Judge Class-1. | Gadarwara | Narsinghpur | Gadarwara | Gadarwara |
| 50 | Shri Hemant Joshi, IInd Civil Judge Class-1. | Neemuch | Neemuch | Neemuch | Neemuch |
| 51 | Shri Rajendra Kumar, Civil Judge Class-1. | Manasa | Neemuch | Manasa | Manasa |
| 52 | Shri Manish Kumar Singh, Civil Judge Class-2. | Pawai | Pawai | 1. Pawai 2. Panna | 1. Pawai 2. Panna* |
| 53 | Shri Prakash Kerketta, IInd Civil Judge Class-2. | Raisen | Raisen | Raisen | Raisen |
| 54 | Shri Sudeep Kumar Shriwastav (Jr.), Civil Judge Class-1. | Bareli | Raisen | Bareli | Bareli |
| 55 | Shri Harsh Singh Baharwat, Civil Judge Class-1. | Biaora | Rajgarh | 1. Biaora 2. Rajgarh | 1. Biaora 2. Rajghar* |
| 56 | Smt. Priya Sharma, IInd Civil Judge Class-1. | Ratlam | Ratlam | Ratlam | Ratlam |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---------------|----------|---------------|---------------|
| 57 | Shri Neelesh Yadav, Civil Judge Class-1. | Jaora | Ratlam | Jaora | Jaora |
| 58 | Shri Sudhir Singh, IInd Civil Judge Class-1. | Rewa | Rewa | Rewa | Rewa |
| 59 | Shri Manoj Kumar Singh, Civil Judge Class-1. | Sirmour | Rewa | Sirmour | Sirmour |
| 60 | Shri Deepak Sharma, IVth Civil Judge Class-1. | Sagar | Sagar | Sagar | Sagar |
| 61 | Ku. Sarita Wadhvani, IInd Civil Judge Class-1. | Khurai | Sagar | Khurai | Khurai |
| 62 | Shri Sandeep Kumar Shrivastava, IVth Civil Judge Class-1. | Satna | Satna | Satna | Satna |
| 63. | Shri Sujeet Kumar Singh, Ist Civil Judge Class-1. | Nagod | Satna | Nagod | Nagod |
| 64. | Smt. Archana Singh, IInd Civil Judge Class-1. | Sehore | Sehore | Sehore | Sehore |
| 65 | Shri Arun Kumar Singh (Jr.), Civil Judge Class-1. | Budhni | Sehore | Budhni | Budhni |
| 66 | Shri Krishna Das Mahar, IInd Civil Judge Class-1. | Seoni | Seoni | Seoni | Seoni |
| 67 | Smt. Kirti Kashyap, Civil Judge Class-1. | Lakhnadon | Seoni | Lakhnadon | Lakhnadon |
| 68 | Shri Sharad Bhamkar, IInd Civil Judge Class-1. | Shahdol | Shahdol | Shahdol | Shahdol |
| 69 | Shri Uday Singh Maravi, Civil Judge Class-1. | Jaisinghnagar | Shahdol | Jaisinghnagar | Jaisinghnagar |
| 70 | Smt. Ravi Jharola, Addl. Civil Judge Class-1. | Shajapur | Shajapur | Shajapur | Shajapur |
| 71 | Shri Vikram Singh Bule Civil Judge Class-1. | Agar | Shajapur | Agar | Agar |
| 72 | Shri Ramesh Kumar Murari Lal Bhagwati (Sr.), IInd Civil Judge Class-1. | Sheopur | Sheopur | Sheopur | Sheopur |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 73 | Shri Himanshu Kaushal, II Addl. to Civil Judge Class-2. | Shivpuri | Shivpuri | Shivpuri | Shivpuri |
| 74 | Shri Ashok Kumar Sharma (Jr.2), Civil Judge Class-1. | Karera | Shivpuri | Karera | Karera |
| 75 | Shri Rajesh Kumar Yadav, IIIrd Civil Judge Class-2. | Sidhi | Sidhi | Sidhi | Sidhi |
| 76 | Shri Uma Shankar Kumhar, Civil Judge Class-1. | Majholi | Sidhi | Majholi | Majholi |
| 77 | Shri Shivlal Kewat, Civil Judge Class-1. | Waidhan | Singrauli | Waidhan | Waidhan |
| 78 | Shri Satish Kumar Gupta, IIIrd Civil Judge Class-1. | Tikamgarh | Tikamgarh | Tikamgarh | Tikamgarh |
| 79 | Shri Pradeep Kushwah, Civil Judge Class-1. | Niwari | Tikamgarh | Niwari | Niwari |
| 80 | Shri Rupam Bedi, VIth Civil Judge Class-1. | Ujjain | Ujjain | Ujjain | Ujjain |
| 81 | Shri Ram Singh Baghel, IInd Civil Judge Class-2. | Mahidpur | Ujjain | Mahidpur | Mahidpur |
| 82 | Shri Yatindra Kumar Guru, IInd Civil Judge Class-1. | Umaria | Umaria | Umaria | Umaria |
| 83 | Shri Vikas Bhatele, IInd Civil Judge Class-1. | Vidhisha | Vidhisha | Vidhisha | Vidhisha |
| 84 | Shri Rajendra Singh Thakur, Civil Judge Class-1. | Sironj | Vidhisha | Sironj | Sironj |
| 85 | Shri Abdul Kadir Mansoori, Civil Judge Class-1. | Mandleshwar | Mandleshwar | Mandleshwar | Mandleshwar |
| 86 | Shri Arwind Dariya, Addl. Civil Judge Class-2. | Bhikangaon | Mandleshwar | Bhikangaon | Bhikangaon |

Note.—*Nyayadhikari, Gram Nyayalayas Sehkhwa, Pawai & Biaora shall hold their Sittings on Monday & Friday falling of third & fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Barwani, Panna and Rajgarh respectively.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 1-1-2008-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान तथा तहसील कोटर की सीमाएं, उसमें से, सतना जिले की विद्यमान तहसील रामपुर बघेलान के राजस्व वत्त सज्जनपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 29 को अपवर्जित करते हुए तथा उसे कोटर तहसील में समाविष्ट करते हुए और विद्यमान तहसील कोटर के राजस्व वृत्त छिबौरा से पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 23 तक को अपवर्जित करते हुए और उन्हें तहसील रामपुर बघेलान में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 1-1-2008-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2008-सात-6, दिनांक 21 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

ORDER

Bhopal, the 21st May 2013

No. F-1-1-2008-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Rampur Baghelan and Tahsil Kotar of Satna District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the patwari halka No. 29 of the Revenue Circle Sajjanpur of present Tahsil Rampur Baghelan and comprising it into Kotar Tahsil and by excluding the patwari halka No. 15 to 23 of Revenue Circle Chhibaura of present Tahsil Kotar and comprising them into Tahsil Rampur Baghelan of Satna District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

सूचना

क्र. एफ-1-10-2009-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील पोलायकला एवं तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया, जिला शाजापुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना, जिला शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित

रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

| क्रमांक | प्रस्तावित तहसील | मुख्यालय | वर्तमान तहसील | परिवर्तन का स्वरूप | सीमाएं |
|---------|---------------------|--------------------|----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | पोलायकला | पोलायकला | शुजालपुर एवं गुलाना. | वर्तमान तहसील शुजालपुर के रा.नि.मं. अवंतीपुर बड़ौदिया के प.ह.नं. 38 से 43 एवं 51 से 54 तक, कुल 10 प.ह. एवं तहसील गुलाना के रा.नि.मं. सुंदरसी के प.ह.नं. 25 से 29, 31 एवं 33 से 36 कुल 10, प. ह. अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील पोलायकला में कुल 20 प.ह. एवं कुल ग्राम 51 होंगे. | पूर्व में —तहसील कालापीपल पश्चिम में —तहसील शाजापुर एवं टोंकखुर्द, जिला देवास. उत्तर में —तहसील शुजालपुर एवं गुलाना. दक्षिण में —तहसील शुजालपुर से प्रस्तावित तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया. |
| 2 | अवंतीपुर बड़ौदिया. | अवंतीपुर बड़ौदिया. | शुजालपुर | वर्तमान तहसील शुजालपुर के रा.नि.मं. अवंतीपुर बड़ौदिया के प.ह.नं. 45 से 50 तथा 55 से 60 तक, कुल 12 प.ह. अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया में कुल 12 प.ह. एवं कुल ग्राम 29 होंगे. | पूर्व में —तहसील कालापीपल पश्चिम में —तहसील सोनकच्छ जिला देवास. उत्तर में —प्रस्तावित तहसील पोलायकला. दक्षिण में —तहसील आष्टा, जिला सीहोर. |
| 3 | शेष तहसील शुजालपुर. | शुजालपुर | शुजालपुर | तह. शुजालपुर में प.ह. 1 से 37 एवं प. ह. 44 रहेंगे. कुल 38 प. ह. जिनमें कुल ग्राम 87 रहेंगे. | पूर्व में —तहसील कालापीपल पश्चिम में —तहसील गुलाना उत्तर में —तहसील नरसिंहगढ़, जिला नरसिंहगढ़. दक्षिण में —प्रस्तावित तहसील पोलायकला. |
| 4 | शेष तहसील गुलाना. | गुलाना | गुलाना | तह. गुलाना में प.ह. 1 से 24, 30 एवं 32 रहेंगे, कुल 26 प. ह. जिनमें ग्राम 73 रहेंगे. | पूर्व में —तहसील शुजालपुर पश्चिम में —तहसील शुजालपुर उत्तर में —तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़. दक्षिण में —प्रस्तावित तहसील पोलायकला. |

(3) प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. एफ. 22-60-2008-आठ.—मध्यप्रदेश राजपत्र के अंक दिनांक 06-10-2010 में प्रकाशित इस विभाग की अंग्रेजी भाषा की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-7-2010 में “डाटा एन्ट्री तथा खोलने के लिए सेवा प्रभार” तथा “माल लादने/माल उतारने के लिए प्रभार” के लिए प्रथम वृद्धि के प्रभावी होने की दिनांक को 01-04-2010 के स्थान पर दिनांक 01-04-2011 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

क्र. एफ. 67-57-12-तीन-439.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह अगस्त, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगौन के आम निर्वाचन में श्रीमती हेमलता लाड, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 अगस्त 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2012 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 10 सितम्बर 2012 तक श्रीमती हेमलता लाड को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगौन के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खरगौन के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती हेमलता लाड द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती हेमलता लाड को कारण बताओ

सूचना-पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में श्रीमती हेमलता लाड से उत्तर (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ सूचना-पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगौन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 जनवरी 2013 में प्रतिवेदित है कि “श्रीमती हेमलता लाड द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 16 अप्रैल 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खरगौन के माध्यम से अभ्यर्थी श्रीमती हेमलता लाड को विहित समयावधि में दिनांक 6 मार्च 2013 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती हेमलता लाड द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता लाड को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगौन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 14-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| टीकमगढ़ | पलेरा | खेरा विजयपुर | 2.040 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा. | खेरा-विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है खेरा-विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम खेरा, विजयपुर भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-----------|-----------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| खण्डवा | पुनासा | कोठी | 0.01 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर. | मोरटक्का ओंकारेश्वर मार्ग के कि. मी. 9/2 में पुल का चौड़ीकरण. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| खण्डवा | खण्डवा | धनगांव | 0.03 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर. | धनगांव निमाड़खेड़ी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|--------------|--------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| खण्डवा | पुनासा | खेड़ीबुजुर्ग | 0.26 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर. | धनगांव निमाड़खेड़ी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील/ तालुक | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दतिया | इन्दरगढ़ | खजूरी | 0.07 | कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग क्र.-9, जिला दतिया. (म. प्र.) | राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2-आर. मायनर (डी. आई. सी.) विस्तारित नहर निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 9 मई 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-13-655.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन | |
|---------------|-----------------|-----------|--------------|--|---|---|
| जिला | तहसील/ तालुक | नगर/ग्राम | खसरा नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| शिवपुरी | नरबर | फतेहपुर | 1157 | 0.12 | कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, करैरा, जिला शिवपुरी, (म. प्र.) | सिंध परियोजना की दायां तट नहर की शाखा नहर डी-5 से निकलने वाली फतेहपुर न्यू माइनर के निर्माण हेतु. |
| | | | 1173 | 0.05 | | |
| | | | 1174 | 0.11 | | |
| | | | 1176 | 0.14 | | |
| | | | 1188 | 0.12 | | |
| | | | 1191 | 0.25 | | |
| | | | 1192 | 0.03 | | |
| | | | 1261 | 0.11 | | |
| | | | 1264 | 0.23 | | |
| | | | 1267 | 0.21 | | |
| | | | 1268 | 0.06 | | |
| | | | 1269 | 0.14 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----|-----|---------|------|-----|-----|
| | | | 1273 | 0.21 | | |
| | | | 1279 | 0.13 | | |
| | | | 1511 | 0.04 | | |
| | | | 1514 | 0.02 | | |
| | | | 1515 | 0.01 | | |
| | | | 1517 | 0.07 | | |
| | | | 1521 | 0.04 | | |
| | | | 1522 | 0.08 | | |
| | | | 1551 | 0.03 | | |
| | | | 1552/1 | 0.11 | | |
| | | | 1554 | 0.02 | | |
| | | | 1553 | 0.02 | | |
| | | | 1555/1 | 0.04 | | |
| | | | 1555/2 | 0.02 | | |
| | | | 1555/3 | 0.01 | | |
| | | | 1624 | 0.01 | | |
| | | | 1625 | 0.03 | | |
| | | | 1628 | 0.08 | | |
| | | | 1629 | 0.11 | | |
| | | | 1643 | 0.01 | | |
| | | | 1644 | 0.14 | | |
| | | | 1645 | 0.01 | | |
| | | | 1673 | 0.04 | | |
| | | | 1674 | 0.06 | | |
| | | | 1676 | 0.05 | | |
| | | | 1677 | 0.02 | | |
| | | | 1756 | 0.08 | | |
| | | | 1757 | 0.04 | | |
| | | | 1758 | 0.03 | | |
| | | | 1759 | 0.03 | | |
| | | | 1765 | 0.05 | | |
| | | | 1766 | 0.07 | | |
| | | | 1768 | 0.01 | | |
| | | | 1770 | 0.09 | | |
| | | | 1775 | 0.10 | | |
| | | | 1777 | 0.01 | | |
| | | | 1778 | 0.10 | | |
| | | | 1974 | 0.01 | | |
| | | | 1977 | 0.12 | | |
| | | | 1979 | 0.10 | | |
| | | | 1980 | 0.07 | | |
| | | | 1992 | 0.03 | | |
| | | | 2054 | 0.02 | | |
| | | | कुल योग | 3.94 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 मई 2013

क्र.-भूमि संपादन-2013-3338.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| जिला | भूमि का वर्णन | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|---------------|------------------|---------------------------------------|--|--|
| | तहसील | नगर/ग्राम | निजी भूमि क्षेत्रफल/रकबा (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उज्जैन | उज्जैन | ग्राम गोयलाखुर्द | 1.332 | भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन | इन्दौर उज्जैन फोरलेन मार्ग पर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी तक सर्विस रोड निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 मई 2013

क्र. 1092-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | भूमि का विवरण | | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|---------------|-----------|-----------------------------|--|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | सिरमौर | मझियार | 2.538 | कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा. | क्यौंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 मई 2013

क्र. 1114-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का विवरण | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|---------------|---------------|-----------------------------|---|--|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | रामपुर बधेलान | सिजहटा | 0.498 | कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग, क्रमांक-2, सतना. | बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1156-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का विवरण | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|-------|---------------|-----------------------------|--|---|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | गुढ़ | शिवपुरवा 601 | 0.040 | कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सम्भाग क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़, रीवा. | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मरुगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु आने वाली परिसम्पत्तियों का अर्जन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1168-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का विवरण | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------|---------------|-----------------------------|---|---|
| | | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | सिरमौर | ग्राम उमरी | 3.886 | कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा. | बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत दुलहारा सब माइनर नं.-2 नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 14 मई 2013

प्र. क्र. 6602-अ-प्र.भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन | |
|------|-------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | नगर/ग्राम एवं प. ह. नं. | लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं. कुल रकबा (हेक्टर में) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सागर | रहली | रहली खास/20 | 1 | 0.140 | संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर (म. प्र.). | बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत रहली बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन. |
| | | | योग . . | 0.140 | | |

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 15-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ग्वालियर | चीनौर | आंतरी | 0.662 | कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, जिला ग्वालियर. | हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण हेतु. |
| योग . . | | | 0.662 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. 17-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ग्वालियर | चीनौर | करहिया | 0.124 | कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, | हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु. |
| योग . . | | | 0.124 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 18-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ग्वालियर | भितरवार | बाजना | 0.289 | कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा. | हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु. |
| योग . . | | | 0.289 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 14 मई 2013

प्र. क्र. 05-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|--------------|--------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | ख. न. | कुल रकबा | अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में) |
| रायसेन | बेगमगंज | पिपलिया | 76/1/1 | 1.011 | कार्यपालन यंत्री, सेमरी नहर निर्माण जल संसाधन विभाग, संभाग रायसेन. |
| | | बखतसिंह | 76/1/2/1/1 | 0.587 | |
| | | | 76/1/2/2/1 | 0.214 | |
| | | | 76/1/2/2/2 | 0.210 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|---------|------------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | पिपलिया | 76/1/2/2 | 0.425 | |
| | | बखतसिंह | 76/2/1/1 | 1.392 | |
| | | | 76/2/1/2 | 0.809 | |
| | | | 76/2/1/3 | 0.405 | |
| | | | 76/2/2/1 | 1.979 | |
| | | | 76/2/2/2 | 1.036 | |
| | | | 74/2 | 1.295 | 0.809 |
| | | | 74/1 | 1.295 | |
| | | | 73/1/1 | 2.430 | |
| | | | 73/1/2 | 0.218 | |
| | | | 73/2/1 | 0.809 | 0.226 |
| | | | 73/2/2 | 1.831 | |
| | | | 67/1/1 | 2.233 | |
| | | | 67/1/2/1 | 0.619 | |
| | | | 67/1/2/2/1 | 0.809 | |
| | | | 67/1/2/3/1 | 0.405 | 1.160 |
| | | | 67/1/2/2/2 | 0.809 | |
| | | | 67/1/2/3/2 | 0.405 | |
| | | | 67/2/1 | 0.952 | |
| | | | 67/2/2 | 0.809 | |
| | | | 60/1 | 0.809 | |
| | | | 60/2/1 | 0.757 | |
| | | | 60/2/2 | 0.757 | 0.588 |
| | | | 60/2/3 | 0.960 | |
| | | | 60/2/4 | 0.202 | |
| | | | 60/2/5 | 0.202 | |
| | | | 60/2/6 | 0.202 | |
| | | | 55 | 0.996 | 0.435 |
| | | | 54/1 | 0.346 | 0.281 |
| | | | 54/2 | 0.346 | |
| | | | 53/1 | 0.202 | 0.392 |
| | | | 53/2 | 0.490 | |
| | | | 200/52 | 1.141 | 0.380 |
| | | | 52 | 0.595 | 0.097 |
| | | | 157 | 2.711 | 0.321 |
| | | | 156/1 | 1.388 | 0.161 |
| | | | 156/2 | 1.040 | |
| | | | 155 | 0.733 | 0.041 |
| | | | 199/155/1 | 0.121 | |
| | | | 199/155/2 | 0.850 | 0.303 |
| | | | 199/155/3 | 0.850 | |
| | | | 153/1 | 2.201 | |
| | | | 153/2/1 | 1.339 | 0.356 |
| | | | 153/2/2 | 0.668 | |
| | | | 153/3 | 0.187 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | |
|----------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------|-------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | पिपलिया बखतसिंह | 85/1 | 1.539 | 0.182 | | | |
| | | | 85/2 | 2.379 | | | | |
| | | | 152 | 0.833 | 0.129 | | | |
| | | | 151 | 0.117 | 0.020 | | | |
| | | | 150/1 | 1.668 | 0.287 | | | |
| | | | 150/2 | 1.153 | | | | |
| | | | 149 | 0.825 | 0.170 | | | |
| | | | 180/1/1 | 0.405 | | | | |
| | | | 180/1/2 | 0.283 | | | | |
| | | | 180/1/3 | 0.283 | | | | |
| | | | 180/1/4 | 0.283 | | | | |
| | | | 180/1/5 | 0.283 | | | | |
| | | | 180/1/6 | 0.283 | 0.356 | | | |
| | | | 180/1/7 | 0.283 | | | | |
| | | | 180/2/1/1 | 0.303 | | | | |
| | | | 180/2/1/2 | 0.101 | | | | |
| | | | 180/181/1/2/2/1 | 0.554 | | | | |
| | | | 180/181/1/2/2/2 | 0.546 | | | | |
| | | | 180/2/3 | 0.853 | | | | |
| | | | 72/1 | 0.401 | 0.208 | | | |
| | | | 72/2 | 0.133 | | | | |
| | | | 57/1 | 1.044 | | | | |
| | | | 57/2 | 1.044 | 0.020 | | | |
| | | | 57/3 | 1.048 | | | | |
| | | | 57/4 | 1.047 | | | | |
| | | | रायसेन | बेगमगंज | परसौरा | 135/1 | 0.575 | 0.093 |
| | | | | | | 134 | 1.813 | 0.168 |
| 78 | 0.322 | 0.041 | | | | | | |
| 77 | 1.388 | 0.069 | | | | | | |
| 128 | 0.866 | 0.069 | | | | | | |
| 125 | 1.546 | 0.291 | | | | | | |
| 124 | 1.275 | 0.069 | | | | | | |
| 81 | 4.513 | 0.036 | | | | | | |
| 82/1 | 0.809 | 0.177 | | | | | | |
| 83 | 1.299 | 0.121 | | | | | | |
| 84/3 | 0.575 | 0.097 | | | | | | |
| 84/2 | 0.575 | 0.061 | | | | | | |
| 86 | 1.141 | 0.105 | | | | | | |
| 85/2/2 | 0.635 | 0.117 | | | | | | |
| 214/86/1 | 0.105 | 0.024 | | | | | | |
| 214/86/2 | 0.049 | | | | | | | |
| 13 | 0.716 | 0.073 | | | | | | |
| 10/2 | 1.886 | 0.198 | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | परसौरा | 10/1/2 | 0.547 | 0.089 |
| | | | 10/1/1 | 1.388 | 0.093 |
| | | | 9/1 | 0.081 | 0.004 |
| | | | 9/2 | 0.085 | 0.049 |
| | | | 7/2 | 1.263 | 0.024 |
| | | | 7/1 | 0.676 | 0.101 |
| | | | 8 | 0.587 | 0.105 |
| | | | 4/2/2 | 0.210 | 0.049 |
| रायसेन | बेगमगंज | खिरिया | 36/1/1 | 3.609 | 0.303 |
| | | नारायणदास | | | |
| | | | 35 | 0.089 | 0.028 |
| | | | 38 | 2.922 | 0.222 |
| | | | 47 | 0.251 | 0.049 |
| | | | 46 | 2.282 | 0.283 |
| | | | 44 | 4.876 | 0.433 |
| | | | 73/2 | 4.828 | 0.623 |
| | | | 64 | 8.534 | 0.211 |
| | | | 65 | 10.267 | 0.761 |
| | | | 66 | 2.517 | 0.041 |
| | | | 265 | 0.690 | 0.093 |
| | | | 263 | 0.555 | 0.198 |
| | | | 258 | 0.765 | 0.113 |
| | | | 207 | 0.688 | 0.105 |
| | | | 205 | 0.190 | 0.057 |
| | | | 204 | 0.219 | 0.081 |
| | | | 203/1 | 0.210 | 0.077 |
| | | | 203/2 | 0.150 | 0.036 |
| | | | 202/1 | 0.344 | 0.065 |
| | | | 202/2/1 | 0.587 | 0.154 |
| | | | 201/2 | 0.142 | 0.024 |
| | | | 201/1 | 0.372 | 0.117 |
| | | | 268 | 1.335 | 0.193 |
| | | | 269/1 | 0.736 | 0.085 |
| | | | 269/2 | 0.166 | |
| | | | 272/1 | 0.936 | 0.186 |
| | | | 272/2 | 0.166 | |
| | | | 275/1 | 0.518 | 0.081 |
| | | | 273 | 1.092 | 0.182 |
| | | | 282/273 | 2.003 | 0.154 |
| | | | 279/1 | 1.542 | 0.041 |
| | | | 244/1 | 1.043 | 0.113 |
| | | | 246, 247 | 6.394 | 0.716 |
| | | | 203/1 | 0.210 | 0.041 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|-----------|--------------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | खिरिया | 202/2/1 | 0.587 | 0.032 |
| | | नारायणदास | 200/2 | 0.276 | 0.028 |
| | | | 199/1 | 1.053 | 0.242 |
| | | | 197/1 | 0.627 | 0.105 |
| | | | 194/1/1/1क 1 | 1.228 | |
| | | | 194/1/1/1क 2 | 0.405 | |
| | | | 194/1/1/1 ख | 0.506 | |
| | | | 194/1/1/1 ग | 0.303 | |
| | | | 194/1/1/2/1 | 1.232 | |
| | | | 194/1/1/2/2 | 0.405 | |
| | | | 194/1/1/2 ख | 0.607 | 0.618 |
| | | | 194/1/1/2 ग | 0.202 | |
| | | | 194/1/2 | 0.843 | |
| | | | 194/1/3 | 1.254 | |
| | | | 194/1/4 | 1.297 | |
| | | | 194/1/5 | 1.056 | |
| | | | 194/2 | 0.627 | |
| | | | 182/1/1 | 2.185 | |
| | | | 182/1/2/1 | 1.340 | |
| | | | 182/1/2 | 1.347 | |
| | | | 182/1/2/3 | 1.359 | |
| | | | 182/1/3/1/1 | 0.405 | 0.293 |
| | | | 182/1/3/1/2 | 0.405 | |
| | | | 182/1/3/2 | 0.526 | |
| | | | 182/1/3/3 | 0.809 | |
| | | | 182/1/4 | 1.514 | |
| | | | 182/2 | 1.821 | |
| | | | 180/1/1 | 0.979 | |
| | | | 180/1/2 | 0.254 | |
| | | | 180/2 | 0.809 | 0.121 |
| | | | 180/3/1 | 0.532 | |
| | | | 180/3/2 | 0.534 | |
| | | | 178/1/4 | 1.376 | 0.012 |
| | | | 179/1 | 1.493 | 0.315 |
| | | | 116, 122/4 | 1,368 | 0.466 |
| | | | 241 | 3.023 | 0.105 |
| | | | 138 | 2.809 | 0.133 |
| | | | 151/1 | 1.113 | 0.218 |
| | | | 151/2 | 0.458 | |
| | | | 152 | 1.218 | 0.121 |
| | | | 146 | 0.393 | 0.085 |
| | | | 145 | 0.150 | 0.041 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|-------|-------------------------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | उचेरा | 135,136,138, 140/1/1 | 0.243 | |
| | | | 135,136,138, 140/1/2 | 0.405 | |
| | | | 135,136,138, 140/2 | 0.938 | |
| | | | 135,136,138, 140/3/1 | 1.619 | 0.395 |
| | | | 135,136,138, 140/3/2 | 0.805 | |
| | | | 135,136,138, 140/4/1 | 0.130 | |
| | | | 135,136,138, 140/4/2 | 0.129 | |
| | | | 137 | 0.975 | 0.081 |
| | | | 131/1 | 0.405 | 0.111 |
| | | | 131/2 | 0.259 | |
| | | | 147/1 | 0.809 | |
| | | | 147/2/1 | 0.708 | |
| | | | 146/1/1 | 0.551 | |
| | | | 147/2/2/1 | | |
| | | | 146/1/1 | 0.486 | 0.105 |
| | | | 147/2/2/2 | | |
| | | | 146/1/1 | 1.011 | |
| | | | 147/2/2/3 | | |
| | | | 148/1/1 | 1.348 | |
| | | | 148/1/2 | 1.343 | 0.243 |
| | | | 148/2/1 | 0.657 | |
| | | | 148/2/2 | 2.023 | |
| | | | 155/1 | 1.934 | 0.243 |
| | | | 155/2 | 1.931 | |
| | | | 156/1/1 | 0.283 | |
| | | | 156/1/2 | 0.692 | |
| | | | 156/1/3 | 0.562 | 0.154 |
| | | | 156/2/2/1 | 0.837 | |
| | | | 156/2/1 | 0.619 | |
| | | | 156/2/2/2 | 0.219 | |
| | | | 160 | 3.213 | 0.230 |
| | | | 48/1 | 0.365 | 0.170 |
| | | | 48/2 | 0.376 | |
| | | | 47 | 3.245 | 0.291 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|----------|-------------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | उचेरा | 37/1/1 | 0.158 | |
| | | | 37/2/1 | 0.161 | 0.154 |
| | | | 37/1/3 | 0.320 | |
| | | | 37/2 | 1.296 | |
| | | | 33/1 | 1.788 | 0.024 |
| | | | 33/2 | 1.793 | |
| | | | 35/1/1 | 0.405 | |
| | | | 35/1/2 | 0.809 | |
| | | | 35/2/1 | 0.582 | 0.461 |
| | | | 35/2/2 | 0.582 | |
| | | | 35/2/3 | 0.582 | |
| | | | 35/2/4 | 0.583 | |
| | | | 193 | 1.668 | 0.235 |
| | | | 192 | 1.295 | 0.073 |
| | | | 198/1/1 | 0.202 | |
| | | | 198/1/2/1 | 2.445 | |
| | | | 198/1/2/2 | 1.150 | 0.313 |
| | | | 198/2 | 1.659 | |
| | | | 198/3 | 0.214 | |
| | | | 200/1 | 0.719 | 0.186 |
| | | | 200/2 | 0.295 | |
| | | | 202, 203 | 0.429 | 0.089 |
| | | | 220 | 0.918 | |
| | | | 221/1 | | 0.266 |
| | | | 220 | 3.761 | |
| | | | 221/2 | | |
| | | | 211/1 | 0.518 | 0.041 |
| | | | 211/2 | 0.235 | |
| | | | 218/2/2 | 1.141 | 0.121 |
| | | | 218/2/1 | 1.416 | 0.161 |
| | | | 217/1 | 1.214 | 0.161 |
| | | | 271/215 | 0.494 | 0.032 |
| | | | 270/244/1 | 0.401 | 0.185 |
| | | | 270/244/2 | 0.125 | |
| | | | 274/244/1 | 1.339 | |
| | | | 274/244/2 | 0.547 | |
| | | | 274/244/3/1 | 0.093 | 0.238 |
| | | | 274/244/3/2 | 0.093 | |
| | | | 274/244/4 | 0.170 | |
| | | | 274/244/5 | 0.591 | |
| रायसेन | बेगमगंज | पांडाझिर | 18/2 | 0.809 | |
| | | | 18/1/1 | 0.409 | |
| | | | 18/1/3 | 0.409 | 0.173 |
| | | | 18/1/4 | 0.405 | |
| | | | 18/1/2 | 0.409 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | पांडाझिर | 17 | 0.781 | 0.153 |
| | | | 23/3 | 1.365 | 0.041 |
| | | | 27 | 0.709 | 0.096 |
| | | | 26/1 | 0.182 | |
| | | | 26/3 | 0.176 | 0.041 |
| | | | 26/2 | 0.134 | |
| | | | 24/1 | 0.178 | 0.255 |
| | | | 24/2 | 0.178 | |
| | | | 23/2 | 0.668 | 0.013 |
| | | | 25/1 | 0.125 | 0.041 |
| | | | 25/2 | 0.393 | |
| | | | 31 | 0.652 | 0.041 |
| | | | 32, 33, 34, 35, | 0.635 | 0.065 |
| | | | 36/2/2 | | |
| | | | 32, 33, 34, 35 | 0.607 | 0.127 |
| | | | 36/2/1 | | |
| | | | 32, 33, 34, 35 | 0.433 | |
| | | | 36/3/1 | | |
| | | | 32, 33, 34, 35 | 0.202 | 0.184 |
| | | | 36/3/2/1 | | |
| | | | 32, 33, 34, 35, | 0.202 | |
| | | | 36/3/2/2/1 | | |
| | | | 32, 33, 34, 35, | 0.405 | |
| | | | 36/3/2/2/2 | | |
| | | | 44/1 | 1.501 | 0.311 |
| | | | 44/2/1 | 0.745 | 0.096 |
| | | | 43/2/2 | 0.589 | 0.222 |
| | | | 42 | 1.923 | 0.630 |
| | | | 50 | 0.959 | 0.049 |
| | | | 44/2/2 | 0.741 | 0.065 |
| | | | 46/1/1 | 0.405 | 0.009 |
| | | | 46/1/2 | 2.642 | |
| | | | 47/1 | 0.303 | 0.325 |
| | | | 47/2 | 0.648 | |
| | | | 48/1/1 | 0.405 | 0.057 |
| | | | 48/1/2 | 1.326 | |
| | | | 56, 57, 59/2 | 2.849 | |
| | | | 62/2/1 | | |
| | | | 56, 57, 59/2 | 0.830 | |
| | | | 62/2/1/2 | | |
| | | | 56, 57, 59/2 | 0.793 | 1.070 |
| | | | 62/2/1/3 | | |
| | | | 56, 57, 59/2 | 0.510 | |
| | | | 62/2/1/6/4 | | |
| | | | 62/1/2/1 | 1.414 | |
| | | | 62/1/1/2/1/2 | 1.214 | |
| | | | 62/1/1/2/2 | 2.023 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|----------|-------------|--------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | पांडाझिर | 61/1 | 0.040 | |
| | | | 61/2/1 | 3.240 | 0.293 |
| | | | 61/2/2 | 1.011 | |
| | | | 61/2/3 | 2.598 | |
| | | | 69/1 | 1.619 | |
| | | | 69/2 | 1.619 | 0.141 |
| | | | 69/3 | 3.249 | |
| | | | 205 | 0.356 | 0.049 |
| | | | 206 | 0.672 | 0.012 |
| | | | 207/1/1/1 | 0.607 | |
| | | | 207/1/1/2 | 0.761 | |
| | | | 207/1/2 | 0.676 | |
| | | | 207/1/3/1 | 0.450 | 0.363 |
| | | | 207/1/3/2 | 0.121 | |
| | | | 207/1/3/3 | 0.121 | |
| | | | 404/203/1 | 0.125 | 0.061 |
| | | | 202/1 | 1.773 | 0.272 |
| | | | 202/3 | 0.121 | |
| | | | 200/1/1/1 | 3.448 | |
| | | | 200/1/1/2 | 0.769 | 0.363 |
| | | | 200/1/2 | 0.405 | |
| | | | 192/1/1 | 1.380 | |
| | | | 192/1/2/1 | 1.020 | |
| | | | 192/1/2/2 | 0.360 | 0.345 |
| | | | 192/1/3 | 1.380 | |
| | | | 192/3 | 2.225 | |
| | | | 148/1 | 0.405 | 0.202 |
| | | | 148/2/1 | 0.308 | |
| | | | 149/1 | 1.177 | 0.024 |
| | | | 149/2 | 1.174 | |
| | | | 150/1 | 0.259 | 0.012 |
| | | | 150/2 | 0.259 | |
| | | | 142/1 | 0.809 | |
| | | | 142/2/1 | 0.085 | 0.186 |
| | | | 142/2/2 | 0.085 | |
| | | | 139/1/1 | 15.556 | |
| | | | 139/1/3 | 0.489 | |
| | | | 139/2/1 | 0.518 | 0.939 |
| | | | 139/2/2 | 0.518 | |
| | | | 137/1/1/1 | 1.194 | |
| | | | 137/1/2/1/1 | 0.506 | |
| | | | 137/1/1/2/2 | 0.506 | |
| | | | 137/1/1/2/1 | 0.821 | 0.041 |
| | | | 137/1/1/2/2 | 0.494 | |
| | | | 137/1/2 | 0.809 | |
| | | | 137/2 | 2.845 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| | | 195/3 | 0.161 | 0.061 | |

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | | | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|--------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| | | | ख. न. | कुल रकबा (हे. में) | अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में) | |
| रायसेन | बेगमगंज | विछुआ | 65 | 0.093 | 0.093 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन. |
| | | | 66 | 0.138 | 0.138 | |
| | | | 63/2 | 1.214 | 0.858 | |
| | | | 89 | 0.454 | 0.254 | |
| | | | 90 | 1.206 | 0.206 | |
| | | | 88 | 0.421 | 0.190 | |
| | | | 64 | 0.482 | 0.201 | |
| | | | 49 | 1.173 | 0.463 | |
| | | | 50 | 0.603 | 0.603 | |
| | | | 58 | 0.146 | 0.073 | |
| | | | 59 | 0.789 | 0.097 | |
| | | | 68 | 0.308 | 0.308 | |
| | | | 69 | 0.433 | 0.433 | |
| | | | 70 | 0.049 | 0.049 | |
| | | | 71 | 0.061 | 0.061 | |
| रायसेन | बेगमगंज | विछुआ | 52 | 0.206 | 0.105 | |
| | | | 212/56/2 | 0.028 | 0.028 | |
| | | | 77 | 0.012 | 0.012 | |
| | | | 79 | 0.898 | 0.898 | |
| | | | 81 | 0.744 | 0.344 | |
| | | | 95 | 0.186 | 0.186 | |
| | | | 74 | 1.177 | 0.080 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|----------------|--------|-------|-------|
| | | 72/1 | 1.133 | 0.233 | |
| | | 80 | 0.304 | 0.304 | |
| | | 212/56/1 | 0.053 | 0.053 | |
| | | 55 में से 55/1 | | | |
| | | 55/2/1 | 2.403 | 0.225 | |
| | | 55/2/2 | | | |
| | | 93 में से 93/1 | 1.012 | 0.283 | |
| | | 93/2 | | | |
| | | 82/2 | 0.182 | 0.113 | |
| | | 92/2 | 0.392 | 0.040 | |
| | | 83/2 | 0.676 | 0.161 | |
| | | 60 में से 60/1 | 1.349 | 0.404 | |
| | | 60/2 | | | |
| | | 56 में से | 1.198 | 0.769 | |
| | | 56/1/1 | | | |
| | | 56/1/2 | | | |
| | | 56/2 | | | |
| रायसेन | बेगमगंज | केकडा | 65 | 0.486 | 0.072 |
| | | | 66/1 | 0.761 | 0.404 |
| | | | 67 | 0.745 | 0.360 |
| | | | 32/1 | 1.603 | 0.980 |
| | | | 30 | 0.890 | 0.550 |
| | | | 29/1/1 | 0.409 | 0.409 |
| | | | 31/1/1 | 0.486 | 0.486 |
| | | | 28 | 1.052 | 0.800 |
| | | | 27 | 2.816 | 2.816 |
| | | | 48 | 0.380 | 0.380 |
| | | | 46 | 0.356 | 0.090 |
| | | | 49, 50 | 2.918 | 2.918 |
| | | | 60 | 1.349 | 1.349 |
| | | | 47 | 0.412 | 0.412 |
| | | | 43/1/1 | 1.619 | 0.162 |
| | | | 69 | 1.481 | 0.780 |
| | | | 66/2 | 0.262 | 0.262 |
| | | | 71/1 | 0.304 | 0.089 |
| | | | 72/3 | 0.474 | 0.474 |
| | | | 73/1 | 0.405 | 0.405 |
| | | | 74 | 0.198 | 0.198 |
| | | | 71/2 | 0.405 | 0.080 |
| रायसेन | बेगमगंज | केकडा | 72/4 | 0.875 | 0.875 |
| | | | 72/1 | 0.101 | 0.080 |
| | | | 81/3 | 1.540 | 0.121 |
| | | | 71/3 | 0.474 | 0.121 |
| | | | 72/5 | 0.583 | 0.583 |
| | | | 72/2 | 0.162 | 0.130 |
| | | | 73/2 | 0.162 | 0.162 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|-------|----------|-------|-------|
| | | | 81/2 | 0.988 | 0.080 |
| | | | 3 | 0.563 | 0.563 |
| | | | 4 | 3.573 | 3.573 |
| | | | 5 | 0.457 | 0.457 |
| | | | 6 | 2.306 | 2.306 |
| | | | 7 | 0.704 | 0.704 |
| | | | 8 | 1.104 | 1.104 |
| | | | 55/4 | 0.081 | 0.81 |
| | | | 86/55 | 0.077 | 0.077 |
| | | | 56 | 0.223 | 0.223 |
| | | | 53/4 | 0.162 | 0.162 |
| | | | 54/4 | 1.327 | 1.327 |
| | | | 13/2 | 0.405 | 0.405 |
| | | | 13/1/1/2 | 0.405 | 0.405 |
| | | | 13/1/4/2 | 0.041 | 0.041 |
| | | | 18/2 | 0.162 | 0.162 |
| | | | 10/2/1 | 0.073 | 0.073 |
| | | | 11 | 0.117 | 0.117 |
| | | | 13/1/4/1 | 0.453 | 0.453 |
| | | | 12/1 | 0.377 | 0.377 |
| | | | 10/1/1 | 0.809 | 0.809 |
| | | | 14 | 0.053 | 0.053 |
| | | | 15 | 1.169 | 1.169 |
| | | | 16/1 | 0.680 | 0.680 |
| | | | 17/1 | 1.405 | 1.405 |
| | | | 18/1 | 0.154 | 0.154 |
| | | | 19/1 | 0.183 | 0.183 |
| | | | 22/2 | 0.405 | 0.405 |
| | | | 23/2 | 2.023 | 2.023 |
| | | | 24/2 | 0.235 | 0.235 |
| | | | 10/1/2 | 0.308 | 0.308 |
| | | | 16/2 | 0.809 | 0.809 |
| | | | 17/2 | 1.011 | 1.011 |
| | | | 20 | 0.518 | 0.518 |
| | | | 90/19 | 0.202 | 0.202 |
| | | | 10/2/2 | 0.073 | 0.073 |
| | | | 13/1/1/1 | 0.085 | 0.085 |
| रायसेन | बेगमगंज | केकडा | 13/1/2/1 | 0.603 | 0.603 |
| | | | 19/2/2 | 0.141 | 0.141 |
| | | | 10/2/4 | 0.069 | 0.069 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|--------|---------|--------|----------|-------|--------|-----|
| | | | 13/1/2/2 | 0.404 | 0.404 | |
| | | | 13/1/3 | 0.970 | 0.970 | |
| | | | 19/2/1 | 0.141 | 0.141 | |
| | | | 10/2/3 | 0.069 | 0.069 | |
| | | | 12/2 | 0.041 | 0.041 | |
| | | | 21 | 0.825 | 0.825 | |
| | | | 22/1 | 0.414 | 0.414 | |
| | | | 24/1 | 0.279 | 0.279 | |
| | | | 23/1 | 2.531 | 2.531 | |
| | | | 53/1 | 0.166 | 0.166 | |
| | | | 54/1 | 1.323 | 1.323 | |
| | | | 55/1 | 0.081 | 0.081 | |
| | | | 53/2 | 0.162 | 0.162 | |
| | | | 54/2 | 1.323 | 1.323 | |
| | | | 55/2 | 0.081 | 0.081 | |
| | | | 53/3 | 0.162 | 0.162 | |
| | | | 54/3 | 1.327 | 1.327 | |
| | | | 55/3 | 0.081 | 0.081 | |
| | | | 58 | 0.190 | 0.190 | |
| | | | 59 | 0.117 | 0.117 | |
| | | | 61 | 1.904 | 1.904 | |
| | | | 62 | 0.028 | 0.028 | |
| | | | 63 | 0.316 | 0.316 | |
| | | | 37/2 | 1.214 | 0.610 | |
| | | | 64/1 | 1.214 | 0.214 | |
| | | | 64/2 | 1.178 | 0.490 | |
| | | | 31/1/2 | 1.307 | 1.307 | |
| | | | 91/32 | 0.170 | 0.170 | |
| | | | 26 | 2.152 | 2.152 | |
| | | | 25 | 0.134 | 0.134 | |
| | | | 52 | 0.109 | 0.109 | |
| | | | 33/3 | 0.409 | 0.1980 | |
| | | | 31/2 | 0.392 | 0.392 | |
| | | | 78 | 2.792 | 0.914 | |
| | | | 77 | 0.817 | 0.817 | |
| रायसेन | बेगमगंज | ककरूआ | 2/1 | 2.023 | 2.023 | |
| | | गुलाब. | 2/2 | 2.023 | 0.607 | |
| | | | 2/3 | 2.023 | 0.397 | |
| | | | 2/4 | 2.023 | 0.162 | |
| | | | 44 | 2.411 | 0.405 | |

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| | | | ख. न. | कुल रकबा (हे. में) | अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में) | |
| रायसेन | बेगमगंज | पिपलिया बरई | 329/2 | 2.408 | 0.324 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन |
| | | | 328/1/1 | 0.660 | | |
| | | | 328/1/2 | 0.170 | | |
| | | | 329/4 | 2.602 | 0.255 | |
| | | | 336 | 6.074 | 0.478 | |
| | | | 338 | 0.190 | 0.032 | |
| | | | 337 | 2.562 | 0.121 | |
| | | | 340 | 0.429 | 0.036 | |
| | | | 347/1 | 1.135 | 0.036 | |
| | | | 347/2 | 0.277 | | |
| | | | 346 | 0.668 | 0.073 | |
| | | | 344/1/1 | 1.619 | | |
| | | | 344/1/2 | 0.222 | | |
| | | | 344/2/1 | 1.756 | 0.316 | |
| | | | 344/2 | 0.097 | | |
| | | | 306/1 | 0.081 | 0.045 | |
| | | | 306/2 | 0.081 | | |
| | | | 307 | 0.109 | 0.049 | |
| | | | 305 | 0.372 | 0.049 | |
| | | | 304/1/1 | 0.563 | | |
| | | | 304/1/2 | 0.345 | 0.134 | |
| | | | 304/2 | 0.202 | | |
| | | | 310 | 1.193 | 0.227 | |
| | | | 311/1 | 0.303 | 0.190 | |
| | | | 311/2 | 0.303 | | |
| | | | 185, 186 | 0.841 | 0.134 | |
| | | | 187, 188 | 1.574 | 0.085 | |
| | | | 190/1 | 0.742 | 0.241 | |
| | | | 190/2 | 0.746 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|--------|---------|-------------|--------------|-------|-------|-----|
| रायसेन | बेगमगंज | पिपलिया बरई | 201-202 | 0.202 | 0.065 | |
| | | | 205 | 0.049 | 0.024 | |
| | | | 206/1 | 0.032 | 0.012 | |
| | | | 206/2 | 0.057 | | |
| | | | 204 | 0.364 | 0.041 | |
| | | | 210 | 0.081 | 0.032 | |
| | | | 209 | 0.866 | 0.020 | |
| | | | 212 | 0.198 | 0.065 | |
| | | | 213 | 0.324 | 0.097 | |
| | | | 129 | 0.081 | 0.069 | |
| | | | 128 | 0.036 | 0.020 | |
| | | | 130, 133/1 | 0.833 | | |
| | | | 130, 133/2/1 | 0.417 | 0.239 | |
| | | | 130, 133/2/2 | 0.417 | | |
| | | | 126 | 1.141 | 0.113 | |
| | | | 127/1 | 0.073 | | |
| | | | 127/2 | 0.077 | 0.073 | |
| | | | 134 | 5.030 | 0.117 | |
| | | | 118 | 0.105 | 0.016 | |
| | | | 119/1/1 | 1.133 | | |
| | | | 119/1/2 | 0.526 | | |
| | | | 119/2/1 | 1.651 | 0.414 | |
| | | | 119/2/2 | 1.417 | | |
| | | | 119/3 | 0.813 | | |
| | | | 56/1 | 2.640 | 0.587 | |
| | | | 56/2 | 2.647 | | |
| | | | 54, 55/1 | 1.618 | 0.069 | |
| | | | 54, 55/2 | 2.214 | | |
| | | | 49 | 0.170 | 0.081 | |
| | | | 50 | 0.575 | 0.004 | |
| | | | 36/1 | 0.817 | 0.356 | |
| | | | 36/2 | 2.263 | | |
| | | | 37/1 | 0.226 | | |
| | | | 37/2 | 0.227 | 0.138 | |
| | | | 37/3 | 0.227 | | |
| | | | 37/4 | 0.226 | | |
| | | | 39 | 1.846 | 0.231 | |
| | | | 33/1/1 | 0.749 | | |
| | | | 33/1/2 | 0.748 | 0.364 | |
| | | | 33/2 | 0.968 | | |
| | | | 25/1 | 1.214 | | |
| | | | 25/2 | 0.809 | | |
| | | | 25/2/2 | 2.142 | 0.558 | |
| | | | 25/3/1 | 0.405 | | |
| | | | 25/3/2 | 0.466 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| रायसेन | बेगमगंज | पिपलिया बरई | 26/1 | 1.214 | 0.368 |
| | | | 26/2 | 0.380 | |
| | | | 48 | 2.027 | 0.202 |
| | | | 47/1 | 1.052 | 0.214 |
| | | | 47/2 | 1.714 | |
| | | | 59/1 | 0.255 | |
| | | | 59/2 | 0.089 | |
| | | | 59/3 | 0.518 | 0.081 |
| | | | 59/4 | 0.361 | |
| | | | 60/1 | 0.534 | 0.032 |
| | | | 60/2 | 0.619 | |
| | | | 61/1 | 0.223 | |
| | | | 61/2 | 0.716 | 0.162 |
| | | | 61/3 | 0.174 | |
| | | | 66/1/1 | 0.320 | |
| | | | 66/1/2 | 0.320 | 0.073 |
| | | | 66/2/1 | 0.109 | |
| | | | 66/2/2 | 0.464 | |
| | | | 65 | 0.454 | 0.009 |
| | | | 44/1/1 | 1.382 | |
| | | | 44/1/2 | 0.405 | |
| | | | 44/2/1 | 0.878 | 0.380 |
| | | | 44/2/2/1 | 0.390 | |
| | | | 44/2/2/2 | 0.526 | |
| | | सलैया | 178 | 3.064 | 0.483 |
| | | | 176 | 0.097 | 0.028 |
| | | | 175/1 | 0.914 | 0.423 |
| | | | 175/2 | 1.069 | |
| | | | 168/1 | 1.635 | 0.438 |
| | | | 168/2 | 1.635 | |
| | | नैनविलास | 269 | 2.869 | 0.275 |
| | | | 270 | 2.983 | 0.825 |
| | | | 271 | 2.068 | 0.316 |
| | | | 275/1/1 | 0.346 | |
| | | | 275/1/2 | 0.346 | |
| | | | 275/2/2 | 0.561 | 0.129 |
| | | | 275/2/1 | 0.130 | |
| | | | 273/1/1 | 0.607 | |
| | | | 273/1/2/1 | 0.809 | |
| | | | 273/1/2/2 | 0.809 | 0.405 |
| | | | 273/2/1 | 0.405 | |
| | | | 273/2/2 | 0.312 | |
| | | | 273/3 | 0.717 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|----------|---------------|-------|-------|
| | | नैनविलास | 155/1 | 0.121 | 0.073 |
| | | | 155/2 | 0.134 | |
| | | | 156/1 | 0.291 | 0.227 |
| | | | 156/2 | 0.279 | |
| | | | 157/1/1 | 0.882 | 0.332 |
| | | | 157/1/2 | 0.141 | |
| | | | 157/2/1 | 0.405 | 0.146 |
| | | | 157/2/2 | 0.405 | 0.113 |
| | | | 157/2/3 | 0.213 | 0.081 |
| | | | 52/3 | 1.517 | 0.299 |
| | | | 104/1 | 9.267 | |
| | | | 105, 106, 107 | | 0.647 |
| | | | 104/2 | 0.040 | |
| | | | 89 | 2.602 | 0.186 |
| | | | 86 | 3.241 | 0.162 |
| | | | 88 | 1.092 | 0.137 |
| | | | 87 | 0.644 | 0.105 |
| | | | 52/2 | 1.517 | 0.129 |
| | | | 52/1 | 1.913 | 0.194 |
| | | | 30 | 1.740 | 0.267 |
| | | | 35 | 3.213 | 0.324 |
| | | | 19/1 | 1.113 | 0.009 |
| | | | 29 | 1.728 | 0.194 |
| | | | 19/2 | 2.335 | 0.174 |
| | | | 16/1 | 0.753 | 0.129 |
| | | | 15 | 0.652 | 0.121 |
| | | | 13/2 | 2.059 | 0.024 |
| | | | 14 | 0.332 | 0.073 |
| | | | 8 | 0.922 | 0.065 |
| | | | 9 | 0.619 | 0.016 |
| | | | 4 | 3.917 | 0.421 |
| | | | 3 | 2.213 | 0.178 |
| | | | 235 | 1.477 | 0.097 |
| | | | 239 | 0.890 | 0.287 |
| | | | 238 | 1.267 | 0.279 |
| | | छोला | 175/2/1 | 0.405 | |
| | | | 175/2/3 | 1.064 | 0.202 |
| | | | 175/2/2 | 1.064 | |
| | | | 162/1 | 1.250 | 0.097 |
| | | | 194/163 | 0.397 | 0.049 |
| | | | 162/2 | 4.185 | 0.381 |
| | | | 161/1 | 8.576 | 0.454 |
| | | | 161/2/1 | 4.047 | 0.190 |
| | | | 160 | 3.407 | 0.377 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|------|------------------|-------|-------|
| | | छोला | 158/1 | 0.736 | 0.218 |
| | | | 158/2 | 0.741 | |
| | | | 105/3 | 2.047 | 0.162 |
| | | | 105/2 | 2.023 | 0.016 |
| | | | 109/2 | 3.828 | 0.324 |
| | | | 109/1 | 3.832 | 0.235 |
| | | | 57/2 | 2.428 | 0.202 |
| | | | 57/1 | 0.971 | 0.061 |
| | | | 56/2/2/2 | 0.821 | 0.142 |
| | | | 56/2/2/1 | 0.809 | 0.142 |
| | | | 56/1 | 2.027 | 0.121 |
| | | | 45 | 4.375 | 0.226 |
| | | | 25, 26, 27 | 0.275 | 0.041 |
| | | | /1/3/1 | | |
| | | | 25/26/27 | 0.946 | 0.324 |
| | | | /1/3/2 | | |
| | | | 25, 26, 27/1/2 | 1.651 | 0.393 |
| | | | 25/26/27/2/1 | 0.914 | 0.121 |
| | | | 15/4 | 1.412 | 0.113 |
| | | | 24 | 3.261 | 0.101 |
| | | | 15/3 | 2.025 | 0.150 |
| | | | 19, 20, 179/18/1 | 1.954 | |
| | | | 19, 20, 179/18/2 | 1.950 | 0.275 |
| | | | 19, 20, 179/18/3 | 1.950 | |
| | | | 21/1 | 0.218 | 0.049 |
| | | | 21/2/1 | 0.567 | 0.024 |
| | | | 21/2/2 | 1.355 | |
| | | | 201/18 | 1.214 | 0.162 |
| | | | 18/1 | 0.728 | 0.045 |
| | | | 44/2 | 2.262 | 0.202 |
| | | | 44/1 | 2.100 | 0.194 |
| | | | 29 | 3.161 | 0.158 |
| | | | 30 | 1.218 | 0.162 |
| | | | 159/1 | 0.821 | 0.162 |
| | | | 159/2 | 0.818 | |
| | | | 156/1/1 | 0.922 | |
| | | | 156/1/2 | 0.919 | 0.045 |
| | | | 156/2 | 1.841 | |
| | | | 157/1/1 | 1.181 | 0.275 |
| | | | 157/1/2 | 1.178 | |
| | | | 128/2/1 | 1.134 | 0.255 |
| | | | 128/1 | 0.607 | 0.146 |
| | | | 126 | 0.433 | 0.012 |
| | | | 125 | 0.709 | 0.065 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|-----|-----|---------------|------------|-------|-------|-----|
| | | छोला | 123/1 | 1.140 | 0.085 | |
| | | | 123/2 | 0.353 | 0.057 | |
| | | | 124/1 | 1.173 | 0.041 | |
| | | | 119/2/2 | 1.438 | 0.077 | |
| | | | 124/2 | 0.353 | 0.028 | |
| | | मढ़िया निवारी | 277/2 | 0.809 | 0.154 | |
| | | | 277/1 | 2.691 | 0.081 | |
| | | | 275 | 0.259 | 0.125 | |
| | | | 423/272 | 3.137 | 0.401 | |
| | | | 271/1/1/1 | 1.995 | 0.110 | |
| | | | 271/1/1/2 | 0.405 | 0.145 | |
| | | | 203 | 2.318 | 0.263 | |
| | | | 200 | 0.243 | 0.049 | |
| | | | 199 | 5.808 | 0.202 | |
| | | | 101, 102/3 | 1.169 | | |
| | | | 101, 102/2 | 1.619 | 0.243 | |
| | | | 101, 102/4 | 1.822 | | |
| | | | 101, 102/1 | 1.259 | | |
| | | | 103/2/1 | 0.801 | 0.057 | |
| | | | 103/2/2 | 0.801 | 0.121 | |
| | | | 103/1/1 | 0.384 | 0.097 | |
| | | | 98/3 | 0.235 | 0.036 | |
| | | | 96/3 | 1.619 | 0.085 | |
| | | | 97/1 | 1.416 | 0.032 | |
| | | | 96/2 | 1.242 | 0.149 | |
| | | | 96/1 | 1.33 | 0.133 | |
| | | | 95 | 0.591 | 0.137 | |
| | | | 94/1 | 0.632 | 0.041 | |
| | | | 264 | 3.500 | 0.227 | |
| | | | 263/1 | 2.144 | 0.277 | |
| | | | 262 | 2.493 | 0.299 | |
| | | | 244 | 1.995 | 0.117 | |
| | | | 242/3 | 1.659 | 0.275 | |
| | | | 246 | 1.408 | 0.049 | |
| | | | 242/2 | 1.602 | 0.093 | |
| | | | 242/1 | 0.765 | 0.004 | |
| | | | 239/3 | 0.283 | 0.004 | |
| | | | 239/2 | 0.465 | 0.036 | |
| | | | 237/2 | 0.655 | 0.057 | |
| | | | 237/1 | 1.684 | 0.113 | |
| | | | 238 | 0.567 | 0.049 | |
| | | | 233 | 4.346 | 0.129 | |
| | | | 251 | 0.146 | 0.032 | |
| | | | 252/1 | 1.179 | 0.138 | |
| | | | 252/2 | 1.174 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|---------------|-----------|-------|-------|
| | | मढ़िया निवारी | 253/1 | 1.465 | 0.283 |
| | | | 254 | 0.684 | 0.142 |
| | | कोलुआ | 140/78 | 0.316 | 0.121 |
| | | | 78 | 1.080 | 0.125 |
| | | | 79/1 | 0.405 | 0.105 |
| | | | 79/2 | 0.405 | 0.049 |
| | | | 80 | 0.603 | 0.154 |
| | | | 82 | 3.990 | 0.389 |
| | | | 84/1 | 1.946 | 0.172 |
| | | | 84/2 | 1.647 | 0.186 |
| | | | 85 | 2.804 | 0.012 |
| | | | 35 | 2.225 | 0.133 |
| | | | 34 | 0.259 | 0.053 |
| | | | 33 | 2.043 | 0.223 |
| | | | 32 | 0.251 | 0.028 |
| | | | 135/26 | 7.620 | 0.405 |
| | | | 24/1 | 2.352 | 0.073 |
| | | | 13 | 2.007 | 0.170 |
| | | | 19 | 0.352 | 0.024 |
| | | | 18 | 0.251 | 0.032 |
| | | | 17 | 0.802 | 0.121 |
| | | हप्पिसली | 292 | 0.543 | 0.161 |
| | | | 291/1/1 | 1.312 | 0.194 |
| | | | 291/1/2 | 0.670 | |
| | | | 290 | 0.352 | 0.049 |
| | | | 296/1 | 0.935 | 0.101 |
| | | | 296/3/2 | 0.465 | 0.049 |
| | | | 296/3/1 | 0.465 | 0.085 |
| | | | 296/2 | 0.950 | 0.081 |
| | | | 302 | 1.602 | 0.206 |
| | | | 303 | 0.275 | 0.009 |
| | | | 310 | 0.065 | 0.009 |
| | | | 312 | 0.194 | 0.016 |
| | | | 318 | 1.226 | 0.307 |
| | | | 255/1 | 0.607 | 0.178 |
| | | | 255/2 | 0.708 | |
| | | | 256/2 | 0.328 | 0.169 |
| | | | 256/1 | 0.328 | |
| | | | 777/235/1 | 0.793 | 0.206 |
| | | | 777/235/2 | 0.081 | |
| | | | 235 | 1.011 | 0.178 |
| | | | 236 | 1.489 | 0.283 |
| | | | 234/1 | 0.809 | 0.016 |
| | | | 234/2 | 0.445 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|-----|-----|---------|--------------|-------|-------|-----|
| | | हप्सिली | 205 | 1.412 | 0.279 | |
| | | | 204 | 0.069 | 0.041 | |
| | | | 202 | 0.295 | 0.090 | |
| | | | 200, 203 | 0.445 | 0.193 | |
| | | | 535 | 0.874 | 0.185 | |
| | | | 537/1 | 0.299 | 0.110 | |
| | | | 537/2 | 0.307 | | |
| | | | 538-542 | 4.282 | 0.963 | |
| | | | 549/1 | 1.230 | 0.275 | |
| | | | 549/2 | 0.247 | | |
| | | | 550/1 | 0.546 | 0.202 | |
| | | | 550/2 | 0.546 | | |
| | | | 551/1 | 0.322 | 0.259 | |
| | | | 551/2 | 0.986 | | |
| | | | 552 | 1.222 | 0.283 | |
| | | | 536/1 | 0.457 | 0.141 | |
| | | | 536/2 | 0.458 | | |
| | | | 544/1 | 0.421 | 0.077 | |
| | | | 544/2 | 2.889 | | |
| | | | 531 | 0.805 | 0.113 | |
| | | | 528, 529/1 | 0.898 | | |
| | | | 528, 529/2/2 | 0.455 | | |
| | | | 528 | 0.405 | | |
| | | | 529/2/1/2/1 | | 0.230 | |
| | | | 528 | 0.088 | | |
| | | | 529/1/1/2/2 | | | |
| | | | 528 | 0.405 | | |
| | | | 529/1/1/2 | | | |
| | | | 518 | 1.372 | 0.238 | |
| | | | 519/1 | 0.725 | 0.125 | |
| | | | 519/2 | 0.700 | | |
| | | | 520/1/1 | 2.023 | | |
| | | | 520/1/2 | 1.619 | 0.450 | |
| | | | 520/2 | 2.811 | | |
| | | | 678/1 | 5.921 | 0.319 | |
| | | | 678/2 | 5.921 | 0.173 | |
| | | | 675, 676/1 | 1.619 | 0.251 | |
| | | | 675, 676/2 | 1.619 | 0.251 | |
| | | | 675, 676/3 | 1.602 | | |
| | | | 677 | 3.914 | 0.230 | |
| | | | 670/1 | 4.876 | | |
| | | | 670/2/1 | 4.082 | 0.188 | |
| | | | 670/2/2 | 0.794 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|---------|-----------|-------|-------|
| | | हप्पिली | 666/1/1 | 2.096 | |
| | | | 666/1/2 | 2.100 | 0.247 |
| | | | 666/2 | 4.202 | |
| | | | 667 | 0.494 | 0.073 |
| | | | 668 | 0.943 | 0.097 |
| | | | 664 | 0.142 | 0.009 |
| | | | 665 | 2.914 | 0.161 |
| | | | 530/2 | 0.417 | 0.073 |
| | | | 530/1 | 1.015 | 0.097 |
| | | | 517/1 | 1.116 | |
| | | | 517/2 | 1.121 | 0.215 |
| | | | 517/3 | 0.380 | |
| | | | 517/4 | 0.121 | |
| | | | 503 | 1.015 | 0.041 |
| | | | 502 | 0.117 | 0.020 |
| | | | 504 | 1.639 | 0.119 |
| | | | 514 | 0.210 | 0.004 |
| | | | 457 | 0.344 | 0.045 |
| | | | 455 | 0.324 | 0.105 |
| | | | 456 | 0.283 | 0.012 |
| | | | 454 | 0.368 | 0.028 |
| | | | 453/1 | 0.567 | 0.024 |
| | | | 453/2 | 0.020 | |
| | | | 444 | 0.308 | 0.036 |
| | | | 445/1 | 0.109 | 0.038 |
| | | | 445/2 | 0.020 | |
| | | | 443 | 4.083 | 0.401 |
| | | | 438/1/1 | 1.732 | |
| | | | 438/1/2/1 | 0.761 | 0.283 |
| | | | 438/1/2/2 | 0.971 | |
| | | | 438/2 | 1.137 | |
| | | | 728/1 | 0.073 | 0.093 |
| | | | 728/2 | 0.405 | |
| | | | 726/1 | 0.224 | 0.077 |
| | | | 726/2 | 0.224 | |
| | | | 727 | 0.105 | 0.077 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|
| | | 731/1/1 | 0.680 | | |
| | | 731/1/2 | 2.290 | 0.137 | |
| | | 731/2/1 | 2.023 | | |
| | | 731/2/2 | 0.474 | | |
| | | 737/1 | 2.105 | 0.057 | |
| | | 737/2 | 0.809 | 0.012 | |
| | | 738 | 0.902 | 0.198 | |
| | | 740 | 0.607 | 0.125 | |
| | | 741 | 0.219 | 0.009 | |
| | | 751 | 1.420 | 0.028 | |
| | | 752-753/2 | 2.499 | | |
| | | 752-753/1/1 | 1.303 | 0.319 | |
| | | 752-753/1/2 | 1.198 | | |
| | | 754 | 1.161 | 0.049 | |
| | | 755 | 1.449 | 0.012 | |
| | | 695/1/1 | 1.055 | | |
| | | 695/1/2/1 | 0.405 | | |
| | | 695/1/2/2 | 0.121 | 0.121 | |
| | | 695/2/1 | 0.668 | | |
| | | 695/2/2/1 | 0.405 | | |
| | | 695/2/2/2 | 0.262 | | |
| | | 694/1 | 0.425 | | |
| | | 694/2 | 0.421 | 0.073 | |
| | | 694/3 | 0.426 | | |
| | | 791/693 | 0.575 | 0.081 | |
| | | 691 | 0.461 | 0.057 | |
| | | 257 | 1.995 | 0.323 | |
| | | 268/1 | 0.243 | 0.092 | |
| | | 269 | 0.943 | 0.157 | |
| | | 271 | 0.194 | 0.049 | |
| | | 771/107/1 | 0.618 | | |
| | | 771/107/2 | 0.405 | 0.201 | |
| | | 771/107/3 | 0.069 | | |
| | | 107/1/2 | 0.190 | 1.179 | |
| | | 107/1/1 | 0.809 | 0.065 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|--------|-------|-------|-----|
| | | 107/2 | 0.405 | 0.090 | |
| | | 110 | 1.115 | 0.036 | |
| | | 106/3 | 0.338 | 0.053 | |
| | | 106/2 | 0.337 | 0.053 | |
| | | 106/1 | 0.405 | 0.085 | |
| | | 103 | 0.186 | 0.069 | |
| | | 102 | 0.134 | 0.069 | |
| | | 101 | 1.878 | 0.012 | |
| | | 95/1/1 | 3.310 | 0.401 | |
| | | 95/1/2 | 3.310 | 0.214 | |
| | | 95/2 | 1.550 | 0.161 | |
| | | 7/2 | 0.434 | 0.105 | |
| | | 6/1/2 | 0.284 | | |
| | | 6/1/3 | 0.121 | 0.141 | |
| | | 6/2 | 0.627 | | |
| | | 273/1 | 1.123 | 0.105 | |
| | | 273/2 | 1.116 | 0.137 | |
| | | 274/2 | 0.709 | 0.057 | |
| | | 275 | 1.056 | 0.129 | |
| | | 83/1 | 1.214 | 0.041 | |
| | | 81/1 | 0.449 | 0.097 | |
| | | 81/2 | 0.449 | 0.105 | |
| | | 770/78 | 0.364 | 0.222 | |
| | | 78 | 0.971 | 0.125 | |
| | | 76 | 1.003 | 0.024 | |
| | | 77 | 0.676 | 0.113 | |
| | | 74-75 | 4.128 | 0.470 | |
| | | 26/1/1 | 0.809 | | |
| | | 26/1/2 | 2.429 | 0.315 | |
| | | 26/2 | 0.275 | | |
| | | 27 | 1.509 | 0.097 | |
| | | 28 | 0.979 | 0.012 | |
| | | 29/2 | 1.987 | 0.287 | |

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

रीवा, दिनांक 16 मई 2013

क्र. 102-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-----------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | सेमरिया | डाढ़ | 0.220 | संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम रीवा (म. प्र.) | सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

संशोधित अधिसूचना

क्र. 103-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|-----------|-----------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | सेमरिया | सेमरिया | 0.173 | संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.1, रीवा (म. प्र.) | सेमरिया मानिकपुर राज्य राजमार्ग क्र. 09 के एन्युटी योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2012

प्र. क्र. 12-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|-------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| टीकमगढ़ | लिधौरा | भदरई | 2.950 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा. | कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम भदरई की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| टीकमगढ़ | लिधौरा | उदयपुरा | 3.050 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा. | कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.— कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम उदयपुरा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------|--------|---------------|-------------------------------|--|---|
| | | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| टीकमगढ़ | लिधौरा | बारौन | 2.030 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा. | कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—कवाघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बारौन की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------|--------|---------------|-------------------------------|--|--|
| | | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| टीकमगढ़ | लिधौरा | बारी | 2.100 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा. | कवाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.— कवाघाट तालाब योजना के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बारी की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 3 मई 2013

क्र. 1086-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि,
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि
पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—तिलखन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.841 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) | | |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | | |
| 1444 | 0.051 | 1044 | 0.002 |
| 1416 | 0.028 | 1041 | 0.006 |
| 1417 | 0.16 | 1031 | 0.051 |
| 1414 | 0.064 | 1030 | 0.006 |
| 1413 | 0.051 | 1026 | 0.051 |
| 1343 | 0.027 | 1027 | 0.015 |
| 1344 | 0.004 | 1023 | 0.064 |
| 1345 | 0.072 | 1022 | 0.007 |
| 1346 | 0.032 | 1081/2999 | 0.014 |
| 1345/3033 | 0.010 | 1082 | 0.142 |
| 1353 | 0.090 | 1085 | 0.020 |
| 1355 | 0.182 | 1086 | 0.104 |
| 1356 | 0.100 | 1134 | 0.128 |
| 1357 | 0.024 | 1135 | 0.004 |
| 1358 | 0.012 | 1094 | 0.008 |
| 965 | 0.154 | 1133 | 0.096 |
| 1052 | 0.055 | 1124 | 0.013 |
| 1051 | 0.052 | 1131 | 0.004 |
| 1050 | 0.018 | 1125 | 0.064 |
| 969 | 0.077 | 1120 | 0.048 |
| 1045 | 0.088 | 1122 | 0.036 |
| 1074/2964 | 0.008 | 1117 | 0.006 |
| | | 1118 | 0.073 |
| | | 1119 | 0.029 |
| | | 1108 | 0.070 |
| | | 1109/3015 | 0.051 |
| | | 175 | 0.061 |
| | | 177 | 0.051 |
| | | 178 | 0.058 |
| | | 179 | 0.011 |
| | | 180 | 0.064 |
| | | 182 | 0.050 |
| | | 183 | 0.015 |
| | | 184 | 0.053 |
| | | 185 | 0.072 |
| | | | योग . . . 2.762 |
| | | | शासकीय |
| | | 1029 | 0.045 |
| | | 1024 | 0.002 |
| | | 1121 | 0.032 |
| | | | योग . . . 0.079 |
| | | | कुल योग . . . 2.841 |

| | | |
|---|--------------|-------|
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु. | (1) | (2) |
| | 271 | 0.038 |
| | 273 | 0.074 |
| | 272 | 0.039 |
| | 230 | 0.038 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. | 231 | 0.094 |
| | 196 | 0.062 |
| | 194 | 0.037 |
| | 192 | 0.050 |
| | 193 | 0.048 |
| | 195 | 0.004 |
| | 183 | 0.066 |
| | 184 | 0.103 |
| | 180 | 0.086 |
| | 181 | 0.103 |
| | 179 | 0.049 |
| | 164 | 0.096 |
| | 163 | 0.051 |
| | 162 | 0.114 |
| | 571 | 0.036 |
| | 560 | 0.002 |
| | 563 | 0.057 |
| | 562 | 0.174 |
| | 563 | 0.022 |
| | 454 | 0.067 |
| | 456 | 0.122 |
| | 438 | 0.007 |
| | 437 | 0.024 |
| | 460 | 0.024 |
| | 435 | 0.022 |
| | 461 | 0.010 |
| | 467 | 0.004 |
| | 434 | 0.087 |
| | 423 | 0.144 |
| | 428 | 0.063 |
| | 425 | 0.086 |
| | 14 | 0.080 |
| | 18 | 0.080 |
| | 782 | 0.010 |
| | 35 | 0.009 |
| | 36 | 0.005 |
| | 37 | 0.007 |
| | 38 | 0.006 |
| | 34 | 0.074 |
| | 43 | 0.016 |
| क्र. 1088-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | | |
| अनुसूची | | |
| (1) भूमि का वर्णन— | | |
| (क) जिला—रीवा | | |
| (ख) तहसील—सिरमौर | | |
| (ग) नगर/ग्राम—गुहिया | | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.469 हेक्टेयर. | | |
| खसरा | अर्जित रकबा | |
| नम्बर | (हेक्टर में) | |
| (1) | (2) | |
| 99 | 0.044 | |
| 102 | 0.013 | |
| 100 | 0.036 | |
| 101 | 0.019 | |
| 109 | 0.034 | |
| 111 | 0.024 | |
| 108 | 0.024 | |
| 107 | 0.025 | |
| 138 | 0.009 | |
| 246 | 0.014 | |
| 247 | 0.024 | |
| 245 | 0.028 | |
| 252 | 0.013 | |
| 257 | 0.014 | |
| 251 | 0.057 | |
| 258 | 0.014 | |
| 259 | 0.016 | |
| 269 | 0.031 | |
| 270 | 0.042 | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--|--------------|---------|--------------|
| 44 | 0.023 | 258 | 0.028 |
| 45 | 0.048 | 259 | 0.026 |
| 125 | 0.030 | 260 | 0.057 |
| 123 | 0.020 | 250 | 0.004 |
| 124 | 0.002 | 209 | 0.052 |
| 122 | 0.004 | 201 | 0.033 |
| 98 | 0.200 | 202 | 0.009 |
| 96 | 0.065 | 197 | 0.100 |
| 97 | 0.078 | 204 | 0.180 |
| 95 | 0.048 | 205 | 0.009 |
| 788 | 0.077 | 120 | 0.003 |
| 421 | 0.003 | 121 | 0.057 |
| योग . . | <u>3.469</u> | 118 | 0.004 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर | | 124 | 0.068 |
| परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी | | 123 | 0.007 |
| माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय | | 147 | 0.091 |
| भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु. | | 148 | 0.009 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन | | 61 | 0.014 |
| एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में | | 62 | 0.002 |
| किया जा सकता है. | | 60 | 0.082 |
| क्र. 1090-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस | | 59 | 0.139 |
| बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) | | 58 | 0.007 |
| में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, | | 48 | 0.120 |
| सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन | | 49 | 0.007 |
| अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत | | 50 | 0.066 |
| इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि | | 52 | 0.004 |
| पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | | 24 | 0.106 |
| | | 23 | 0.060 |
| | | 22 | 0.027 |
| | | 8 | 0.071 |
| | | 5 | 0.004 |
| | | 3 | 0.043 |
| | | 165 | 0.026 |
| | | 166 | 0.055 |
| | | 167 | 0.006 |
| | | 168 | 0.118 |
| | | 276 | 0.012 |
| | | 277 | 0.048 |
| | | 278 | 0.032 |
| | | 280 | 0.100 |
| | | 169 | 0.050 |
| | | 21 | 0.003 |
| | | योग . . | <u>2.238</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 4 मई 2013

क्र. 1100-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सदहना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.512 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 416 | 0.136 |
| 417 | 0.048 |
| 418 | 0.051 |
| 413 | 0.013 |
| 412 | 0.240 |
| 420 | 0.012 |
| 411 | 0.034 |
| 236 | 0.058 |
| 237 | 0.138 |
| 234 | 0.002 |
| 232 | 0.108 |
| 228 | 0.120 |
| 217 | 0.077 |
| 218 | 0.094 |
| 203 | 0.049 |
| 204 | 0.008 |
| 205 | 0.007 |
| 206 | 0.117 |
| 207 | 0.004 |

| (1) | (2) |
|-----------------|-------|
| 68 | 0.024 |
| 67 | 0.060 |
| 48 | 0.036 |
| 49 | 0.066 |
| 53 | 0.076 |
| 54 | 0.080 |
| 55 | 0.061 |
| 47 | 0.036 |
| 44 | 0.112 |
| 42 | 0.066 |
| 29 | 0.038 |
| 41 | 0.002 |
| 32 | 0.004 |
| 33 | 0.106 |
| 34 | 0.003 |
| 35 | 0.003 |
| 152 | 0.164 |
| 573 | 0.049 |
| 150 | 0.067 |
| 151 | 0.002 |
| 148 | 0.036 |
| 147 | 0.024 |
| 146 | 0.091 |
| योग . . . 2.512 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1102-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) नगर/ग्राम—कोचरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.765 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 46 | 0.078 |
| 200 | 0.152 |
| 48 | 0.016 |
| 49 | 0.200 |
| 52 | 0.020 |
| 203 | 0.026 |
| 55 | 0.145 |
| 56 | 0.013 |
| 86 | 0.065 |
| 87 | 0.084 |
| 181 | 0.030 |
| 178 | 0.092 |
| 177 | 0.016 |
| 170 | 0.040 |
| 175 | 0.106 |
| 182 | 0.002 |
| 164 | 0.049 |
| 174 | 0.036 |
| 204 | 0.073 |
| 163 | 0.042 |
| 162 | 0.045 |
| 159/1 | 0.039 |
| 159/2 | 0.045 |
| 156 | 0.074 |
| 136 | 0.032 |
| 137 | 0.220 |
| 135/1 | 0.002 |
| 134 | 0.004 |
| योग . . | 1.746 |
| शासकीय | |
| 131 | 0.019 |
| योग . . | 0.019 |
| महायोग . . | 1.765 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1104-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—खरौली कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.065 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 17 | 0.030 |
| 18 | 0.035 |
| योग . . | 0.065 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1106-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पड़री
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.872 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 2117 | 0.036 |
| 2072 | 0.137 |

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—लौलाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.434 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि

| (1) | (2) | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2070 | 0.042 | (1) | (2) |
| 2067 | 0.012 | 243 | 0.070 |
| 1918 | 0.345 | 244 | 0.070 |
| 1917 | 0.004 | 696 | 0.170 |
| 1936 | 0.085 | 697 | 0.090 |
| 1937 | 0.069 | 710 | 0.030 |
| 1938 | 0.064 | 711 | 0.120 |
| 1915 | 0.093 | 761 | 0.025 |
| 1914 | 0.126 | 770 | 0.020 |
| 1909 | 0.057 | 772 | 0.015 |
| 1905 | 0.009 | 777 | 0.168 |
| 1884 | 0.007 | 923 | 0.232 |
| 1910 | 0.047 | 1293/1702 | 0.230 |
| 1944 | 0.012 | 381 | 0.030 |
| 1939 | 0.096 | 382 | 0.165 |
| 2114 | 0.009 | 386 | 0.210 |
| 1940 | 0.050 | 387 | 0.025 |
| 1945 | 0.105 | 389 | 0.008 |
| 2178 | 0.078 | 416 | 0.008 |
| 1955 | 0.130 | 1111 | 0.010 |
| 1954 | 0.008 | 1119 | 0.010 |
| 1960 | 0.081 | 1131 | 0.008 |
| 1958 | 0.073 | 1366 | 0.040 |
| 1959 | 0.024 | 1316 | 0.150 |
| 1961 | 0.019 | 1317 | 0.170 |
| 1962 | 0.054 | 224 | 0.350 |
| योग . . . | <u>1.872</u> | 1550 | <u>0.010</u> |
| | | | योग . . . |
| | | | <u>2.434</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 1119-भू-अर्जन-कार्य-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

शासकीय भूमि (टोन्स बेराज)

| | |
|------|-------|
| 1546 | 0.150 |
| 1547 | 0.015 |
| 1548 | 0.170 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|-----------------|-------------|-------|
| 1574 | 0.010 | 3263/1क/5 | 0.150 |
| 1575 | 0.110 | 3263/1क/5/3 | 0.045 |
| 1576 | 0.045 | 310/1 | 0.057 |
| 1577 | 0.040 | 311/1 | 0.021 |
| 1578 | 0.035 | 310/2 | 0.040 |
| 1581 | 0.015 | 311/2 | 0.068 |
| 1582 | 0.025 | 313/2 | 0.055 |
| 1586 | 0.040 | 315 | 0.044 |
| 1587 | 0.065 | 1801 | 0.008 |
| 1554 | 0.020 | 1811 | 0.162 |
| | योग . . . 0.740 | 1813 | 0.012 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के सब माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 मई 2013

क्र. 1126-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—कोटर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.873 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

490/ख/ख 0.140

269/5 0.220

3397/1 0.200

4632 0.086

3573 0.224

3263/1क/4/2 0.234

| | |
|------------|-------|
| 3262/1ग | 0.100 |
| 3263/1क/2ग | 0.120 |
| 3891 | 0.060 |
| 1101 | 0.028 |
| 1111 | 0.036 |
| 1813 | 0.021 |
| 1431 | 0.040 |
| 1432 | 0.036 |
| 3262/2ख | 0.040 |
| 3340/2 | 0.242 |
| 3075 | 0.148 |
| 3900 | 0.080 |
| 3904 | 0.214 |
| 3893 | 0.032 |
| 3151 | 0.450 |
| 3153 | 0.248 |
| 3154 | 0.204 |
| 3263 | 0.008 |

योग . . . 3.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1128-भू-अर्जन-2006-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—पतौड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.740 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 16 | 0.320 |
| 22 | 0.168 |
| 44 | 0.112 |
| 47 | 0.140 |
| योग . . | <u>0.740</u> |

| (1) | (2) |
|-----|-------|
| 607 | 0.205 |
| 606 | 0.123 |
| 554 | 0.491 |
| 361 | 0.041 |
| 362 | 0.157 |
| 363 | 0.028 |
| 364 | 0.080 |
| 485 | 0.049 |
| 481 | 0.084 |
| 470 | 0.054 |
| 458 | 0.168 |
| 460 | 0.200 |
| 427 | 0.016 |
| 425 | 0.080 |
| 424 | 0.018 |
| 368 | 0.091 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर की पवैया शाखा और पवैया उपशाखा नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1130-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—खैरहन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.367 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|---------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 623 | 0.045 |
| 616 | 0.182 |

| | |
|---------|--------------|
| 360 | 0.053 |
| 335 | 0.077 |
| 332 | 0.128 |
| 331 | 0.034 |
| 329 | 0.022 |
| 330 | 0.044 |
| 327 | 0.049 |
| 328 | 0.066 |
| 324 | 0.050 |
| 321 | 0.45 |
| 320 | 0.058 |
| 226 | 0.101 |
| 225 | 0.136 |
| 224 | 0.064 |
| 386 | 0.124 |
| 387 | 0.028 |
| 388 | 0.003 |
| 403 | 0.004 |
| 404 | 0.050 |
| 405 | 0.036 |
| 406 | 0.052 |
| 407 | 0.032 |
| योग . . | <u>3.367</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्यॉटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की खैरहन माइनर एवं सबमाइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1132-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—बदराव 356
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.045 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 203 | 0.127 |
| 208 | 0.084 |
| 210 | 0.034 |
| 211 | 0.064 |
| 213 | 0.063 |
| 217 | 0.043 |
| 218 | 0.133 |
| 220 | 0.096 |
| 228 | 0.045 |
| 227 | 0.024 |
| 253 | 0.004 |
| 232 | 0.250 |
| 252 | 0.008 |
| 242 | 0.002 |
| 240 | 0.003 |
| 235 | 0.028 |
| 236 | 0.034 |
| 231 | 0.003 |
| योग . . | 1.045 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्यॉटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की बदराव सब माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 मई 2013

क्र. 4770-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—हरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम भुमका प. ह. नं. 21, ब. नं. 46, रा. नि. मंडल-बटकाखापा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.273 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नंबर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------------------|--|
| (1) | (2) |
| 493 | 0.220 सागौन वृक्ष-15 नीलगिरी वृक्ष-10 पलसा वृक्ष-05 |
| 487 | 0.020 |
| 488 | 0.033 |
| 406/2 | 0.033 उक्त खसरे में स्थित कच्चा मकान-01 (एफ. टी.एल. में स्थित) |
| योग . . | 0.273 |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—भुमका जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

| | | | |
|--|----------|---|--|
| (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. | (1) | (2) | (3) |
| | 724/1 | 0.030 | |
| | 723/1 | 0.030 | |
| (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. | 631 | 4.090 | 2 कुंआ, 10 आम, 2 महुआ, 2 बीजा, 5 आंजन, 1 पलास 1 बबूल, 2 बेर, 3 लेडिया 3. किनही, 4 लिपटन. |
| (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक-02 जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. | 725 | 0.060 | |
| | 719 | 0.040 | |
| | 633/2, | 0190 | 7 पलास, 2 कसई, 2 आम, 1 तालाब. |
| | 633/1 | | |
| | 641/1 | 0.730 | 1 इमली, 1 बहेड़ा, 1 आंजन, 1 नीम,, 67 पलास, 1 बैर . |
| मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. | | | |
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 6 मई 2013 | 614/2 | 0.250 | 43 पलास, 2 बेर, 1 कसई |
| | 640/2 | 0.270 | 1 महुआ, 2 नीम, 50 पलास, 2 बैर, 4 कसई, 1 बांस, 1 आजन, 1 बबूल, 1 कुंआ. |
| क्र. 3222-कलेक्टर-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:— | 639 | 0.630 | |
| | 638/1 | 0.140 | 1 इमली, 1 कसई, 1 साजा, 1 बहेड़ा, 20 पला, 1 बबुल. |
| | 638/4 | 0.110 | 5 पलास, 1 बबूल. |
| | 635 | 1.420 | 1 कुआं, 5 महुआ, 2 इमली, 1 जामुन, 1 आम, 2 बीजा, 5 सागौन, 14 साजा, 35 कसई, 2 सीबन, 4 बहेड़ा, 3 हरी, 60 पलास, 1 कोशम, 15 बेर, 3 बबूल, 1 सेलवट, 5 लेडिया, 15 आजन, 1 नीम, 5 चार. |
| अनुसूची | | | |
| (1) भूमि का वर्णन— | | | |
| (क) जिला—सिवनी | | | |
| (ख) तहसील—बरघाट | 3 | 0.150 | 1 कोसम, 5 पलास, 1 बेर. |
| (ग) ग्राम—साल्हेकला | 4/2, 5/2 | 0.280 | 2 पलास, 2 बेर, 1 सागौन. |
| (घ) क्षेत्रफल—10.250 हेक्टेयर. | 4/1, 5/1 | 0.470 | 5 पलास, 6 सागौन, 4 बबूल. |
| खसरा नं. अर्जित रकबा भूमि वृक्ष मकान कुंआ अशासकीय (हेक्टर में) तालाब अन्य विवरण | योग . . | 10:250 | |
| (1) | (2) | (3) | (2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है. |
| 760 | 0.010 | 2 पलास | |
| 738 | 0.090 | 2 पलास, 1 बेर, 1 महुआ, 1 कुंआ, 1 मकान. | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है. |
| 734/2 | 0.200 | 2 पलास, 2 बेर, 1 महुआ | |
| 4/3, 5/3 | 0.110 | 5 पलास, 1 महुआ, 2 बबूल. | |
| 734/1 | 0.880 | 1 तालाब. | |
| 724/2 | 0.040 | | |
| 723/2 | 0.020 | | |
| 722 | 0.010 | | |

क्र. 3223-कलेक्टर-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

| अनुसूची | | | (1) | (2) | (3) |
|--------------------------------|---------------|---|---------|-------|---|
| (1) भूमि का वर्णन— | | | 809/2 | 0.250 | 8 पलास, 4 बबूल, 1 आंजन. |
| (क) जिला—सिवनी | | | 809/3 | 0.280 | 1 साजा, 12 पलास, 1 बेर, 3 बबूल, 1 नीम, 1 सागौन. |
| (ख) तहसील—बरघाट | | | 809/6 | 0.250 | 1 गुरार, 10 पलास, 3 सागौन. |
| (ग) ग्राम—बम्हनी | | | 809/4 | 0.140 | 1 जामुन, 14 पलास, 4 बेर, 2 बबूल, 2 साज, 2 आंजन. |
| (घ) क्षेत्रफल—91.020 हेक्टेयर. | | | 809/1 | 0.250 | 1 आजन, 21 पलास, 4 बबूल, 3 बेर, 3 सागौन. |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा | वृक्ष मकान कुंआ | 809/5 | 0.130 | 8 पलास, 2 बबूल, 1 बेर, 1 आजन. |
| अशासकीय | भूमि (हे.में) | तालाब अन्य विवरण | 810 | 0.740 | 1 कुआ, 1 आम, 2 जामुन, 2 बीजा, 29 आंजन. |
| (1) | (2) | (3) | | | |
| 783 | 0.070 | | 811 | 0.120 | 1 नीम, 6 बबूल, 3 बेर. |
| 784 | 0.220 | 3 महुआ, 2 जामुन, 1 हरी, 20 पलास, 05 डेंलिया. | 858 | 0.710 | 1 आंजन, 4 बबूल. |
| 1020 | 0.790 | 01 पलास, 1 बबूल. | 879 | 0.190 | 2 जामुन, 1 सगोन, 1 साजा, 8 पलास, 1 बेर, 3 आजन. |
| 1020 | 0.220 | 1 जामुन, 16 पलास, लिडिया, 3 आजन, 4 हरी 1. | 851 | 0.230 | 10 आम, 4 साजन, 9 पलास, 12 महुआ. |
| 789 | 0.250 | 2 महुआ, 1 जामुन, 6 पलास, आम02. | 855 | 1.810 | 5 जमुन, 6 सगोन, 1 बीजा, 34 आंजन, 3 साजा, 3 नीम, 38 पलास, 2 लेंडिया, 7 आम, 10 महुआ, 1 चार, 3 बेर, 1 कुआ पत्थर वाला, 19 फीट गहरा, 11 फीट चौड़ा. |
| 792 | 0.310 | 2 आम, 1 जामुन, 5 महुआ, 1 आंजन, 18 पलास, 1 गुरार, 1 बीजा. | 775/1 | 0.220 | 5 आंजन, 3 पलास, 5 बेर. |
| 795/1 | 0.320 | 3 आम, 03 महुआ, 01 सागौन, 8 बेर, 10 पलास, 3 साजा, 01 कुआ, 10 फीट चौड़ा 15. फीट गहरा. | 813/1 | 0.100 | 1 कुआ, 10 फीट चौड़ा, 12 फीट गहरा, 1 बबूल, 1 आम, 1 महुआ. |
| 799 | 0.530 | 3 आम, 1 जामुन, 1 महुआ, 1 बीजा, 1 नीम, 1 हरी, 5 कसई, 1 आंजन, 1 चिचुआ, 1 बेर, पलास 5. | 836/5 | 0.210 | 1 महुआ. |
| 806/1 | 0.340 | 3 सागौन, 1 आजन, 11 पलास, 2 बबूल. | 836/1 | 0.140 | 5 पलास, 1 आम, 1 जामुन. |
| 846/1 | 0.020 | 1 बेर, 1 बबूल, 1 पलास, 2 आम 1 महुआ. | 723/1 | 0.060 | निल. |
| 740/5 | 0.080 | 1 बेर, 1 पलास, 1 आम, 1 महुआ. | 723/5 | 0.040 | 3 बेर. |
| 740/3 | 0.020 | | 767/1 | 0.100 | 1 पलास. |
| 846/3 | 0.030 | 5 पलास, 1 बबूल. | 813/5 | 0.120 | 2 आजन, 1 पलास, 2 सीसम. |
| 759/1 | 0.120 | 2 बेर. | 723/8 | 0.140 | 1 आम, 1 जामुन. |
| 806/4 | 0.340 | 8 पलास, 6 बबूल, 5 बेर, 2 सागौन, 1 महुआ. | 973/1 | 0.100 | 1 बेर, 1 बबूल, 3 आंजन. |
| 740/1 | 0.110 | निल. | 973/2 | 0.090 | 3 बेर, 1 बबूल, 1 गुरार, 1 आंजन, 1 पलास. |
| 806/3 | 0.100 | 2 सागौन, 3 बबूल, 11 पलास, 3 बेर, 1 सालई. | 973/3+4 | 0.260 | 4 बबूल, 6 पलास, 1 आजन, 5 बेर, 1 नीम, 1 महुआ. |
| 846/4 | 0.040 | 3 बबूल, 8 पलास, 1 कसई. | 813/2 | 0.070 | 4 आंजन. |
| 759/2 | 0.060 | 1 आंजन. | 813/3 | 0.220 | 2 आंजन. |
| 806/2 | 0.340 | 9 बबूल, 3 बेर, 11 पलास, 1 नीम, 1 बीजा, 3 महुआ, 2 आजन. | 836/2 | 0.320 | 2 पलास. |
| 846/2 | 0.010 | 1 महुआ, 1 कसई, 1 बेर. | 723/2 | 0.190 | 2 बेर, 1 पलास, 1 आजन. |
| 740/4 | 0.060 | निल. | 775/2 | 0.180 | 6 बबूल, 15 पलास, 1 बेर, 1 कसई. |
| | | | 765/2 | 0.160 | 4 महुआ, 1 कसई, 11 पलास, 2 बेरी. |
| | | | 765/1 | 0.280 | 6 पलास, 2 कसई, 6 बेर, 3 आजन. |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-------|-------|---|--------|-------|---|
| 813/4 | 0.170 | 2 आंजन, 1 बबूल. | 769 | 0.560 | 20 पलास, 1 आंजन, 3 आम, 1 महुआ. |
| 836/4 | 0.070 | 1 आजन. | 836/7 | 0.210 | 11 पलास, 1 आंजन, 2 बेर, 1 हर्षा. |
| 836/6 | 0.180 | 6 पलास, 1 हर्षा. | 836/8 | 0.070 | |
| 723/4 | 0.060 | 4 आजन, 2 महुआ, 2 पलास. | 775/3 | 0.080 | 2 आंजन, 1 गुरार, 1 बबूल, 1 बेर, 1 महुआ. |
| 723/7 | 0.140 | 1 कुआँ, 12 फीट चौड़ा 22 फीट गहरा 2 आजन. | 767/4 | 0.080 | निल. |
| 767/3 | 0.100 | 1 महुआ, 1 कसई, 4 पलास. | 723/10 | 0.050 | निल. |
| 775/4 | 0.150 | 1 बेर, 8 पलास, 1 महुआ. | 964/1 | 0.040 | 3 आम, 1 बबूल. |
| 815 | 0.860 | 4 आम, 1 इमली, 20 आंजन, 2 साजा, 2 नीम, 6 कसई, 29 पलास. | 966/1 | 0.090 | निल. |
| 821/1 | 1.000 | 3 महुआ, 15 पलास, 5 बेर, 2 बबूल. | 1005/1 | 0.150 | 7 आम, 1 महुआ. |
| 821/3 | 0.330 | 8 सागौन, 10 पलास, 2 बेर, 1 हर्षा, 3 बीजा, 1 आजन, 1 महुआ. | 964/2 | 0.060 | निल. |
| 821/2 | 0.660 | 5 महुआ, 2 आजन, 28 पलास, 4 बेर, 1 बबूल, 1 सेलवट, 3 बहेड़ा, 2 सागौन. | 966/2 | 0.090 | निल. |
| 823 | 2.170 | 21 महुआ, 1 इमली, 5 आम, 1 बीजा, 4 सागौन, 13 आंजन, 1 कसई, 1 हर्षा, 1 नीम, 26 पलास, 1 तेंदू, 16 बेर, 7 बबूल. | 1005/2 | 0.100 | 4 आम, 2 महुआ. |
| 828/1 | 0.960 | 1 महुआ, 1 बीजा, 4 आंजन, 2 गुरार, 3 चिचुआ, 6 बबूल, 2 बेर, 50 पलास. | 842/1 | 0.050 | 1 आंजन, 3 पलास, 5 बबूल, 2 बेर. |
| 829 | 1.890 | 9 महुआ, 5 आम, 2 जामुन, 3 बीजा, 5 सागौन, 4 नीम, 3 गुरार, 42 आंजन, 11 कसई, 4 खमेर, 3 हरा, 52 पलास, 16 बबूल, 18 बेर, 4 बास, 1 तेंदू, 1 बटा, 2 पीपल, 2 मवई. | 842/3 | 0.160 | 2 पलास, 1 बेर. |
| 828/2 | 1.000 | 1 महुआ, 4 सागौन, 20 पलास, 7 बेर, 2 मुडार. | 842/2 | 0.170 | 2 पलास, 2 बेर. |
| 834 | 2.040 | 1 जामुन, 1 महुआ, 5 आम, 1 बीजा, 4 सागौन, 1 नीम, 1 कसई, 4 गुरार, 1 साजा, 2 हर्षा, 26 आंजन, 49 पलास, 16 बेर. | 1009/3 | 0.170 | 25 पलास. |
| 835 | 0.180 | 1 महुआ, 1 बीजा, 5 आंजन, 1 लेडिया, 4 बेर. | 1009/5 | 0.080 | निल. |
| 837 | 0.400 | 1 बेर, 3 महुआ, 1 सागौन. | 1009/6 | 0.050 | 8 पलास. |
| 836/3 | 0.060 | | 843/1 | 0.450 | 4 महुआ, 20 पलास, 2 बबूल, 1 सालई. |
| 723/3 | 0.590 | 3 बांस, 1 गुरार, 18 बबूल, 5 महुआ, 1 बेर. | 843/2 | 0.040 | 1 महुआ, 5 पलास. |
| 723/6 | 0.050 | 2 बबूल, 1 बेर. | 844 | 0.900 | 6 आम, 1 जामुन, 5 महुआ, 6 आंजन, 1 नीम, 2 कसई, 40 पलास, 10 बेर, 4 बबूल. |
| 767/2 | 0.030 | 7 आंजन, 4 पलास, 1 सेलवट, 1 बबूल, 1 आम. | 845 | 1.100 | 1 आम, 36 पलास, 5 बबूल. |
| 706/1 | 0.210 | | 854 | 0.900 | 7 जामुन, 9 आम, 7 महुआ, 2 सागौन, 2 गुरार, 1 खमेर, 3 कसई, 84 साजा, 22 आंजन, 4 बबूल, 12 पलास, 3 बाँस, 2 पाडर, 2 बेर, 4 चिरैजी. |
| 706/5 | 0.200 | 4 बबूल, 2 जामुन, 4 बेर. | 856 | 0.470 | 1 महुआ, 1 आंजन, 1 नीम, 1 बबूल, 4 पलास, 1 बेर, 2 जामुन. |
| | | | 859 | 0.280 | 2 आंजन, 1 आम. |
| | | | 871/2 | 0.030 | 1 आम. |
| | | | 857/20 | 0.100 | 1 आम, 1 पलास. |
| | | | 857/1 | 0.410 | 3 आम, 2 महुआ, 1 गुरार, 2 बबूल, 1 नीम. |
| | | | 871/1 | 0.110 | निल. |
| | | | 875 | 1.120 | 3 आम, 3 जामुन, 1 महुआ, 2 कसई, 1 धामन, 3 आंजन, 32 पलास, 74 बेर, 1 सेमर, 1 भिलवा, 4 पाठर, 6 गुरार. |
| | | | 872/3 | 0.200 | 1 आम, 1 पलास, 1 महुआ. |
| | | | 872/2 | 0.200 | 9 पलास, 3 महुआ, 2 बबूल. |
| | | | 872/5 | 0.060 | निल. |
| | | | 872/1 | 0.610 | 2 आम, 11 पलास, 1 पाठर, 1 नीम, 1 गुरार, 1 बबूल. |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|--------|-------|--|--------|-------|---|
| 872/4 | 0.150 | 1 आम, 1 पलास, 1 पाडर. | 725/11 | 0.100 | 2 बबूल, 2 बेर. |
| 873 | 0.250 | 4 पलास, 1 जामुन, 6 बेर, 1 रोहनी. | 937/3 | | निल. |
| 874 | 0.640 | 1 महुआ, 22 पलास. | 987/6 | 0.040 | निल. |
| 876 | 0.090 | 2 आंजन, 06 बबूल. | 987/5 | | निल. |
| 877 | 0.230 | 1 महुआ, 1 आम, 1 नीम, 4 पलास. | 937/2 | 0.050 | 1 बेर, 1 बबूल. |
| 878 | 0.710 | 1 कुआ 20 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा पत्थर वाला, 4 पाडर, 2 सिलवट, 2 बेर, 1 जामुन, 4 महुआ, 1 धामन, 5 पलास. | 725/8 | 0.070 | निल. |
| | | | 725/5 | 0.050 | निल. |
| | | | 725/10 | 0.050 | 1 महुआ, 1 बबूल, 1 आजन. |
| | | | 725/14 | 0.100 | 1 आजन, 4 पलास, 2 कसई, 2 पाडर. |
| 706/2 | 0.360 | 5 महुआ, 2 आम, 11 आंजन, 5 पलास, 1 कुआ, 5 बेर. | 937/1 | 0.020 | निल. |
| | | | 983/1 | 0.030 | 1 बबूल. |
| 706/3 | 0.080 | 1 आम, 1 जामुन, 3 सागौन, 5 पालस, 4 बबूल. | 725/6 | 0.050 | 1 बबूल, 1 आंजन. |
| | | | 987/3 | | 1 बबूल, 1 पलास. |
| 707 | 0.200 | 2 आजन, 2 पलास, 4 बेर. | 725/9 | 0.070 | 1 बबूल, 1 बेर. |
| 951 | 0.280 | 2 आंजन, 1 नीम, 1 गुरार, 12 बेर, 2 बबूल, 5 पलास. | 725/12 | 0.120 | 2 आंजन, 1 महुआ, 5 बबूल, 2 बेर, 1 नीम, 1 गुरार. |
| 954 | 0.110 | 2 आम. | 725/7 | 0.110 | 1 आजन, 1 बबूल, 3 बेर, 1 इमली. |
| 955 | 0.080 | निल. | 983/2 | | 1 बबूल. |
| 957 | 0.240 | 1 पलास, 1 गुरार, 3 बबूल. | 987/2 | 0.040 | निल. |
| 706/6 | 0.160 | 1 सागौन. | 987/4 | | 1 पलास. |
| 722 | 0.560 | 25 पलास, 1 पाडर, 2 बेर, 3 कसई, 4 आम, 3 सागौन. | 726/1 | 0.140 | 2 बेर. |
| | | | 735/1 | 0.050 | निल. |
| 558 | 0.080 | 2 अंजन. | 750/2 | 0.050 | निल. |
| 721 | 3.280 | 6 महुआ, 4 कसई, 2 धामन, 5 नीम, 11 पलास, 10 बेर, 1 चिरोंजी, 1 गुरार. | 761/1 | 0.190 | 3 महुआ, 1 आम, 3 बीजा, 7 अंजन, 6 बेर. |
| | | | 938/1 | 0.100 | निल. |
| 723/9 | 0.110 | 1 आंजन, 3 बेर, 1 कसई. | 988/1 | 0.140 | 2 पलास, 2 बबूल, 8 सागौन. |
| 724 | 0.580 | 6 जामुन, 3 बीजा, 20 आजन, 6 कसई, 10 बेर, 1 उमर, 1 नीम, 6 इमली, 8 पलास, 1 आम, 4 महुआ. | 726/2 | | 3 आंजन, 2 लेडिया, 3 बबूल, 3 बेर, 2 पालस. |
| | | | 735/3 | 0.050 | 1 बबूल. |
| 727 | 0.140 | 1 बबूल, 4 बेर, 4 बॉस, 3 आजन. | 738/1 | 0.020 | 1 आंजन, 1 बबूल, 6 पलास, 1 बेर. |
| 766 | 1.060 | 1 कुआ 15 चाड़ा 30 फीट गहरा रिग वाल, 7 आम, 5 महुआ, 2 जामुन, 5 बीजा, 3 शीशम, 3 धामन, 13 कसई, 5 नीम, 40 पलास, 25 आंजन, 4 हर्षा, 35 बेर, 5 बबूल. | 938/2 | 0.090 | निल. |
| | | | 750/3 | | निल. |
| | | | 761/3 | 0.050 | 4 महुआ, 1 आम, 4 बीजा, 3 कसई, 6 बेर. |
| | | | 982 | 0.180 | 1 बबूल, 1 बेर. |
| 725/1 | 0.150 | 1 महुआ, 2 बबूल, 1 पाडर. | 735/2 | 0.070 | 1 बबूल. |
| 725/4 | 0.050 | 1 कसई, 1 आजन. | 738/2 | 0.110 | निल. |
| 937/4 | 0.060 | निल. | 750/1 | 0.110 | 7 आंजन. |
| 987/1 | 0.040 | 1 बबूल. | 760 | | 1 आंजन, 2 बेर, 1 पलास. |
| 725/2 | 0.150 | 2 आम, 1 बबूल. | 761/2 | 0.270 | 1 पाकर. |
| 983/3 | 0.040 | 1 बेर | 739 | 0.030 | 2 जामुन, 1 आम, 1 महुआ, 3 कसई, 2 बबूल, 2 बेर. |
| 725/3 | 0.200 | 3 पलास, 4 महुआ, 1 आजन, 2 आम. | | | |
| 725/13 | 0.120 | निल. | 736/1 | 0.050 | 1 महुआ. |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|---------|-------|---|--------|-------|--|
| 743 | 0.100 | 1 आंजन. | 936/4 | 0.040 | 1 महुआ, 1 आम, 1 जामुन, 4 बेर, 8 पलास. |
| 748/1 | 0.020 | निल. | 936/1 | 0.030 | 5 कसई, 1 गुरार. |
| 742 | 0.090 | 1 बेर. | 936/2 | 0.200 | 1 महुआ, 2 कसई, 2 बबूल, 5 बेर, 3 पलास. |
| 758 | 0.130 | 2 जामुन, 3 पलास, 1 सावर. | 941 | 0.060 | 2 बबूल, 1 सेमर, 2 पलास. |
| 749 | 0.120 | 1 बेर. | 940/3 | 0.150 | 3 बबूल, 1 पलास, 1 कसई, 1 आंजन. |
| 740/2 | 0.090 | 1 सेलवट. | 939/1 | 0.090 | 2 बेर, 2 पलास. |
| 736/2 | 0.060 | 2 आंजन, 1 पीपल. | 939/2 | 0.080 | निल. |
| 741 | 0.250 | 2 आम, 1 महुआ, 1 पलास, 2 कसई. | 940/2 | 0.360 | 4 आंजन, 1 नीम, 1 बबूल, 4 बेर. |
| 748/2 | 0.140 | 1 बेर. | 952 | 0.140 | निल. |
| 737/2 | 0.190 | 1 महुआ, 2 आंजन. | 940/1 | 0.220 | 3 आंजन, 4 बेर, 1 बबूल. |
| 737/3 | 0.030 | बबूल. | 944/2 | 0.130 | 3 पलास. |
| 753/2 | 0.070 | 2 जामुन, 1 बबूल. | 940/4 | 0.020 | 2 आंजन, 1 पलास. |
| 765/1 | 0.070 | 2 महुआ, 10 कसई, 3 नीम, 1 आंजन, 15 पलास, 15 बेर, 1 पीपल. | 956/2 | 0.070 | 1 आंजन, 1 बेर. |
| 774 | 0.840 | 1 मकान 43x43 फीट मिट्टी देशी कवेल, 6 पलास. | 956/5 | 0.060 | निल. |
| 768 | 0.490 | 5 महुआ, 2 आंजन, 6 बबूल, 7 पलास. | 956/8 | 0.150 | निल. |
| 737/1 | 0.190 | 1 आंजन. | 956/10 | 0.100 | 10 बेर, 3 गुरार, 4 बबूल, 1 पलास, 1 नीम. |
| 753/1 | 0.070 | 4 अंजन. | 996/1 | 0.080 | 1 पलास, 1 बबूल, 1 बेर. |
| 556/1 | 0.130 | 9 आंजन, 1 कसई, 1 बेर, 1 धामन. | 1002/1 | 0.200 | 2 पलास, 2 बबूल. |
| 776 | 0.330 | 1 कुआ, 13 फीट चौड़ी, 20 फीट गहरा, पत्थर 2 बीजा, 1 सागौन, 4 कसई, 1 नीम, 8 पलास, 10 बेर, 2 बबूल, 1 सिलचट, 2 आम. | 1002/3 | निल. | निल. |
| 777/1 | 0.730 | 1 आम, 4 आंजन, 25 बेर, 10 कसई, 2 बबूल, 2 नीम, 1 चिचुआ, 1 बांस, 212 पलास. | 1001 | 0.230 | 5 बबूल, 1 पलास. |
| 777/2 | 0.510 | 6 महुआ, 2 आम, 1 बीजा, 21 अंजन, 1 कसई, 1 गुरार, 20 पलास, 15 बेर, 1 चिचुआ, 3 बबूल. | 962 | 0.620 | 1 कुआ 12 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा रिगवाला, 2 महुआ, 2 पलास, 1 बबूल, 1 बांस, 2 आंजन, 3 किन्ही. |
| 556/2 | 0.180 | 8 आंजन. | 997 | 0.670 | 25 पलास. |
| 778/1 | 0.490 | 9 पलास, 1 महुआ, 1 बेर, 1 बीजा. | 956/1 | 0.080 | 1 बेर, 12 पलास, 2 बबूल, 1 आंजन. |
| 778/3 | 0.120 | 3 कसई, 7 पलास, 1 बेर, 1 महुआ. | 956/4 | 0.110 | 8 बेर, 1 महुआ. |
| 778/5 | | | 956/7 | 0.100 | 3 पलास. |
| 778/6 | 0.140 | 11 पलास, 3 कसई, 1 जामुन, 1 बेर, 2 महुआ. | 956/9 | 0.080 | 1 बबूल. |
| 554/3 | 0.320 | 1 आंजन. | 996/3 | 0.130 | 2 बबूल, 1 पलास. |
| 979 | 1.440 | 2 आम, 1 बेर, 12 पलास. | 963 | 0.620 | 2 आम, 24 आंजन, 7 बेर, 1 महुआ. |
| 1011/1 | 0.120 | 2 अंजन, 2 कसई, 2 पलास, 4 बेर, 1 साज, 3 बबूल, 1 उमर. | 1004 | 0.150 | 12 पलास. |
| 1011/13 | 0.180 | निल. | 950/1 | 0.200 | 3 पलास, 10 बेर, 4 बबूल, 2 महुआ, 4 आंजन, 2 नीम. |
| 984 | 0.260 | 3 बबूल, 4 बेर. | 953 | 0.050 | 2 बबूल, 1 बेर. |
| 936/3 | 0.200 | 1 कुआ 25 फीट चौड़ा 15 फीट गहरा पत्थर 1 महुआ, 6 अंजन, 8 बेर, 5 कंराजी, 2 कसई, 21 पलास. | 994/1 | 0.370 | 11 पलास, 1 बबूल, 2 बेर, 1 महुआ. |
| | | | 950/2 | 0.180 | 10 आंजन, 2 गुरार, 2 बबूल, 1 बेर. |
| | | | 950/3 | 0.380 | 1 महुआ, 9 आंजन, 3 बबूल, 1 बेर. |
| | | | 956/3 | 0.060 | 2 बेल, 2 पलास. |
| | | | 956/6 | 0.050 | निल. |
| | | | 996/2 | 0.070 | निल. |
| | | | 956/11 | 0.060 | निल. |
| | | | 956/12 | 0.040 | निल. |
| | | | 996/5 | 0.080 | 3 पलास, 1 बबूल. |
| | | | 961/5 | 0.270 | 1 महुआ, 3 मुंडर, 15 बेर, 6 पलास, 1 आंजन, 3 बबूल, 2 कसई. |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|--------|-------|--|---------|--------|---|
| 961/3 | 0.140 | 2 महुआ, 10 पलास, 4 बबूल, 4 बेर. | 1009/2 | 0.220 | 7 बबूल, 4 पलास. |
| 961/2 | 0.300 | 1 कसई, 6 पलास, 3 बबूल, 3 बेर. | 1011/2 | 0.400 | 4 आम, 15 आंजन, 1 साजा, 20 पलास, 1 चिचुआ, 2 बबूल, 4 जामुन, 10 कासई, 4 बेर. |
| 961/1 | 0.250 | 3 महुआ, 3 पलास, 1 बबूल. | 1011/3 | 0.400 | 1 महुआ, 5 आंजन, 1 कसई, 7 पलास, 5 बेर. |
| 961/4 | 0.300 | 1 महुआ, 1 आम, 18 बेर, 3 बबेल, 1 मुंडर, 4 नीम. | 1011/4 | 0.920 | 1 इमली, 10 आंजन, 2 गुरर, 52 कसई, 25 पलास, 9 बबूल, 6 बेर. |
| 969 | 0.190 | 8 आम, 6 बीही, 1 कसई, 1 चिचुआ, 4 पलास, 2 पाडर, 1 लेडिया, 2 उमर, 2 सीसम. | 1011/5 | 0.430 | 1 आम, 1 गुरर, 1 नीम, 1 कसई, 5 पलास, 7 बबूल, 7 बेर, 1 महुआ. |
| 965 | 0.310 | 3 पलास, 1 बबूल. | 1011/10 | 0.170 | 1 आंजन, 1 बबूल, 3 पलास, 3 बेर, 1 कसई. |
| 989 | 0.270 | 1 बेर. | 1011/6 | 0.430 | 4 आम, 3 बबूल, 10 पलास, 1 गुरर, 1 जामुन. |
| 1006 | 0.730 | 15 आम, 18 पलास, 2 छींद. | 1011/8 | 0.160 | 2 आंजन, 6 पलास, 3 बेर. |
| 1008 | 0.430 | 4 पलास. | 1011/9 | 0.190 | 1 कुआ 13 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा, रिग वाला 1 गुरर, 7 पलास, 2 कसई, 1 कीन्ही, 1 आंजन. |
| 1010 | 0.600 | 5 बबूल, 4 पलास, 1 आम. | 1011/7 | 0.880 | 1 जामुन, 10 पलास, 2 बेर, 4 बबूल, 3 महुआ. |
| 968/1 | 0.570 | 2 आम, 3 बबूल, 5 पलास, 3 बीजा, 1 नीम, 6 बेर, 1 बहेड़ा. | 1011/11 | 0.290 | 2 अंजन, 2 बेर. |
| 968/2 | 0.150 | 1 आम, 2 सागोन, 1 पलास, 1 बेर. | 1011/12 | 0.030 | निल. |
| 1007 | 0.150 | 7 पलास. | 1013 | 1.600 | 1 गुरर, 20 पलास, 8 बबूल 4 बेर, 2 बाँस, 1 आम. |
| 1009/7 | 0.150 | निल. | 1016 | 0.980 | 3 महुआ, 6 पलास. |
| 972/2 | 0.260 | 5 आम, 1 महुआ, 3 नीम, 3 आंजन, 8 पलास, 1 बाँस, 10 बेर, 2 बबूल. | 1017/1 | 1.270 | 2 आम, 1 महुआ, 3 आंजन, 30 पलास, 1 चिरौजी. |
| 972/1 | 0.250 | 1 कुआ, 20 फीट गहराई, 6 फीट चौड़ा, ईटवाला, 1 आम, 24 महुआ, 23 पलास. | 1017/2 | 0.240 | 1 आम, 7 पलास. |
| 972/3 | 0.800 | 4 आम, 2 आंजन, 3 नीम, 20 पलास, 8 बेर, 1 बबूल, 3 महुआ. | 1018/1 | 1.230 | 3 आम, 1 महुआ, 55 पलास, 1 सेमर, 1 बेर, 2 बाँस, 4 बबूल. |
| 974 | 0.190 | 1 आंजन, 4 पलास, 2 बबूल, 10 बेर, 1 नीम. | 1018/2 | 1.220 | 54 पलास, 2 बबूल, 1 चिरौजी, 1 आम, 1 महुआ. |
| 975 | 1.420 | 2 आम, 5 आंजन, 4 गुरर, 4 नीम, 1 कसई, 8 पलास, 5 बेर, 6 बबूल, 1 महुआ. | 1019/1 | 1.800 | 1 कुआ 30 फीट गहरा 10 फीट चौड़ा पत्थर 49 पलास, 8 बबूल, 1 आंजन. |
| 976/1 | 0.310 | 15 पलास, 5 बबूल, 5 बेर, 1 नीम, 1 आंजन. | 1019/2 | 1.330 | 10 पलास, 1 बबूल. |
| 976/2 | 0.300 | 1 आम, 1 सागौन, 3 आंजन, 4 नीम, 1 बबूल, 9 पलास, 2 बेर. | 770+771 | 0.260 | 1 आम, 2 पलास. |
| 977 | 0.900 | 2 आम, 1 नीम, 18 पलास, 7 बबूल, 1 छींद. | 771 | | 2 आंजन. |
| 978/2 | 0.140 | 3 आम, 1 जामुन, 2 पलास. | 803/1 | 0.240 | निल. |
| 978/1 | 0.350 | 1 आंजन, 8 बबूल, 3 पलास, 1 नीम, 5 आम. | 804/2 | 0.790 | 1 साज, 2 पलास. |
| 986 | 0.150 | 4 पलास, 1 बबूल, 2 बेर. | 804/1 | 0.650 | निल. |
| 992 | 0.290 | नाला में 1 कुआ 12 फीट चौड़ा 24 फीट गहरा, 4 बबूल, 2 पलास. | 803/3 | 0.350 | निल. |
| 993/2 | 0.480 | निल. | 803/2 | 0.430 | निल. |
| 993/1 | 0.160 | 9 पलास, 2 बेर, 2 बबूल. | योग . . | 91.020 | |
| 996/4 | | निल. | | | |
| 1003 | 0.110 | 6 पलास. | | | (2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है. |
| 1009/4 | 0.330 | 25 पलास. | | | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है. |
| 1009/1 | 0.300 | 3 पलास. | | | |

क्र. 3224-कलेक्टर-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

| | (1) | (2) | (3) |
|--------------------------------|-------------------|--|--|
| | 648/3 | 0.400 | 10 पलाश, 1 बबूल |
| | 649 | 1.980 | 1 कुंआ, 1 आम, 10 पलाश |
| | 650/1 | 0.180 | 11 आम |
| | 734/6 | 0.660 | 1 नीम, 10 पलाश |
| | 650/2 | 0.170 | 11 आम |
| | 734/1 | 0.090 | — |
| | 652 | 0.100 | — |
| | 659 | 0.720 | 3 पलाश |
| | 653 | 1.320 | — |
| | 658 | 2.730 | 1 कुंआ, 1 जामुन, 2 महुआ, 1 अजान, 21 पलाश, 1 बबूल, 1 कीन्ही. |
| (1) भूमि का वर्णन— | | | |
| (क) जिला—सिवनी | | | |
| (ख) तहसील—बरघाट | | | |
| (ग) ग्राम—सालहेकला | | | |
| (घ) क्षेत्रफल—67.210 हेक्टेयर. | | | |
| | 656 | 1.150 | आंजन 1, |
| | 670 | 1.640 | 1 कुंआ, 1 आम, 22 पलाश |
| | 657 | 0.590 | 1 कुंआ, 1 जामुन, 1 महुआ, 1 छींद |
| | 660 | 0.690 | — |
| | 661 | 0.560 | 2 बबूल |
| | 662 | 0.690 | 5 पलाश, 1 बबूल, 1 आंजन |
| | 665 | 0.130 | — |
| | 663 | 0.570 | 2 बबूल, 7 पलाश |
| | 664 | 0.070 | — |
| | 666 | 0.750 | 02 कुंआ, 1 मकान, 3 आम, 2 जामुन, 1 कंजी, 6 आंजन, 22 पलाश, 8 बेर, 2 बबूल, 4 बांस, 3 मवई, 10 जामुन, 2 महुआ, 4 इमली. |
| | 667 | 1.650 | 4 आम, 4 बिही, 11 आंजन, 1 गुरार, 5 पलाश, 13 कसई, 3 नीम, 7 बांस, 11 बेर. |
| | 668 | 1.430 | 1 कुंआ, 6 आम, 16 महुआ, 2 जामुन, 12 कसई, 6 नीम, 3 बबूल, 15 बांस, 2 बेर, 1 सेमर, 90 पलाश, 2 साज, 1 कीही, 1 आंजन. |
| | 669 | 0.810 | 1 कुंआ, 2 जामुन, 2 आंजन, 4 बबूल, 20 पलाश, बांस भिरा 2. |
| | 671 | 1.040 | 1 कुंआ |
| | 672 | 1.700 | 1 कुंआ, 1 सागौन, 2 कसई, पलाश 3. |
| | 675 | 1.020 | — |
| | 689/1 | 0.550 | — |
| | 676/1 | 0.940 | 1 कुंआ |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा | वृक्ष, मकान, कुंआ, | |
| अशासकीय | भूमि (हेक्टर में) | तालाब अन्य विवरण | |
| (1) | (2) | (3) | |
| 635 | 0.610 | 5 महुआ, 1 आम, 2 बीजा, 8 सागौन, 15 आंजन, 35 कसई, 4 बहेड़ा, 3 हरी, 80 पलाश, 15 बेर, 3 नीम, 1 कुंआ. | |
| 636 | 0.200 | 1 आम. | |
| 640/1 | 0.340 | 2 महुआ, 35 पलाश, 1 बहेड़ा, 4 साज. | |
| 637 | 0.200 | 20 पलाश, 4 बांस भिरा | |
| 638/1 | 0.200 | — | |
| 640/2 | 0.340 | 15 पलाश | |
| 639 | 0.570 | 10 पलाश, 2 महुआ, 2 इमली, 2 आंजन, 1 कुंआ. | |
| 638/2 | | 2 पलाश, 1 बबूल | |
| 638/4 | 0.430 | 10 पलाश, 1 नीम, 3 बांस भिरा | |
| 638/3 | | — | |
| 641/1 | 2.040 | 2 इमली, 1 आंजन, 60 पलाश, 1 कुंआ. | |
| 641/2 | 0.320 | 43 पलाश, 2 बेर, 1 कसई | |
| 642 | 1.050 | 1 बहेड़ा | |
| 643 | 1.050 | 5 पलाश | |
| 644 | 1.050 | 13 आम, 4 पलाश | |
| 645 | 0.900 | 10 पलाश, 2 बबूल | |
| 647 | 0.900 | 10 पलाश | |
| 648/1 | 0.350 | 1 पलाश, 7 बबूल | |
| 648/2 | 0.400 | 8 पलाश, 2 बबूल | |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|--------|-------|---------------------------|-------|-------|-------------------------------|
| 676/2 | 0.300 | — | 687 | 0.200 | — |
| 676/3 | 0.150 | — | 688 | 0.550 | — |
| 677/3 | 0.160 | — | 692/1 | 0.650 | 30 पलाश |
| 677/1 | 0.150 | — | 692/2 | 0.030 | 9 पलाश |
| 690/1 | 0.110 | — | 693 | 0.760 | 40 पलाश |
| 677/2 | 0.320 | 1 कुंआ | 694/1 | 0.580 | 62 पलाश |
| 690/2 | 0.120 | — | 694/2 | 0.200 | 40 पलाश |
| 677/4 | 0.090 | — | 695 | 0.760 | 40 पलाश |
| 690/4 | 0.420 | — | 734/5 | 0.080 | 6 पलाश |
| 677/5 | 0.090 | — | 697 | 0.620 | 1 साजा, 3 कसई, 52 पलाश, |
| 677/6 | 0.250 | — | | | 7 महुआ, चार 1, बेर 10, |
| 677/7 | 0.090 | — | | | लेडिया 5. |
| 677/9 | 0.100 | — | 698/1 | 2.810 | 10 महुआ, 10 साजा, 20 कसई, |
| 677/11 | 0.080 | — | | | 55 पलाश, आम 8, कसई 12, |
| 677/13 | 0.090 | — | | | बेर 4, लेडिया 1, जामुन चार 6, |
| 677/14 | 0.090 | — | | | आजन 8, चिचुनार 2. |
| 677/8 | 0.090 | — | 699/1 | 0.450 | — |
| 690/3 | 0.220 | — | 698/2 | 0.050 | 5 कसई, 5 पलाश, 5 महुआ, |
| 677/10 | 0.080 | — | | | 1 आम, 10 कसई, 2 बेर. |
| 682/3 | 0.170 | 10 बबूल, 10 पलाश | 699/2 | 0.130 | — |
| 685/1 | 0.130 | 1 बेर | 699/3 | 0.280 | 5 कसई, 50 पलाश |
| 677/12 | 0.080 | — | 700/3 | | 15 पलाश |
| 677/15 | 0.090 | — | 700/2 | 1.070 | — |
| 682/8 | 0.180 | 3 पलाश | 700/1 | | 1 लेडिया, 2 आम, 3 महुआ, |
| 685/5 | 0.130 | — | | | 2 बीजा, 3 आजन, 20 साजा, |
| 682/2 | 0.180 | 5 पलाश, 5 बबूल, 1 कुंआ | | | 10 कसई, 2 धामन, 3 जेवन, |
| 682/4 | 0.140 | — | | | 1 बहेडा, 1 बेर, 1 कुंआ. |
| 682/7 | 0.120 | — | 701 | 0.260 | 1 जामुन, 2 कसई, 15 पलाश, |
| 685/2 | 0.100 | — | | | 2 महुआ. |
| 682/5 | 0.340 | 20 पलाश, 1 बबूल | 706 | 0.290 | — |
| 685/4 | 0.120 | — | 703 | 0.290 | 1 कुंआ, 30 पलाश |
| 682/1 | 0.190 | 1 सागौन, 3 पलाश, 2 बबूल, | 704 | 0.660 | — |
| | | 1 बेर, 1 कुंआ. | 705 | 0.970 | 1 कुंआ, 22 पलाश, 1 बेर |
| 682/6 | 0.340 | — | 710 | 0.770 | — |
| 685/3 | 0.130 | 1 बांस | 711 | 0.750 | 1 कुंआ, 15 पलाश, 4 बेर, |
| 678 | 0.360 | 30 पलाश, 3 अंजन, 1 बबूल 1 | | | 1 बांस. |
| 691 | 0.470 | — | 712 | 0.800 | 10 पलाश |
| 679 | 0.830 | 1 आम, 1 महुआ, 5 आंजन, | 713/1 | 0.510 | 25 पलाश, 2 लेडिया |
| | | 10 पलाश, 2 बेर, 1 सागौन. | 713/2 | 0.520 | 20 पलाश, 1 बड़, 1 बबूल, |
| 680 | 0.660 | 1 आम, 4 आंजन, 1 नीम, | | | 1 हीवर. |
| | | 17 पलाश, 1 बेर. | 714 | 0.700 | 1 हर्, 30 पलाश |
| 681 | 0.960 | 1 आम, 50 पलाश, 4 बबूल, | 715 | 0.650 | 1 महुआ, 20 पलाश, 1 आंजन. |
| | | 5 बेर. | | | |
| 686 | 0.230 | — | | | |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|----------|-------------|--|---------|-------|--|
| 717 | 0.480 | 14 पलाश | 734/2 | 0.210 | 1 कुंआ, 1 मकान, 2 पलाश |
| 718 | 0.280 | 1 महुआ, 2 हर्दा, 20 पलाश, 1 तालाब. | 760 | 0.760 | 3 पलाश, 2 बेर |
| 719 | 0.710 | 15 पलाश | 762/1 | 0.180 | 1 कुंआ, 1 मकान, 2 पलाश |
| 720 | 0.670 | 20 पलाश | 762/3 | 0.200 | 2 पलाश |
| 721 | 0.730 | 5 पलाश | 762/2 | 0.200 | 1 मकान, 1 कुंआ |
| 722 | 0.680 | 3 महुआ, 1 हर्दा | 762/4 | 0.400 | 1 कुंआ, 1 मकान, 2 बेर |
| 631 | 0.350 | 1 लिपटन, 5 पलाश, 1 छींद | 820 | 0.190 | 1 पलाश |
| 734/2 | 0.350 | 16 पलाश | 829 | 0.120 | 1 पलाश, 1 बेर, 1 बबूल |
| 734/3 | 0.160 | 4 पलाश, 1 महुआ | 818 | 0.440 | 6 पलाश, 2 बेर, 1 बहेडा |
| 741/1 | | 5 महुआ, 3 आम, 2 जामुन, 4 बीजा, 8 साज, 12 कसई, 2 लेडिया, 2 हर्दा, 4 आजन, 1 कुंआ. | 817/1 | 0.020 | — |
| 741/2 | 1.390 | 5 चिरोंजी, 3 रोहन, 40 पलाश, 8 लेडिया. | 817/4 | 0.010 | 1 पलाश |
| 709 | 0.700 | 1 महुआ, 3 आंजन, 8 पलाश, 2 लेडिया. | 817/7 | 0.030 | 2 पलाश, 1 बेर |
| | | | 817/3 | 0.170 | — |
| | | | 817/2 | 0.420 | 13 बेर, 9 महुआ, 1 आम, 1 कसई. |
| | | | 817/5 | 0.140 | — |
| | | | 821 | 0.140 | — |
| | | | 824 | 0.270 | 12 पलाश, 2 कसई, 5 बेर, 1 कीन्ही. |
| योग . . | 67.120 | | 814 | 0.350 | 2 आम, 6 इमली, 3 महुआ, 2 जामुन, 6 कसई, 13 पलाश, 4 बांस, 2 बहेडा. |
| (2) | | सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है. | 815 | 0.150 | 2 महुआ, 6 बेर, 1 बबूल, 5 पलाश, 5 कसई. |
| (3) | | भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, सिवनी में किया जा सकता है. | 816 | 0.500 | 2 बेर, 1 बबूल, 12 पलाश |
| | | क्र. 3225-कलेक्टर-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:— | 809 | 0.240 | 3 महुआ, 3 लेडिया, 2 बबूल, 2 बांस, 2 पलाश. |
| | | अनुसूची | 810 | 0.500 | 1 बबूल, 3 पलाश, 1 सीवन, 1 आम. |
| (1) | | भूमि का वर्णन— | 805/3 | 0.800 | — |
| (क) | | जिला—सिवनी | 805/6 | 0.080 | 4 पलाश |
| (ख) | | तहसील—बरघाट | 813/1 | 0.260 | 6 बबूल, 8 पलाश, 3 बांस, 4 कसई, 4 बेर. |
| (ग) | | ग्राम—सालहेकला | 826 | 0.150 | 2 जामुन, 5 पलाश, 2 बेर, 1 महुआ, 4 बांस, 3 कसई. |
| (घ) | | क्षेत्रफल—7.490 हेक्टेयर. | योग . . | 7.490 | |
| खसरा नं. | अर्जित रकबा | वृक्ष, मकान, कुंआ, अशासकीय भूमि (हेक्टर में) | (2) | | सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है. |
| (1) | (2) | (3) | (3) | | भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, सिवनी में किया जा सकता है. |
| 734/1 | 0.560 | 2 पलाश | | | |

क्र. 3226-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—रा.नि.मं., बरघाट
(ग) ग्राम—साल्हेखुर्द, प.ह.नं.-21/65, ब.नं. 563
(घ) क्षेत्रफल—4.55 हेक्टेयर.

| खसरा नं. अशासकीय | अर्जित रकबा भूमि (हेक्टर में) | वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब अन्य विवरण |
|---------------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 182 | 0.190 | 1 जामुन, 10 पलाश, 8 पाडर |
| 180 | 0.490 | 1 कुंआ, 1 महुआ, 2 जामुन, 1 गुरार, 1 बबूल, 10 पलाश. |
| 179 | 0.150 | 1 आम, 3 पलाश, 1 बबूल |
| 175 | 0.080 | — |
| 540 | 0.220 | 1 आम |
| 178 | 0.080 | 1 आम |
| 177 | 0.050 | — |
| 543 | 0.110 | — |
| 176 | 0.070 | 1 पलाश, 1 बेर, 1 कुंआ |
| 545 | 0.150 | 1 कुंआ 6×8 फीट है ईट |
| 172 | 0.180 | 1 पलाश, 1 सेमर |
| 171 | 0.240 | 3 पलाश, 2 बेर |
| 544 | 0.420 | 1 कुंआ, 1 आम, 3 पालस, 2 बेर |
| 168 | 0.300 | 1 कुंआ, 1 बबूल |
| 547 | 0.100 | 1 कुंआ |
| 549/1, 549/2 | 0.070 | — |
| 186/2 | 0.550 | 1 कुंआ, 19 पलाश, 4 बेर |
| 186/3 | 0.550 | 1 जामुन, 14 पलाश, 4 बेर, 6 आंजन, 6 बांस, 1 कुंआ. |
| 186/4 | 0.550 | 3 आम, 2 जामुन, 11 पलाश |
| योग . . . | 4.550 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है काचनामंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय/भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 3227-कलेक्टर-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—बरघाट
(ग) ग्राम—निवारी
(घ) क्षेत्रफल—70.350 हेक्टेयर.

| खसरा नं. अशासकीय | अर्जित रकबा भूमि (हेक्टर में) | वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब अन्य विवरण |
|---------------------|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 13 | 0.070 | 4 पलाश |
| 6/1 | 0.230 | 2 बबूल |
| 11/2 | 0.430 | 5 बबूल, 15 पलाश |
| 6/2 | 0.440 | — |
| 8, 18/3 | 0.350 | 1 कुंआ, 2 बिही, 3 जामुन, 1 बबूल, 4 पलाश. |
| 7 | 0.240 | 4 बबूल, 1 पलाश |
| 9 | 1.220 | 7 पलाश, 1 बेर, 10 बबूल, 3 कीन्ही, 1 जामुन. |
| 11/1 | 0.430 | 37 फलाश, 1 बेर |
| 12 | 0.930 | 30 पलाश |
| 14/1 | 0.070 | 4 पलाश |
| 14/2 | 0.030 | 3 पलाश |
| 14/3 | 0.030 | 2 पलाश |
| 15 | 0.900 | 8 बबूल, 1 पलाश |
| 16/2 | 0.200 | 4 बबूल |
| 16/1 | 1.100 | 5 बबूल, 1 बेर |
| 17/2 | 0.180 | 2 बबूल, 3 पलाश |
| 17/3 | 0.190 | 1 पलाश, 2 बबूल |
| 136 | 0.700 | 3 आम, 14 कसई, 2 नीम, 2 आंजन, 15 पलाश, 1 बांस भिरा, 1 जामुन, 4 सागौन. |
| 139/4 | 0.890 | 25 पलाश, 05 बेर, 17 सागौन, 09 कसई, 1 सावर, 5 मुंडर, 2 नीम. |
| 134/1 | 0.100 | — |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|------------|-------|--|----------------|----------------|---|
| 139/1 | 0.120 | — | 64 | 0.180 | 1 कुंआ, 3 महुआ, 5 कसई, |
| 139/5 | 0.190 | 3 पलाश, 2 बेर | | | 2 नीम, 10 पलाश. |
| 134/2 | 0.070 | — | 163/2 | 1.750 | 1 कोसम, 4 हर्दा, 240 पलाश |
| 139/3 | 0.540 | 34 पलाश, 10 बेर, 14 सागौन, 4 मुंडर, 2 नीम, 11 कसई, 1 किन्ही, 1 आम. | 108 | 0.570 | 28 सागौन, 30 पलाश, 1 बबूल, 1 हर्दा, 1 जामुन, 6 लेडिया. |
| 139/2 | 0.410 | 30 पलाश 2 मुंडर, 1 कीन्ही, 5 कसई, 1 नीम. | 154/2 160 | 1.780 0.610 | 4 पलाश 2 आम, 2 आंजन, 10 पलाश, 2 बेर, 1 कसई. |
| 17/4 | 0.470 | 1 बबूल | 162 | 0.500 | 2 महुआ, 3 जामुन, 4 आम, 1 बबूल, 3 हर्दा, 20 पलाश, 1 लेडिया, 8 आंजन. |
| 18/1, 18/2 | 0.230 | 6 बबूल | | | |
| 98/1 | 0.900 | 3 आम, 2 महुआ, 1 जामुन, 5 कसई, 1 आंजन, 1 गुरार, 45 पलाश, 18 बेर, 1 इमली, 1 पीपल. | 161 | 0.620 | 3 महुआ, 2 बेर, 2 पीपल, 4 पलाश, 1 बांस, 1 आम, 1 नीम. |
| 117/2 | 0.420 | 2 आम, 1 महुआ, 1 सागौन, 13 कसई, 20 पलाश, 1 बबूल, 5 बेर, 1 जामुन, 1 नीम, 1 गुरार. | 159 | 0.700 | 1 आम, 1 जामुन, 12 पलाश, 10 बेर, 2 मवई, 8 आंजन. |
| 98/4 | 0.600 | 2 आम, 2 महुआ, 5 कसई, 37 पलाश, 4 बेर, 1 चार, 1 जामुन, 2 साजा. | 158 | 0.370 | 10 इमली, 7 आम, 2 जामुन, 3 महुआ, 2 कसी, 20 पलाश, 2 हर्दा. |
| 137 | 0.230 | 3 गुरार, 7 पलाश, 1 बेर | 157/1 157/2 | 0.620 0.690 | 20 पलाश 20 पलाश |
| 73/1, 73/2 | 0.260 | — | 151 | 1.220 | 4 पलाश |
| 74/1 | 0.400 | 7 बबूल | 164 | 4.980 | 4 पलाश, 2 बेर |
| 74/2 | 0.140 | 1 बबूल, 2 पलाश | 140/1 | 0.240 | 1 आम, 7 कसई, 1 गुरार, 25 पलाश, 16 बेर, 3 बांस, 1 चार चिरोंजी, 3 मुंडर. |
| 75 | 0.250 | 9 बबूल, 4 पलाश, 1 बेर | | | |
| 77/1 | 0.300 | 4 पलाश, 1 बबूल 2 बेर | 140/2 | 0.860 | 2 आम, 1 जामुन, 8 सागौन, 50 कसई, 20 बेर, 4 हर्दा, 2 नीम, 100 पलाश, 3 बांस, 3 पाडर, 2 महुआ. |
| 77/3 | 0.110 | 2 बेर, 1 बबूल | | | |
| 707/5 | 0.200 | — | | | |
| 78 | 1.050 | 2 सागौन, 10 पलाश, 3 बबूल, 10 बेर, 2 जामुन. | 140/3 | 1.190 | 2 आम, 10 सीवन, 50 कसई, 5 गुरार, 3 मुंडर, 2 रोहन, 2 नीम, 27 बेर, 90 पलाश, 4 चार, 2 महुआ. |
| 133 | 0.200 | 1 जामुन, 1 आम, 1 नीम, 30 पलाश, 8 बेर. | | | |
| 85/2 | 1.000 | 25 पलाश | | | |
| 85/3, 85/4 | 1.000 | 22 पलाश | | | |
| 85/5 | 1.000 | 50 पलाश, 2 बबूल | 90/1 | 0.270 | 5 पलाश |
| 85/6 | 1.000 | 60 पलाश, 2 बबूल, 3 बेर | 90/2 | 0.270 | 10 पलाश |
| 85/7 | 1.000 | 1 जामुन, 10 पलाश, 1 बबूल | 90/3 | 0.270 | 1 कुंआ, 1 हर्दा, 12 पलाश |
| 85/8 | 0.320 | — | 91 | 0.860 | 2 बेर, 8 पलाश |
| 85/9 | 1.000 | — | 92 | 0.810 | 20 आम, 3 बिही, 2 महुआ, 25 शीशम, 3 सागौन, 7 आंजन, 1 गुरार, 10 कसई, 10 गराडी, 4 नीम, 4 लिपटन, 10 पलाश, 1 बांस, 7 बेर, 4 अनार, 10 बबूल, 1 साजा. |
| 85/10 | 1.000 | 27 पलाश, 03 बेर | | | |
| 85/11 | 1.000 | 5 पलाश, 1 लेडिया, 1 बेर | | | |
| 85/12 | 2.000 | 8 बबूल | | | |
| 68/2 | 0.250 | 20 पलाश, 7 बबूल | | | |
| 68/3 | 0.090 | 1 पलाश | | | |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| 93 | 0.900 | 5 जामुन, 6 महुआ, 5 आम, 2 सागौन, 15 आंजन, 5 कसई, 4 नीम, 22 पलाश, 4 बबूल, 3 बांस, 3 मेंडर, 1 तेंदू, 5 बेर. | 111/2 | 1.570 | 1 जामुन, 2 गुरार, 5 आंजन, 1 हर्षा, 3 नीम, 4 साजा, 3 सीवन, 1 कसई, 1 धवा, 2 लेडिया, 2 पाडर, 20 सागौन, 11 महुआ, 32 पलास, 3 करंजी, 7 बबूल, 12 बेर, 10 कसई, 1 पीपल, 1 आम. |
| 94 | 0.980 | 1 कुंआ, 1 मकान, 4 आम, 1 सागौन, 5 कसई, 5 आंजन, 100 पलाश, 12 बेर, 3 बांस. | | | |
| 95 | 0.950 | 1 कुंआ, 3 जामुन, 6 सीवन, 5 आंजन, 60 पलाश, 6 बबूल, 15 बेर. | 113/6 113/5 101/3 | 0.250 0.250 0.520 | 1 महुआ, 2 पलाश 6 पलाश, 1 बबूल, 3 आंजन 2 सागौन, 2 कसई, 7 सीवन, 2 हर्षा, 1 नीम, 2 पलाश, 2 पाडर, 15 लेडिया, 5 आम, 4 बेर, 5 महुआ, 1 साजा. |
| 96 | 0.850 | 1 कुंआ, 2 शीशम, 5 कसई, 1 हर्षा, 48 पलाश, 3 बेर, 1 बबूल, 20 आंजन. | | | |
| 165 | 0.720 | 10 आम, 5 कसई, 10 पलाश, 3 बेर. | 105/1 | 0.890 | 4 महुआ, 3 आम, 1 इमली, 1 जामुन, 4 सागौन, 30 पलाश, 10 हर्षा, 1 आंजन, 15 कसई, 5 बेर. |
| 97 | 0.390 | 1 आम, 1 जामुन, 36 पलाश, 2 बेर, 6 कसई, 1 उमर, 1 कुंआ. | | | |
| 98/2 | 0.900 | 4 महुआ, 2 जामुन, 6 कसई, 2 हर्षा, 2 गुरार, 38 पलाश, 20 बेर, 2 पाडर, 2 सागौन, 2 पीपल, 2 चार. | 111/3 113/3 109/1 | 0.330 0.160 0.240 | 5 कसई, 10 पलाश, 3 बेर 2 महुआ, 1 सागौन, 4 कसई, 10 पलाश, 5 बेर. 6 सागौन, 1 आंजन, 5 लेडिया, 12 पलाश, 3 बेर, 1 बांस, 2 सीवन. |
| 117/1 | 0.420 | 7 आम, 2 कसई, 10 पलाश, 1 सागौन, 3 बेर. | 105/2 | 0.440 | 4 महुआ, 2 आम, 1 जामुन, 3 सागौन, 20 पलास, 1 बबूल, 2 आंजन, 10 कसई, 4 बेर. |
| 98/3 | 1.200 | 1 आम, 1 महुआ, 9 कसई, 2 हर्षा, 55 पलाश, 1 साजा, 2 पीपल, 1 चिरौंजी, 2 बांस, 1 नीम, 5 बेर. | 107/4 105/3 | 0.170 0.160 | 1 बेर, 1 पलास 2 मुहआ, 2 आम, 1 आजन, 1 जामुन, 1 सागौन, 20 पलास, 5 कसई. |
| 99 | 0.820 | 1 कुंआ, 1 मकान, 24 आम, 3 देशी आम, 4 महुआ, 5 कसई, 2 नीम, 6 सागौन, 4 आजन, 1 गराडी, 6 सीवन, 12 बांस, 1 बेर, 25 पलाश, 2 आंवला, 2 लेडिया, 3 चिचवा. | 102 104 | 0.840 0.210 | 1 कुंआ, 25 पलास, 4 महानीम, 3 बेर. 1 महुआ, 2 जामुन, 10 सीवन, 8 कसई, 5 पलास, 1 बबूल, 2 चिचवा, 8 बेर, 2 आजन. |
| 100 | 0.130 | 1 जामुन, 2 महुआ, 3 आंजन, 10 कसई, 20 पलाश, 6 बेर. | 107/1 | 1.120 | 1 कुंआ, 1 महुआ, 1 आम, 2 जामुन, 2 सागौन, 8 आंजन, 6 कसई, 1 सीवन, 1 कीन्ही, 2 बहेडा, 1 हर्षा, 2 बबूल, 2 बेर, 30 पलास, 1 बांस. |
| 113/2 | 0.600 | 1 आम, 1 सागौन, 13 पलाश, 2 जामुन. | | | |
| 135 | 0.350 | 1 कुंआ पक्का, 2 आम, 3 महुआ, 12 सागौन, 10 पलाश, 4 बेर, 3 पाडर, 1 हर्षा. | 106 | 0.240 | 2 सागौन, 10 पलास |
| 101/2 | 0.240 | 30 पलाश, 2 बेर | | | |

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|---------------|---|
| 109/2 | 0.230 | 10 लेडिया, 5 पलास, 10 कसई |
| 107/3 | 0.130 | 3 बेर, 5 पलास |
| 107/2 | 0.070 | 1 आम, 9 सागौन, 9 कसई, 2 हर्रा, 2 पलास. |
| 107/5 | 0.200 | 10 पलास, 1 आम, 5 बेर |
| 112 | 0.950 | 1 कुंआ, 8 आम, 11 महुआ, 4 जामुन, 28 सागौन, 32 कसई, 1 गूलहर, 80 पलास, 18 बेर, 6 बॉस, 4 बबूल, 1 चिचवा, 1 सिलवट, 5 नीम. |
| 114 | 0.510 | 3 महुआ, 1 आम, 1 जामुन, 9 कसई, 7 पलास, 6 बेर. |
| 115 | 0.060 | — |
| 116 | 1.130 | 6 महुआ, 3 आम, 1 जामुन, 1 सागौन, 2 बीजा, 5 कसई, 8 आजन, 2 सीवन, 4 नीम, 34 पलास, 1 पाडर, 20 बेर, 1 तेंदू. |
| 118 | 0.350 | 1 कुंआ, 16 पलास |
| 119 | 0.050 | 1 बेर |
| 120 | 0.430 | 1 आम, 2 महुआ, 10 पलास, 10 आंजन, 4 बेर, 2 बबूल. |
| 121 | 0.520 | 1 आम, 4 कसई, 1 बहेडा, 10 पलास. |
| 101/1 | 1.900 | 1 आम, 3 जामुन, 7 कसई, 9 नीम, 1 हर्रा, 2 कंजई, 22 पलास, 1 बेर, 2 पीपल, 2 बहेडा, 11 सीवन, 4 महुआ, 3 बबूल. |
| 111/1 | 0.170 | — |
| 113/1 | 0.800 | 9 मुहआ, 2 इमली, 03 सागौन, 10 कसई, 1 साजा, 35 पलास, 2 पाडर, 1 मवई, 4 बेर, 2 कीन्ही. |
| 113/4 | 0.200 | 1 जामुन, 1 नीम, 4 उमर |
| योग . . . | <u>70.350</u> | |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 मई 2013

प्र. क्र. 7-अ.-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-4466.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—करपा, पटवारी हल्का नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.541 हेक्टेयर

| खसरा नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 72 | 0.020 |
| 606 | 0.348 |
| 609 | 0.186 |
| 607/1 | 0.101 |
| 607/2 | 0.101 |
| 615/2 | 0.120 |
| 608 | 0.122 |
| 613/1 | 0.093 |
| 613/2 | 0.093 |
| 621/2 | 0.050 |
| 621/3 | 0.360 |
| 657/1 | 0.405 |
| 629 | 0.320 |
| 628/1 | 0.150 |
| 628/4 | 0.150 |
| 628/2 | 0.210 |
| 628/6 | 0.060 |
| 733/1 | 0.020 |
| 733/2 | 0.110 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

| | |
|-------|--------------------|
| (1) | (2) |
| 734/3 | 0.100 |
| 573 | 0.080 |
| 579/1 | 0.180 |
| 605 | 0.110 |
| 579/5 | 0.070 |
| 621/4 | 0.375 |
| 583/2 | 0.040 |
| 579/4 | 0.050 |
| 614/1 | 0.343 |
| 586/2 | 0.217 |
| 579/2 | 0.050 |
| 579/3 | 0.050 |
| 628/3 | 0.200 |
| 628/5 | 0.260 |
| 621/5 | 0.050 |
| 485 | 0.085 |
| 484/3 | 0.024 |
| 484/1 | 0.028 |
| 484/2 | 0.056 |
| 484/5 | 0.024 |
| 484/4 | 0.024 |
| 630/1 | 0.306 |
| 630/2 | 0.130 |
| 630/3 | 0.160 |
| 630/4 | 0.110 |
| 631/2 | 0.180 |
| 615/3 | 0.220 |
| | योग : <u>6.541</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करपा जलाशय बाँध एवं नहर निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 7 मई 2013

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—निवाई माफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.35 हेक्टेयर एवं मकान 15.

| खसरा नंबर में से (1) | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 273 | 0.18 |
| 301/1 में से | 0.14 |
| 303/1 में से | 0.12 |
| 462/3 में से | 0.03 |
| 301/3 में से | 0.60 |
| 302 | 0.26 |

योग : 1.35

मकान—15

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 08-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —जियाजीपुर
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.50 हेक्टर.

| सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 230 | 0.540 | 0.09 |
| 212 | 0.420 | 0.05 |
| 213 | 0.430 | 0.03 |
| 211 | 0.190 | 0.12 |
| 210 | 0.440 | 0.01 |
| 214 | 1.610 | 0.08 |
| 215 | 1.400 | 0.12 |
| योग . . | | 0.50 |

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6-एल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —कमलापुर
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.36 हेक्टर.

| सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 53 | 1.37 | 0.09 |
| 41 | 0.61 | 0.07 |
| 40 | 0.93 | 0.12 |
| 39 | 0.25 | 0.07 |
| 38 | 1.14 | 0.01 |
| योग . . | | 0.36 |

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6-एल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद

- (ग) नगर/ग्राम —रामपुरा
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.71 हेक्टर.

| सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 550 | 0.76 | 0.01 |
| 548 | 0.79 | 0.12 |
| 540 | 1.23 | 0.11 |
| 538 | 0.32 | 0.11 |
| 537 | 1.22 | 0.13 |
| 469 | 0.82 | 0.04 |
| 484 | 0.87 | 0.09 |
| 485 | 0.79 | 0.09 |
| 483 | 0.80 | 0.01 |
| योग . . . | | 0.71 |

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 5-एल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-12-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —रवरौआ
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.38 हेक्टर.

| सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 2469 | 0.540 | 0.04 |
| 2468 | 0.540 | 0.03 |
| 2400 | 0.420 | 0.01 |
| 2465 | 0.190 | 0.14 |
| 2464 | 0.440 | 0.12 |
| 2426 | | 0.04 |
| योग . . . | | 0.38 |

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6 एल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-12-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम —आलोरी
(घ) कुल क्षेत्रफल—2.08 हेक्टर.

| सर्वे नंबर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 2165 | 0.65 | 0.01 |
| 2164 | 0.86 | 0.09 |
| 2172 | 2.41 | 0.24 |
| 2160 | 1.32 | 0.19 |
| 2159 | 0.17 | 0.01 |
| 2158 | 0.56 | 0.05 |
| 2157 | 0.61 | 0.07 |
| 2156 | 0.10 | 0.01 |
| 2155 | 1.78 | 0.19 |
| 2129 | 1.32 | 0.18 |
| 2124 | 1.30 | 0.09 |
| 2123 | 0.69 | 0.09 |
| 2122 | 0.88 | 0.12 |
| 2010 | 0.68 | 0.08 |
| 2009 | 1.18 | 0.08 |
| 2008 | 1.28 | 0.06 |
| 2007 | 0.73 | 0.08 |
| 2005 | 0.47 | 0.06 |
| 2006 | 0.47 | 0.05 |
| 2004 | 1.25 | 0.13 |
| 2021 | 0.99 | 0.01 |
| 2022 | 0.86 | 0.11 |
| 2024 | 1.30 | 0.08 |
| योग . . . | | 2.08 |

- (2) प्रयोजन—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के शाखा 6-एल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. 3384-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—कदमसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.337 हेक्टर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 1091 | 0.075 |
| 1189 | 0.072 |
| 1094 | 0.075 |
| 925/1 | 0.024 |
| 1089/2 | 0.011 |
| 914/1 | 0.017 |
| 925/3/1 | 0.060 |
| 922/1 | 0.031 |
| 923/1ग | 0.060 |
| 875/1 | 0.096 |
| 875/2 | 0.035 |
| 872/1 | 0.042 |
| 872/2 | 0.194 |
| 871/1 | 0.060 |
| 927/2 | 0.012 |
| 920 | 0.032 |
| 912 | 0.036 |
| 870/2 | 0.075 |
| 870/1 | 0.178 |
| 793 | 0.030 |
| 792 | 0.120 |
| 787 | 0.051 |
| 786 | 0.095 |
| 927 | 0.032 |

| (1) | (2) |
|---------|-------|
| 919/1 | 0.026 |
| 916 | 0.040 |
| 914/2 | 0.014 |
| 913 | 0.001 |
| 899 | 0.018 |
| 897 | 0.018 |
| 898 | 0.016 |
| 895 | 0.048 |
| 888 | 0.016 |
| 1176 | 0.102 |
| योग . . | 1.337 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—छिरहाटोला जलाशय नहर कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 3386-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर
(ग) ग्राम—पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.549 हेक्टर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|----------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 54/1 | 0.121 |
| 56/1 | 0.008 |
| 56/2 | 0.008 |
| 66/1 | 0.016 |
| 66/2 | 0.016 |
| 66/4 | 0.016 |
| 140 | 0.048 |
| 143 | 0.016 |
| 186/1ख | 0.112 |

| | |
|-------|-------|
| (1) | (2) |
| 64 | 0.016 |
| 141/2 | 0.028 |
| 144 | 0.144 |
| योग | 0.549 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—पाली जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 3 मई 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—कंदेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.371 हेक्टेयर.

| भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या | खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 258/1 | 0.096 |
| 269 | 0.057 |
| 467/1 | 0.218 |
| कुल रकबा . . | 0.371 |

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल 3 माइनर के भू-अर्जन हेतु. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 9 मई 2013

क्र. 371-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र.-2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—सनावद
(ग) ग्राम—सनावद
(घ) क्षेत्रफल—0.504 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 573 | 0.446 |
| 574/1 | 0.058 |
| योग . . | 0.504 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम-21 की सब माईनर क्रमांक एस.एम.-3 नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी आँकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28 पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 10 मई 2013

नस्ती क्र. 75-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—बिलाया
(घ) अर्जित रकबा—1.66 हेक्टर.

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हे. में) |
|--------------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 6/1 | 0.03 |
| 6/2 | 0.29 |
| 6/3 | 0.05 |
| 4 | 0.12 |
| 9/1 | 0.10 |
| 10 | 0.11 |
| 13/2 | 0.06 |
| 14 | 0.60 |
| 15/1 | 0.30 |

कुल योग . . . 1.66

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सनावद वितरण शाखा की उपशाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. क-6595-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—गढ़ाकोटा
(ग) ग्राम—गढ़ाकोटा, प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल—204.92 वर्गमीटर.

| खसरा नं. | रकबा (वर्गमीटर में) |
|----------|---------------------|
| (1) | (2) |

| | |
|-------|--------|
| 354/1 | 204.85 |
| 250/1 | 0.07 |

योग . . . 204.92

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन हेतु ग्राम गढ़ाकोटा खास की निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -क-6596-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—रहली
(ग) ग्राम—सहजपुरीखुर्द, प.ह.नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.200 हेक्टर.

| खसरा नं. | रकबा (हे. में) |
|----------|----------------|
| (1) | (2) |

| | |
|-------|-------|
| 494 | 0.030 |
| 500/2 | 0.600 |
| 500/3 | 0.170 |
| 500/4 | 0.020 |
| 516 | 0.210 |

| | |
|---------|--------------|
| (1) | (2) |
| 515 | 0.100 |
| 500/1 | 0.230 |
| 514 | 0.050 |
| योग . . | <u>1.200</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन बी.ओ.टी., एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा सहजपुरीखुर्द स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-6597-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—रहली
(ग) ग्राम—पटनाककरी, प.ह.नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टर.

| | |
|---------|--------------|
| खसरा | रकबा |
| नं. | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 118/1 | 0.072 |
| योग . . | <u>0.072</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन —बी.ओ.टी., एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा पटनाककरी स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-6598-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—रहली
(ग) ग्राम—खमरिया, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.996 हेक्टर.

| | |
|--------|-----------|
| खसरा | रकबा |
| नं. | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 207/2 | 0.121 |
| 206 | 0.266 |
| 212/1 | 0.081 |
| 212/2 | 0.575 |
| 213 | 0.263 |
| 214 | 0.041 |
| 221 | 0.162 |
| 62 | 0.405 |
| 61/2 | 0.041 |
| 63/2 | 0.446 |
| 57/1 | 0.809 |
| 56 | 0.081 |
| 55 | 0.012 |
| 366/1 | 0.243 |
| 366/3 | 0.040 |
| 368/1 | 0.385 |
| 369 | 0.061 |
| 561/2 | 0.179 |
| 560/2 | 0.114 |
| 559 | 0.053 |
| 558 | 0.104 |
| 557 | 0.039 |
| 379/1 | 0.223 |
| 379/5 | 0.454 |
| 379/6 | 0.162 |
| 379/11 | 0.061 |
| 379/18 | 0.243 |
| 549 | 0.470 |
| 546 | 1.121 |
| 488/1 | 0.415 |
| 488/4 | 0.313 |
| 548/1 | 0.189 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|---------------|---------------|-------|
| 548/2 | 0.189 | 163/3 | 0.176 |
| 548/3 | 0.189 | 181/6 | 0.008 |
| 547 | 0.446 | 190 | 0.108 |
| | योग . . 8.996 | 182/2 | 0.010 |
| | | 182/3 | 0.008 |
| | | 182/4 | 0.008 |
| | | योग . . 4.366 | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी., एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा खमरिया स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन बी.ओ.टी., एन्युटी योजनांतर्गत रहली बायपास मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की मौजा रहलीखास स्थित निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-6601-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

| (क) जिला—सागर | (ख) तहसील—रहली | (ग) ग्राम—रहलीखास, प.ह.नं. 20 | (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.366 हेक्टर. |
|---------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| खसरा | रकबा | | |
| नं. | (हे. में) | | |
| (1) | (2) | | |
| 236/1 | 0.203 | | |
| 235/1 | 0.425 | | |
| 235/2 | 0.203 | | |
| 236/3 | 0.203 | | |
| 234 | 0.405 | | |
| 233 | 0.266 | | |
| 16/2 | 0.072 | | |
| 24/1 | 0.538 | | |
| 148/2 | 0.064 | | |
| 155 | 0.132 | | |
| 26/3 | 0.819 | | |
| 148/3 | 0.052 | | |
| 148/6 | 0.072 | | |
| 148/7 | 0.048 | | |
| 145 | 0.234 | | |
| 146 | 0.152 | | |
| 144/1 | 0.072 | | |
| 163/1 | 0.088 | | |

क्र. क-6599-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

| (क) जिला—सागर | (ख) तहसील—बण्डा | (ग) नगर/ग्राम—सेसई | (घ) लगभग क्षेत्रफल—32.91 हेक्टर. |
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|

भू-अर्जन प्रकरण ग्राम सेसई
पटवारी हल्का नं. 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहरोल

| खसरा | रकबा |
|---------|-----------|
| नं. | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 848 | 0.19 |
| 227/14 | 0.80 |
| 847 | 1.92 |
| 836 | 0.71 |
| 833 | 0.50 |
| 834 | 0.47 |
| 830 | 0.49 |
| 829/828 | 0.26+0.19 |
| 812 | 0.14 |
| 825 | 0.93 |
| 115 | 0.21 |

| | | | |
|-------|------|--------|---|
| (1) | (2) | (1) | (2) |
| 826 | 0.09 | 227/15 | 0.80 |
| 157 | 0.05 | 474 | 0.22 |
| 808/2 | 2.0 | 475 | 0.33 |
| 809 | 0.66 | 476 | 0.40 |
| 810 | 0.56 | 802 | 0.35 |
| 814 | 0.36 | 804 | 0.88 |
| 822 | 0.04 | 805 | 1.42 |
| 158 | 0.27 | 845 | 1.27 |
| 815 | 0.33 | 851 | 0.24 |
| 161 | 0.93 | 852/2 | 0.10 |
| 162 | 0.14 | 852/1 | 0.11 |
| 816 | 0.34 | | योग . . . 32.91 |
| 191 | 1.33 | | |
| 817 | 0.57 | (2) | सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का आवश्यकता है—नयाखेड़ा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु. |
| 188 | 0.19 | | |
| 189 | 0.47 | (3) | भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. |
| 210 | 0.61 | | |
| 818/1 | 0.72 | | |
| 819 | 1.42 | | |
| 818/2 | 0.24 | | |
| 820 | 0.41 | | |
| 811 | 0.30 | | |
| 163 | 0.09 | | |
| 164 | 0.57 | | |
| 150 | 0.11 | | |
| 146 | 0.21 | | |
| 155 | 0.21 | | |
| 147 | 0.26 | | |
| 148 | 0.07 | | |
| 149 | 0.81 | | |
| 159 | 0.29 | | |
| 160 | 0.21 | | |
| 165 | 0.55 | | |
| 199/1 | 0.76 | | |
| 199/2 | 1.13 | | |
| 190 | 0.10 | | |
| 205 | 0.17 | | |
| 206 | 1.05 | | |
| 821 | 0.53 | | |
| 822 | 0.05 | | |
| 156 | 0.31 | | |
| 207 | 0.27 | | |
| 211 | 0.20 | | |

क्र. क-6600-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
 (ख) तहसील—बण्डा
 (ग) नगर/ग्राम—नयाखेड़ा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—23.52 हेक्टर.

भू-अर्जन प्रकरण ग्राम नयाखेड़ा
 पटवारी हल्का नं. 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल बहरोल

| खसरा नं. | रकबा (हे. में) |
|----------|----------------|
| (1) | (2) |
| 19 | 0.22 |
| 21 | 0.63 |
| 83 | 0.05 |
| 37 | 0.13 |
| 34 | 0.27 |

| | | |
|---|---------------|---|
| (1) | (2) | संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यकालीन समय में देखा जा सकता है। |
| 22 | 0.49 | |
| 33 | 0.26 | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, |
| 23 | 1.02 | योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव. |
| 30 | 0.55 | |
| 85 | 1.00 | कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, |
| 88 | 0.13 | बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं |
| 48 | 0.22 | पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग |
| 25 | 0.47 | |
| 53 | 0.03 | रीवा, दिनांक 6 मई 2013 |
| 72 | 0.89 | |
| 31 | 0.85 | पत्र क्र. 1116-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन |
| 40 | 0.07 | को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद |
| 52 | 0.01 | (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की |
| 66 | 0.65 | सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, |
| 93 | 1.24 | 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा |
| 27 | 0.10 | घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के |
| 32 | 0.22 | अर्जन हेतु आवश्यकता है:— |
| 46 | 0.16 | |
| 35 | 0.30 | अनुसूची |
| 42 | 1.16 | (1) भूमि का वर्णन— |
| 47 | 0.66 | (क) जिला—सतना |
| 49 | 0.06 | (ख) तहसील—रामपुर बाघेलान |
| 67 | 0.12 | (ग) ग्राम—पटरहाई |
| 73 | 0.61 | (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.475 हेक्टेयर. |
| 50 | 0.42 | |
| 81 | 2.00 | खसरा नं. |
| 92 | 2.64 | अर्जित रकबा |
| 38 | 0.51 | (हेक्टेयर में) |
| 82 | 0.65 | (1) |
| 65 | 0.93 | 341/1क |
| 57 | 0.48 | 287/1क/5 |
| 39 | 0.54 | 287/1क/2 |
| 55 | 0.06 | 328 |
| 51 | 0.01 | 177/2क |
| 63 | 0.75 | योग . . 0.465 |
| 87 | 0.25 | |
| 70 | 0.23 | (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा |
| 18/1 | 1.41 | के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है. |
| 18/2 | 0.07 | (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ |
| | योग . . 23.52 | शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु. |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नयाखेड़ा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु. | | (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल | | |

रीवा, दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1160-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—राजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.949 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1485 | 0.045 |
| 1509 | 0.045 |
| 1510 | 0.092 |
| 1511 | 0.054 |
| 1518 | 0.092 |
| 1519 | 0.026 |
| 1520 | 0.048 |
| 1521 | 0.048 |
| 1522 | 0.230 |
| 1558 | 0.045 |
| 1563 | 0.154 |
| 1570 | 0.0128 |
| 1571 | 0.129 |
| 1610 | 0.319 |
| 1618 | 0.012 |
| 1627 | 0.140 |
| 1629 | 0.241 |
| 1631 | 0.015 |
| 1639 | 0.078 |
| 1704 | 0.039 |
| 1705 | 0.039 |
| 1706 | 0.045 |
| मध्यप्रदेश शासन | निल |
| योग | 1.949 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 4 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1162-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—दुलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.100 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 1409 | 0.157 |
| 1422 | 0.168 |
| 1424 | 0.008 |
| 1425 | 0.070 |
| 1427 | 0.101 |
| 1428 | 0.011 |
| 1452 | 0.048 |
| 1453 | 0.008 |
| 1455 | 0.038 |
| 1456 | 0.011 |
| 1457 | 0.022 |
| 1458 | 0.008 |
| 1459 | 0.034 |
| 1460 | 0.005 |
| 1461 | 0.005 |
| 1462 | 0.003 |
| 1463 | 0.11 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 1464 | 0.002 | 128 | 0.017 |
| 1466 | 0.019 | 129 | 0.049 |
| 1467 | 0.019 | 130 | 0.042 |
| 1468 | 0.011 | 132 | 0.177 |
| 1473 | 0.004 | 133 | 0.040 |
| 1476 | 0.028 | मध्यप्रदेश | निल |
| 1477 | 0.024 | | योग . . . 1.247 |
| 1854 | 0.274 | | |
| 1856 | 0.011 | | |
| मध्यप्रदेश शासन | निल | | |
| कुल योग . . | 1.100 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 4 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1164-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सगौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.247 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 12 | 0.302 |
| 13 | 0.136 |
| 45 | 0.129 |
| 46 | 0.129 |
| 49 | 0.078 |
| 124 | 0.024 |
| 127 | 0.124 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 2 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1166-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—बलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.248 हेक्टेयर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 153 | 0.100 |
| 154 | 0.005 |
| 155 | 0.003 |
| 156 | 0.134 |
| (शा.) 158 | 0.053 |
| (शा.) 159 | 0.036 |
| 160 | 0.059 |
| 161 | 0.059 |
| 192 | 0.036 |
| 193 | 0.006 |
| (शा.) 194 | 0.053 |
| (शा.) 195 | 0.006 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| (1) | (2) |
| 196 | 0.123 |
| (शा.) 197 | 0.011 |
| 198 | 0.011 |
| 209 | 0.112 |
| 210 | 0.148 |
| 211 | 0.010 |
| (शा.) 214 | 0.095 |
| 215 | 0.048 |
| (शा.) 216 | 0.042 |
| (शा.) 217 | 0.042 |
| 218 | 0.056 |
| योग . . . | <u>0.910</u> |
| मध्यप्रदेश शासन . . . | <u>0.338</u> |
| महायोग . . . | <u>1.248</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के दुलहरा सब माइनर नं. 5 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 16 मई, 2013

क्र. एफ.279-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—नागौद

- (ग) नगर/ग्राम—हरदुआ खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.025 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

55/1 0.025

निजी खाता भूमि योग रकबा . . . 0.025

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यक है—उचेहरा नागौद कलिंगर मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 279-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सड़वा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.045 हेक्टर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

183 0.045

निजी खाता भूमि योग . . . 0.045

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उचेहरा नागौद कलिंगर मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 279-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन— (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—नामतारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.091 हेक्टर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|----------------------------|
|----------|----------------------------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-------|-------|
| 337/1 | 0.014 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 337/2 | 0.042 |
|-------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| 337/644/1/ख | 0.018 |
|-------------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 333/1 | 0.294 |
|-------|-------|

| | |
|-----|-------|
| 338 | 0.014 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 342 | 0.046 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 341 | 0.007 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 320 | 0.030 |
|-----|-------|

| | |
|-------|-------|
| 321/1 | 0.003 |
|-------|-------|

| | |
|-----|-------|
| 318 | 0.440 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 247 | 0.025 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 317 | 0.030 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 316 | 0.122 |
|-----|-------|

| | |
|---------|-------|
| 246/1/1 | 0.050 |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| 246/1/2 | 0.140 |
|---------|-------|

| | |
|-----|-------|
| 229 | 0.130 |
|-----|-------|

| | |
|-------|-------|
| 230/4 | 0.021 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 230/5 | 0.125 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 231/1 | 0.047 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 231/2 | 0.078 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 232/8 | 0.136 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 232/5 | 0.018 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 232/6 | 0.018 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 227/1 | 0.010 |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 234/7 | 0.079 |
|-------|-------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|---------|-------|
| 234/4/4 | 0.012 |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| 234/4/3 | 0.012 |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| 234/4/2 | 0.019 |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| 234/4/1 | 0.042 |
|---------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 234/2 | 0.054 |
|-------|-------|

| | |
|------|-------|
| 55/1 | 0.015 |
|------|-------|

निजी खाता भूमि योग . . . 2.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 279-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—बिकरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.861 हेक्टर.

| खसरा नं. | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|----------|----------------------------|
|----------|----------------------------|

| (1) | (2) |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|----|-------|
| 16 | 0.002 |
|----|-------|

| | |
|----|-------|
| 17 | 0.004 |
|----|-------|

| | |
|----|-------|
| 18 | 0.461 |
|----|-------|

| | |
|----|-------|
| 19 | 0.015 |
|----|-------|

| | |
|------|-------|
| 20/1 | 0.421 |
|------|-------|

| | |
|------|-------|
| 21/1 | 0.021 |
|------|-------|

| | |
|------|-------|
| 22/2 | 0.050 |
|------|-------|

| | |
|----|-------|
| 23 | 0.012 |
|----|-------|

| | |
|------|-------|
| 24/1 | 0.125 |
|------|-------|

| | |
|------|-------|
| 24/2 | 0.175 |
|------|-------|

| (1) | (2) | लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— | |
|-------------------------------|-------|---|----------------|
| 24/3 | 0.145 | | |
| 24/4 | 0.175 | | |
| 25/1 | 0.042 | | |
| 26 | 0.070 | अनुसूची | |
| 27 | 0.030 | | |
| 28 | 0.138 | (1) भूमि का विवरण—कृषि भूमि | |
| 29 | 0.083 | (क) जिला—झाबुआ | |
| 31 | 0.010 | (ख) तहसील—थांदला | |
| 123/3 | 0.030 | (ग) ग्राम —रामनगर | |
| 123/4/1क | 0.023 | (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.38 हेक्टर. | |
| 123/5/1/क | 0.028 | सर्वे नं. | अर्जित रकबा |
| 123/2/2 | 0.005 | | (हेक्टेयर में) |
| 119/1 | 0.019 | (1) | (2) |
| 120/1 | 0.622 | 81 | 0.10 |
| 121/1/2 | 0.025 | 82 | 0.35 |
| 121/1/1 | 0.090 | 98 | 0.11 |
| 122/1 | 0.040 | 101/1 | 0.50 |
| निजी खाता भूमि योग रकबा . . . | 2.861 | 101/2 | 0.32 |
| | | योग . . . | 1.38 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उचेहरा नागौद कलिंजर मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 16 मई 2013

क्र. रीडर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम रामनगर में भीमपुरा बैराज निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 133-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—कुटमी बंडोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.340 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार |
|------------------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 8 | 0.010 | निजी भूमि |
| 9 | 0.330 | निजी भूमि |
| कुल रकबा निजी भूमि . . | 0.340 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इटॉय-मैहर मार्ग के कि. मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 134-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई

- (ग) ग्राम—पिपरियादौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.580 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार |
|------------------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 452 | 0.300 | निजी भूमि |
| 455/501 | 0.080 | निजी भूमि |
| 455/502 | 0.200 | निजी भूमि |
| कुल रकबा निजी भूमि . . | 0.580 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इटॉय-मैहर मार्ग के कि. मी. 20/10 में केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत केन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 135-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—सुनवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.600 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार |
|------------------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 937 | 0.090 | निजी भूमि |
| 938 | 0.250 | निजी भूमि |
| 939/1 | 0.130 | निजी भूमि |
| 939/2 | 0.130 | निजी भूमि |
| कुल रकबा निजी भूमि . . | 0.600 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुनवारी-मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 136-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मुडवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.230 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार |
|------------------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 4550 | 0.020 | निजी भूमि |
| 4551 | 0.020 | निजी भूमि |
| 4558 | 0.190 | निजी भूमि |
| कुल रकबा निजी भूमि . . | 0.230 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुनवारी-मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 137-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मुडवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.230 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार |
|------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1942 | 0.050 | निजी भूमि |
| 4473 | 0.060 | निजी भूमि |

| (1) | (2) | (3) |
|------|-------|-----------|
| 4474 | 0.080 | निजी भूमि |
| 4475 | 0.150 | निजी भूमि |

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.340

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुनवारी-मुडवारी मार्ग में केन एवं गलको नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 09-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—घसारई
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—0.41 हेक्टेयर

| सर्वे नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-------------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 165 | 0.08 |
| 167/1/मिन-1 | 0.33 |
| योग . . | 0.41 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महुअर मध्यम परियोजना की उपशाखा क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा/ प्लान का विवरण— भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 20 मई 2013

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 17-अ-89-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम—गरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.175 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 648 | 0.310 |
| 449 | 0.015 |
| 450 | 0.050 |
| 325 | 0.180 |
| 319 | 0.060 |
| 320 | 0.050 |
| 321 | 0.030 |
| 322 | 0.090 |
| 346 | 0.060 |
| 317 | 0.330 |
| योग . . . | <u>1.175</u> |

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-89-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम—सौरका
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.277 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 1734 | 0.070 |
| 1733 | 0.014 |
| 1729 | 0.020 |
| 1728 | 0.035 |
| 1701 | 0.030 |
| 1700 | 0.035 |
| 1699 | 0.060 |
| 1696 | 0.040 |
| 1691 | 0.060 |
| 1684/2 | 0.070 |
| 1695 | 0.030 |
| 1694 | 0.030 |
| 1684/1 | 0.060 |
| 1683 | 0.030 |
| 1314 | 0.100 |
| 1313 | 0.040 |
| 1312 | 0.030 |
| 1311 | 0.030 |
| 1308 | 0.020 |
| 1309 | 0.020 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—
तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

| | |
|---------|--------------|
| (1) | (2) |
| 922 | 0.030 |
| 921 | 0.130 |
| 933/3 | 0.015 |
| योग . . | <u>0.625</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—
तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-89-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम—गोरा भाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.300 हेक्टेयर.

| | |
|---------|--------------|
| खसरा | रकबा |
| नंबर | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 23/2 | 0.060 |
| 23/3/1 | 0.170 |
| 23/6 | 0.070 |
| योग . . | <u>0.300</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—
तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-89-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम—गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.655 हेक्टेयर.

| | |
|---------|--------------|
| खसरा | रकबा |
| नंबर | (हे. में) |
| (1) | (2) |
| 141/3 | 0.070 |
| 140/2 | 0.150 |
| 151 | 0.020 |
| 158 | 0.060 |
| 157 | 0.060 |
| 156 | 0.050 |
| 155 | 0.020 |
| 154 | 0.010 |
| 98 | 0.020 |
| 104 | 0.030 |
| 93 | 0.035 |
| 85 | 0.035 |
| 82 | 0.025 |
| 77 | 0.035 |
| 75 | 0.035 |
| योग . . | <u>0.655</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—
तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. एफ 6-5-2009-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 12 पर अंकित सौंधिया जाति के संबंध में वर्तमान प्रावधान के स्थान पर, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के क्रमांक 12 में निम्नानुसार प्रतिस्थापन किया जाता है :-

| क्र. (1) | नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह (2) | परम्परागत व्यवसाय (3) | कैफियत (4) |
|-------------|---|--|---|
| 12 | ढीमर, भोई, कहार, केहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुराह, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगराहा, जालारी, सौंधिया. | मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंधाड़ा व कमल-गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना. | 1. बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. 2. राजगढ़, गुना, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, धार, इन्दौर, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में निवासरत सौंधिया जाति का परम्परागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन है, इसमें "सौंधिया-राजपूत" शामिल नहीं होंगे. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ. 3-12-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक एक, सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-12-2013-बत्तीस, दिनांक 4 फरवरी 2013 एवं 30 मार्च 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

| क्रमांक (1) | ग्राम (2) | खसरा क्रमांक (3) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5) | उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6) |
|----------------|----------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 1 | ग्वालियर स्वेज फार्म | 299 मिन, 310 मिन, 312, 313, 314 मिन, 315 मिन, 316 मिन, 317 मिन, 318 मिन, 319 322, 323, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 326/361, 328, 328/362. | 19.996 | कृषि (सब्जी बाग) | औद्योगिक |

कुल योग . . . 19.996

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत ग्वालियर विकास योजना—2005 का भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-02-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : मुंगावली जिला : अशोकनगर

| क्र. | ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. | अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम |
|------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 01. | 01. मूल ग्राम—बरवाह 02. नवीन ग्राम—माधौपुर प.ह.नं. 46. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला अशोकनगर. |

तहसील : ईसागढ़ जिला : अशोकनगर

| | | |
|-----|--|--|
| 02. | 01. मूल ग्राम—मामौन 02. नवीन ग्राम—आमोला प.ह.नं. 49. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला अशोकनगर. |
| 03. | 01. मूल ग्राम—छपरा 02. नवीन ग्राम—बुडैरा प.ह.नं. 40. | |
| 04. | 01. मूल ग्राम—ढाकोनी 02. नवीन ग्राम—डेलकावर 03. नवीन ग्राम—छत्तरपुर प.ह.नं. 57. | |

तहसील : चन्देरी जिला : अशोकनगर

| | | |
|-----|---|--|
| 05. | 01. मूल ग्राम—सुरैल 02. नवीन ग्राम—नीमखेड़ा प.ह.नं. 21. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला अशोकनगर. |
| 06. | 01. मूल ग्राम—जारसल 02. नवीन ग्राम—चक्कजारसल प.ह.नं. 40. | |
| 07. | 01. मूल ग्राम—बडैरा 02. नवीन ग्राम—चक्क बडैरा प.ह.नं. 09. | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-02-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-02-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-02-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Maungavali District : Ashoknagar

| S. No. | Name of original village | Designation of the Officer authorized to prepare record of rights |
|--------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 01. | 01. Org. Vill.—Barwah 02. New Vill.—Madhopur P.H.No.—46. | Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar. |

Tahsil : Isagarh District : Ashoknagar

| | | |
|-----|--|---|
| 02. | 01. Org. Vill.—Mamon 02. New Vill.—Amola P.H.No.—49. | Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar. |
|-----|--|---|

| | | |
|-----|--|--|
| 03. | 01. Org. Vill.—Chapra 02. New Vill.—Budera P.H.No.—40. | |
|-----|--|--|

| | | |
|-----|---|--|
| 04. | 01. Org. Vill.—Dhakoni 02. New Vill.—Delkavar 03. New Vill.—Chattarpur P.H.No.—57. | |
|-----|---|--|

Tahsil : Chanderi District : Ashoknagar

| | | |
|-----|--|---|
| 05. | 01. Org. Vill.—Surel 02. New Vill.—Neemkheda P.H.No.—21. | Superintendent of Land Records (permanent), District—Ashoknagar. |
|-----|--|---|

| (1) | (2) | (3) |
|----------------------------|------------------------|-----|
| 06. 01. Org. Vill.—Jarsal | Superintendent of Land | |
| 02. New Vill.—Jarsal Chhak | Records (permanent), | |
| P.H.No.—40. | District—Ashoknagar. | |
| 07. 01. Org. Vill.—Badera | | |
| 02. New Vill.—Badera Chhak | | |
| P.H.No.—09. | | |

Bhopal, the 23rd May 2013

F.No. 15-03-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

Tahsil : Burhanpur

District : Burhanpur

| S. No. | Name of original village | Designation of the Officer authorized to prepare record of rights |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 01. 01. Org. Vill.—Biroda | Superintendent of Land | |
| 02. New Vill.—Bholana | Records (permanent), | |
| P.H.No.—01. | District—Burhanpur. | |
| 02. 01. Org. Vill.—Borgoan Khurd | | |
| 02. New Vill.—Garbardi | | |
| P.H.No.—09. | | |

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-03-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : बुरहानपुर

जिला : बुरहानपुर

| क्र. | ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. | अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 01. 01. मूल ग्राम—बिरोदा | अधीक्षक, भू-अभिलेख, | |
| 02. नवीन ग्राम—भोलाना | (नियमित) जिला बुरहानपुर. | |
| P.H.नं. 01. | | |
| 02. 01. मूल ग्राम—बोरागांवखुर्द | | |
| 02. नवीन ग्राम—गारबर्डी | | |
| P.H.नं. 09. | | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-03-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-03-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-04-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : श्योपुर

जिला : श्योपुर

| क्र. | ग्राम का नाम एवं प.ह.नं. | अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम |
|----------------------------|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 01. 01. मूल ग्राम—बगदिया | अधीक्षक, भू-अभिलेख, | |
| 02. नवीन ग्राम—माधो | (नियमित) जिला श्योपुर. | |
| का डेरा. | | |
| 03. नवीन ग्राम—दीवानचंद | | |
| का डेरा. | | |
| 04. नवीन ग्राम—तिल्ली डेरा | | |
| P.H.नं. 04. | | |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|------------------------|--|--|--|---|--|
| 02. | 01. मूल ग्राम—मेवाड़ा 02. नवीन ग्राम—मेवाड़ा कछार 03. नवीन ग्राम—भसुन्दर का टपरा, प.ह.नं. 18. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला श्योपुर. | 12. | 01. मूल ग्राम—उमरीकलां 02. नवीन ग्राम—किरवारा प.ह.नं. 05. | अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला श्योपुर |
| 03. | 01. मूल ग्राम—गुरूनावदा 02. नवीन ग्राम—दौला का पुरा 03. नवीन ग्राम—रामवाड़ी प.ह.नं. 21. | | 13. | 01. मूल ग्राम—बडोदाकला 02. नवीन ग्राम—माना का पुरा प.ह.नं. 11. | |
| 04. | 01. मूल ग्राम—प्रेमसर 02. नवीन ग्राम—गांधीनगर प.ह.नं. 45. | | 14. | 01. मूल ग्राम—विजयपुर 02. नवीन ग्राम—सिरथरियाकापुरा 03. नवीन ग्राम—मकना का पुरा प.ह.नं. 23. | |
| तहसील : बड़ौदा | | जिला : श्योपुर | 15. | 01. मूल ग्राम—दाउदपुरा 02. नवीन ग्राम—पांच्यापुरा प.ह.नं. 37. | |
| 05. | 01. मूल ग्राम—उतनवाड 02. नवीन ग्राम—कौथ प.ह.नं. 07. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला श्योपुर. | 16. | 01. मूल ग्राम—बुढेश 02. नवीन ग्राम—ठेर का पुरा प.ह.नं. 43. | |
| 06. | 01. मूल ग्राम—बडोदिया बिन्दी 02. नवीन ग्राम—मण्डी प.ह.नं. 29. | | 17. | 01. मूल ग्राम—गसवानी 02. नवीन ग्राम—बीरमपुर प.ह.नं. 46. | |
| 07. | 01. मूल ग्राम—रतोदन 02. नवीन ग्राम—हीरापुर प.ह.नं. 35. | | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव. | | |
| तहसील : कराहल | | जिला : श्योपुर | भोपाल, दिनांक 23 मई 2013 | | |
| 08. | 01. मूल ग्राम—कलमीककरधा 02. नवीन ग्राम—ककरधा प.ह.नं. 13. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला श्योपुर. | क्र. एफ 15-04-2013-सात-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-04-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. | | |
| 09. | 01. मूल ग्राम—कैलोर 02. नवीन ग्राम—भोजका 03. नवीन ग्राम—केरका 04. नवीन ग्राम—सारसल्ला 05. नवीन ग्राम—सावडी प.ह.नं. 14. | | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव. | | |
| तहसील : विजयपुर | | जिला: श्योपुर | Bhopal, the 23rd May 2013 | | |
| 10. | 01. मूल ग्राम—किशनपुरा 02. नवीन ग्राम—पीपल-बावडी प.ह.नं. 02. | अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला श्योपुर. | F. No. 15-04-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue | | |
| 11. | 01. मूल ग्राम—अगरा 02. नवीन ग्राम—मेधपुरा 03. नवीन ग्राम—जखौदा प.ह.नं. 04. | | | | |

village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Sheopur

District : Sheopur

S. No. Name of original village Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| 01. | 01. Org. Vill.—Bagadiya | Superintendent of Land |
| | 02. New Vill.—Madho ka dera. | Records (permanent), District—Sheopur. |
| | 03. New Vill.—Dewan Chand ka dera. | |
| | 04. New Vill.—Tilli dera P.H. No.—04. | |
| 02. | 01. Org. Vill.—Mewara | |
| | 02. New Vill.—Mewara Kachhar. | |
| | 03. New Vill.—Bhasundar ka tapara P.H. No.—18. | |
| 03. | 01. Org. Vill.—Gurunawada | |
| | 02. New Vill.—Dola ka pura | |
| | 03. New Vill.—Ram wari P.H. No.—21. | |
| 04. | 01. Org. Vill.—Premsar | |
| | 02. New Vill.—Gandhi Nagar P.H.No.—45. | |

Tahsil : Baroda

District : Sheopur

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 05. | 01. Org. Vill.—Utanbad | Superintendent of Land |
| | 02. New Vill.—Konth P.H.O.—07. | Records (permanent), District—Sheopur. |
| 06. | 01. Org. Vill.—Barodiya Bindi | |
| | 02. New Vill.—Mandi P.H.No.—29. | |
| 07. | 01. Org. Vill.—Ratodan | |
| | 02. New Vill.—Heerapur P.H.No.—35. | |

Tahsil : Karahal

District : Sheopur

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 08. | 01. Org. Vill.—Kalami Kakardha. | Superintendent of Land |
| | 02. New Vill.—Kakardha P.H. No.—13. | Records (permanent), District—Sheopur. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 09. | 01. Org. Vill.—Kelor | Superintendent of Land |
| | 02. New. Vill.—Bhojka | Records (permanent), |
| | 03. New. Vill.—Kerka | District—Sheopur. |
| | 04. New. Vill.—Sarsalla | |
| | 05. New. Vill.—Sawari P.H. No.—14. | |

Tahsil : Vijaypur

District : Sheopur

| | | |
|-----|---|---|
| 10. | 01. Org. Vill.—Kishanpura | Superintendent of |
| | 02. New Vill.—Pepal babari P.H. No.—02. | Land Records (permanent), District—Sheopur. |
| 11. | 01. Org. Vill.—Agara | |
| | 02. New. Vill.—Meghapura | |
| | 03. New. Vill.—Jakhouda P.H. No.—04. | |
| 12. | 01. Org. Vill.—Umari Kalan | |
| | 02. New. Vill.—Kirawara P.H. No.—05. | |
| 13. | 01. Org. Vill.—Baroda kalan | |
| | 02. New. Vill.—Mana ka pura P.H. No.—11. | |
| 14. | 01. Org. Vill.—Vijaypur | |
| | 02. New. Vill.—Sirthariya ka pura. | |
| | 03. New Vill.—Makana ka pura P.H. No.—23. | |
| 15. | 01. Org. Vill.—Daudpur | |
| | 02. New. Vill.—Panchya pura P.H. No.—37. | |
| 16. | 01. Org. Vill.—Budhera | |
| | 02. New. Vill.—Ther ka pura P.H. No.—43. | |
| 17. | 01. Org. Vill.—Gasawani | |
| | 02. New. Vill.—Birampur P.H.No.—46. | |

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. A-2090-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 4 से 7 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-2092-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2094-दो-2-14-2005.—श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3417-दो-3-420-80-भाग-दस.—श्री एस. के. जैन, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 159 दिवस(एक सौ उनसठ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक)07, दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25-9-2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है :-

गणना-पत्रक

- श्री एस. के. जैन : 17-4-1982
सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2013
- नियुक्ति दिनांक 17-4-1982 : 4 वर्ष 10 माह से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-3-1987 से : 26 वर्ष सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : 4×15=60 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).

6. कालम (4) में अंकित अवधि: 26=13×15=195
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता दिन.
(एक वर्ष में 7 दिन की दर
से तथा दो वर्ष में 15 दिन
की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 255 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 96 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 159 दिन
अवकाश समर्पण की
पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-3419-दो-2-69-06.—श्री कैलाश चन्द्र गर्ग, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (निलम्बित) मुख्यालय, ग्वालियर का निलम्बन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक 914-सीजे-2-356, दिनांक 3 जनवरी 2013 द्वारा खण्डित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-3421-दो-2-54-10.—श्री अशोक कुमार जैन, पूर्व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 7 दिसम्बर 2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 14 फरवरी 2011 से 7 दिसम्बर 2012 तक 21 माह की अवधि के लिये पात्रतानुसार 12 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C-3423-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 फरवरी

से 7 मार्च 2013 तक दस दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवैतनिक अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्तों की पात्रता नहीं होगी.

क्र. C-3427-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 26 फरवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्र. C-3470-दो-2-19-2008.—श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 30 मार्च से 10 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3472-दो-2-4-2013.—श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के

पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3474-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 30 मार्च से 4 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27, 28 एवं 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. C-3497-दो-3-34-99.—श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 6 से 8 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3499-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 18 से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 से 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3501-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 20 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3503-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 27 फरवरी 2013 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

क्र. C-3505-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3528-दो-2-38-2011.—श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 6 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 मई 2013

क्र. A-2245-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 फरवरी से 6 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-2247-दो-2-14-2005.—श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 13 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाता तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2250-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 11 से 16 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3605-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 20 से 21 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3607-दो-2-38-2010.—श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-3609-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3611-दो-2-53-2009—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 25 मार्च 2013 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3613-दो-2-25-2012—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 6 से 9 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 7 मई 2013

क्र. C-3698-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक छह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. C-3700-दो-3-47-2003.—श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 24 से 27 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एन. खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3702-दो-2-35-2000.—श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 8 से 12 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13, 14 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3703-दो-3-47-2003—श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 30 मार्च से 3 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एन. खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्र. C-3760-दो-2-40-2009—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 8 से 9 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3762-दो-2-23-2009.—डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 4 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3764-दो-2-45-2011—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3766-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3768-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 2 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3770-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 25 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. C-3425-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 6 से 8 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. C-3507-दो-14-29-86.—श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2013 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 अप्रैल 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्र. 559-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

| क्रमांक (1) | अधिकारी का नाम (2) | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) |
|----------------|--|--|
| 1. | श्री पवन कुमार शर्मा, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर. | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त पद पर. |

क्र. 586-गोपनीय-2013-दो-2-33-57(भाग-11).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

| क्रमांक (1) | अधिकारी का नाम (2) | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) |
|----------------|--|--|
| 1. | श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल. | प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. |

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 541-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 40) दिनांक 6 अप्रैल 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

| क्रमांक (1) | नाम (2) | प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) | न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4) |
|----------------|--------------------|--|--|
| 1 | सुश्री नमिता चौधरी | छिन्दवाड़ा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |

टिप्पणी.— आदेश क्रमांक 525-गोपनीय-2013, दिनांक 18 अप्रैल 2013 जहां तक इसका संबंध आदेश के सरल क्रमांक 18 में उल्लेखित सुश्री नमिता चौधरी के भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) के रूप में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.